



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08052026-272336
CG-DL-E-08052026-272336

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 308]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 8, 2026/वैशाख 18, 1948

No. 308]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 8, 2026/VAISAKHA 18, 1948

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 मई, 2026

सा.का.नि. 342(अ).— औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 99 की उप-धारा (1) के अधीन यथा अपेक्षित औद्योगिक संबंध (केंद्रीय) नियम, 2025 का प्रारूप, इससे प्रभावित होने की संभावना वाले सभी व्यक्तियों से उक्त अधिसूचना को समाविष्ट करने वाले इस राजपत्र की प्रतियां सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराए जाने की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में अधिसूचना संख्या सा.का.नि 930 (अ), तारीख 30 दिसंबर, 2025 के माध्यम से प्रकाशित किया गया था।

और, उक्त प्रारूप अधिसूचना तारीख 30 दिसम्बर, 2025 को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराई गई थीं;

और, व्यक्तियों और पणधारियों से प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार द्वारा सम्यक विचार किया गया है;

अतः अब, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 99 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा औद्योगिक विवाद (केंद्रीय) नियम, 1957, जहाँ तक वे भाग 2 तथा भाग 5 से 8 तक संबंधित हैं; और

औद्योगिक नियोजन (स्थायी आदेश) केंद्रीय नियम, 1946, जहाँ तक वे इन नियमों से संबंधित हैं का अधिक्रमण करते हुए

उन बातों के सिवाय जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, केंद्रीय सरकार निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्

अध्याय 1 प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम औद्योगिक संबंध (केंद्रीय) नियम, 2026 है।

(2) ये नियम राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ— (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, —

(क) "संहिता" से औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) अभिप्रेत है;

(ख) "इलेक्ट्रॉनिक रूप से" से संहिता के प्रयोजनार्थ ई-मेल द्वारा प्रस्तुत अथवा नामनिर्दिष्ट पोर्टल पर अपलोड सूचना या किसी भी रूप में डिजिटल भुगतान अभिप्रेत है;

(ग) "प्ररूप" से इन नियमों के लिए अनुसूची में उल्लिखित प्ररूप अभिप्रेत है;

(घ) "धारा" से संहिता की धारा अभिप्रेत है।

(2) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ, जिन्हें परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन संहिता में परिभाषित है, वहीं अर्थ होंगे जो इस संहिता में हैं।

3. संहिता के अधीन औद्योगिक स्थापनों के कतिपय प्राधिकारियों और अधिकारियों के संदर्भ- (1) विधानमंडल रहित संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में औद्योगिक विवाद के संबंध में केंद्रीय सरकार या भारत सरकार के संदर्भ को ऐसे संघ राज्यक्षेत्र के प्रशासक के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा, जिसके लिए केंद्रीय सरकार समुचित सरकार है; और मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय), उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय), क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) और सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के संदर्भ को उस संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासक द्वारा उस निमित्त नियुक्त संबंधित उपयुक्त प्राधिकारी के संदर्भ के रूप में समझा जाएगा।

(2) इन नियमों के प्रयोजनों के लिए, संहिता की धारा 2 के खंड (ड) के संदर्भ में, यह विनिर्दिष्ट किया जाता है कि-

(क) किसी ऐसे उद्योग के संबंध में, जो उपखंड (ii) में निर्दिष्ट उद्योग नहीं है, जो केंद्रीय सरकार के किसी मंत्रालय या किसी राज्य सरकार के प्राधिकार के द्वारा या उसके अधीन चलाया जाता है, औद्योगिक स्थापन का प्रभारी अधिकारी उस स्थापन के संबंध में नियोक्ता होगा; और

(ख) केंद्रीय सरकार के किसी मंत्रालय या विभाग द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन चलाए जाने वाले रेलवे से संबंधित उद्योग के संबंध में-

(i) किसी आंचलिक रेलवे के किसी स्थापन के मामले में आकस्मिक श्रमिक को छोड़कर, नियमित रेलवे कर्मचारियों के संबंध में, महाप्रबंधक उसका नियोक्ता होगा;

(ii) आंचलिक रेलवे से स्वतंत्र स्थापन के मामले में स्थापन का प्रभारी अधिकारी आकस्मिक श्रमिकों को छोड़कर नियमित रेलवे कर्मचारियों के संबंध में नियोक्ता होगा; और

(iii) किसी आंचलिक रेलवे या किसी आंचलिक रेलवे के किसी अन्य स्वतंत्र रेलवे स्थापन में नियोजित आकस्मिक श्रमिक के संबंध में प्रभारी जिला अधिकारी या प्रभाग कार्मिक अधिकारी या कार्मिक अधिकारी, जैसा भी मामला हो, नियोक्ता होगा।

4. समझौता ज्ञापन- (1) सुलह कार्यवाही के दौरान समझौता या नियोक्ता और कर्मचारी के बीच सुलह कार्रवाई के अतिरिक्त किसी अन्य तरीके से किया गया लिखित समझौता प्ररूप-1 में होगा।

(2) समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, -

(क) नियोक्ता द्वारा या उसके प्राधिकृत अभिकर्ता द्वारा, या जहां नियोक्ता एक निगमित कंपनी या अन्य निगमित निकाय है, ऐसी कंपनी के अभिकर्ता, प्रबंधक या अन्य प्रधान अधिकारी या ऐसे अन्य निगमित निकाय द्वारा; और

(ख) श्रमिकों की ओर से, व्यवसाय संघ के निम्नलिखित किसी पदाधिकारियों द्वारा, अर्थात्:-

(i) अध्यक्ष; या

(ii) उपाध्यक्ष; या

(iii) सचिव (महासचिव सहित); या

(iv) संयुक्त सचिव; या

(v) संघ के अध्यक्ष और सचिव द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत व्यवसाय संघ का कोई अन्य पदाधिकारी; या

(vi) इस प्रयोजनार्थ आयोजित श्रमिकों की बैठक में इस संबंध में सम्यक रूप से अधिकृत कर्मकारों के पांच प्रतिनिधि।

(3) वैयक्तिक कर्मकार और नियोक्ता के बीच औद्योगिक विवाद के मामले में, नियोक्ता और संबंधित कर्मचारी द्वारा समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(4) जहां सुलह की कार्यवाही के दौरान समझौता हो जाता है, सुलह अधिकारी विवाद के पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन की एक प्रति के साथ केंद्रीय सरकार को उसकी एक रिपोर्ट भेजेगा।

(5) जहां नियोक्ता और उसके कर्मचारी के बीच सुलह की कार्यवाही की प्रक्रिया के किसी अन्य रीति से समझौता हो जाता है, वहां समझौते के पक्षकार संयुक्त रूप से इलेक्ट्रॉनिक रूप से या त्वरित डाक द्वारा संबंधित उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) और सुलह अधिकारी को उसकी एक प्रति भेजेंगे।

(6) सुलह अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र के अधीन आने वाले औद्योगिक विवादों के संबंध में नियम के अधीन किए गए सभी समझौतों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा बनाए गए रजिस्टर में दर्ज करेगा।

(7) उप-नियम (6) में निर्दिष्ट रजिस्टर में क्रम संख्या, उद्योग का नाम, समझौते के पक्षकार, समझौते की तारीख, टिप्पणियां और क्या सुलह अधिकारी के हस्तक्षेप के बाद या आपसी बातचीत द्वारा समझौता किया गया था, सहित विवरण शामिल होंगे:

परन्तु समझौते पर सुलह अधिकारी के हस्ताक्षर आवश्यक नहीं होंगे जहां समझौते के लिए करार सुलह के बाहर किया गया हो।

परन्तु यह और कि इस नियम में कोई भी बात किसी कर्मकार या कर्मकारों या व्यवसाय संघ और किसी नियोक्ता के बीच पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों पर समझौते को प्रतिबंधित नहीं करेगी और ऐसा समझौता प्ररूप-1 के अतिरिक्त किसी अन्य रूपविधान में हो सकता है।

अध्याय 2

द्वि-पक्षीय मंच

5. कार्य समिति और इसका गठन – (1) प्रत्येक नियोक्ता, जो संहिता की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा दिए गए आदेश से संबंधित है वह नियोक्ता और कर्मकारों के बीच सौहार्द और अच्छे संबंधों को सुरक्षित और संरक्षित करने के लिए उपाय करने और इस उद्देश्य से, इस अध्याय में विनिर्दिष्ट, सामान्य हित या सरोकार के मामलों पर टिप्पणी करने के लिए, तत्काल एक कार्य समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस अध्याय में “समिति” कहा गया है) का गठन करेगा।

(2) (i) समिति के सदस्यों की संख्या इस प्रकार निर्धारित की जाएगी कि औद्योगिक स्थापन में और उसके अनुभागों, दुकानों या विभागों में लगे कर्मकारों की विभिन्न श्रेणियों, समूहों और वर्गों को प्रतिनिधित्व मिल सके।

(ii) समिति के सदस्यों की कुल संख्या बीस से अधिक नहीं होगी।

(iii) समिति में कर्मकारों के प्रतिनिधियों की संख्या, उसमें नियोक्ता के प्रतिनिधियों की संख्या से कम नहीं होगी।

परन्तु जिस औद्योगिक स्थापन में महिला कर्मकार नियोजित हैं, वहां समिति में महिला कर्मकारों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा और ऐसा प्रतिनिधित्व औद्योगिक स्थापन में नियोजित कुल कर्मकारों में महिला कर्मकारों के अनुपात से कम नहीं होगा।

(3) समिति में नियोक्ता के प्रतिनिधि, नियोक्ता द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे और जहां तक संभव हो, वे औद्योगिक स्थापन के कार्यकरण से सीधे संपर्क में रहने वाले या उससे संबद्ध अधिकारी होंगे।

(4) जहां औद्योगिक प्रतिष्ठान के कर्मकार किसी पंजीकृत व्यवसाय संघ या व्यवसाय संघों के सदस्य हैं, वहां नियोक्ता ऐसे पंजीकृत व्यवसाय संघ या व्यवसाय संघों से लिखित रूप में उसे निम्नलिखित सूचित करने के लिए अनुरोध करेगा कि -

(क) ऐसे कर्मकारों की संख्या जो पंजीकृत व्यवसाय संघ या व्यवसाय संघों के सदस्य हैं; और

(ख) यदि नियोक्ता के पास यह विश्वास करने का कारण है कि पंजीकृत व्यवसाय संघ या व्यवसाय संघों द्वारा उसे दी गई सूचना झूठी है, तो वह ऐसे पंजीकृत व्यवसाय संघ या व्यवसाय संघों को सूचित करने के पश्चात् मामले को क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) को भेज सकता है, जो पक्षों को सुनने के बाद मामले का निर्णय करेगा और उसका निर्णय अंतिम होगा।

(5) उप-नियम (4) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर, नियोक्ता निम्नलिखित तरीके से समिति के कर्मकार के प्रतिनिधि को चुनने का उपबंध करेगा, अर्थात्: -

(क) संहिता की धारा 14 की उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के अधीन वार्ताकारी संघ के मामले में, ऐसी वार्ताकारी संघ समिति के लिए कर्मकार प्रतिनिधियों को नामनिर्दिष्ट करेगी;

(ख) संहिता की धारा 14 की उप-धारा (4) के अधीन वार्ताकारी परिषद के मामले में, वार्ताकार परिषद में प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्येक पंजीकृत व्यवसाय संघ का समिति में नामांकन उस औद्योगिक स्थापन के उन कर्मकारों की संख्या के अनुपात में होगा जो ऐसे व्यवसाय संघ के सदस्य हैं;

(ग) जहां खंड (क) और (ख) में निर्दिष्ट मान्यताप्राप्त कोई वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद नहीं है, वहां औद्योगिक स्थापन के कर्मकार आपस में से समिति के कर्मकार प्रतिनिधियों का निर्वाचन करेंगे:

परन्तु नियोक्ता, सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऐसे अन्य प्लेटफॉर्म पर निर्वाचन प्रक्रिया का आयोजन करने के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म की व्यवस्था कर सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस खंड के अधीन समिति के लिए कर्मकारों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन कराने में सक्षम किया जा सके:

परन्तु यह और कि जहां कोई पंजीकृत व्यवसाय संघ उप-नियम (4) के अधीन सूचना, मांगे जाने की तारीख से एक माह के भीतर प्रस्तुत करने में असफल रहता है, तो ऐसे व्यवसाय संघ को इस नियम के प्रयोजन के लिए ऐसे माना जाएगा मानो वह अस्तित्व में ही न हो:

परन्तु यह और कि जहां नियोक्ता द्वारा उप-नियम (4) के अधीन कोई संदर्भ दिया गया है, वहां उससे संबंधित कर्मकार के प्रतिनिधि को चुनने की प्रक्रिया, संबंधित क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) का निर्णय प्राप्त होने पर की जाएगी।

(6) यदि नियोक्ता उचित समझे तो वह निदेश दे सकता है कि कर्मकार, समूहों, अनुभागों, दुकानों या विभागों के माध्यम से मतदान करेंगे।

(7) कोई भी कर्मकार, जिसकी आयु उन्नीस वर्ष से कम न हो और जिसने औद्योगिक स्थापन में कम से कम एक वर्ष की सेवा की हो, यदि नियम में यथाउपबंधित, नामनिर्दिष्ट किया गया हो, तो वह समिति के कर्मकार प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचन के लिए उम्मीदवार हो सकता है:

परन्तु ऐसी सेवा अर्हता किसी औद्योगिक स्थापन के प्रथम निर्वाचन पर लागू नहीं होगी, जो एक वर्ष से कम समय से अस्तित्व में है।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजनों के लिए, कोई कर्मकार जिसने एक ही नियोक्ता के दो या अधिक औद्योगिक स्थापनों में कम से कम एक वर्ष तक निरन्तर सेवा की है, यह समझा जाएगा कि उसने इसमें विनिर्दिष्ट सेवा अर्हता पूरी कर ली है।

(8) सभी कर्मकार जिनकी आयु अठारह वर्ष से कम नहीं है और जिन्होंने औद्योगिक स्थापन में कम से कम छह महीने की निरन्तर सेवा की है, समिति के कर्मकार प्रतिनिधि के निर्वाचन में मतदान करने के हकदार होंगे।

स्पष्टीकरण- इस नियम के प्रयोजनों के लिए, कोई कर्मकार जिसने एक ही नियोक्ता के दो या अधिक औद्योगिक स्थापनों में कम से कम छह माह की निरन्तर सेवा की है, यह समझा जाएगा कि उसने इसमें विनिर्दिष्ट सेवा अर्हता पूरी कर ली है।

(9) (i) नियोक्ता, समिति के कर्मकार प्रतिनिधियों के रूप में निर्वाचन के लिए उम्मीदवारों से नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तारीख के रूप में तारीख निर्धारित करते समय अन्य अपेक्षित विवरणों के साथ नामांकन फाइल करने के लिए तीन कार्य दिवसों की न्यूनतम समय अवधि प्रदान करेगा।

(ii) खंड (i) में निर्दिष्ट निर्वाचन कराने के लिए नियोक्ता द्वारा निर्धारित तारीख नामांकन प्राप्त करने की अंतिम तारीख के तीन दिन से पहले और पंद्रह दिन के बाद नहीं होगी।

(iii) खंड (i) के अधीन निर्धारित की गई निर्वाचन की तारीख सात दिन पहले अधिसूचित की जाएगी और ऐसी सूचना, जिसमें निर्वाचित होने वाली सीटों की संख्या विनिर्दिष्ट की जाएगी और औद्योगिक स्थापन के नोटिस बोर्ड या इलेक्ट्रॉनिक नोटिस बोर्ड पर चिपका दी जाएगी और कर्मकारों के बीच पर्याप्त प्रचार किया जाएगा।

(10) (i) समिति में कर्मकार प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचन के लिए प्रत्येक नामांकन, नियोक्ता द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले नामांकन पत्र पर किया जाएगा तथा नियोक्ता द्वारा उसकी प्रतियां, कर्मकारों को आवश्यकता पड़ने पर उपलब्ध कराई जाएंगी।

(ii) खंड (i) में निर्दिष्ट प्रत्येक नामांकन पत्र उस उम्मीदवार द्वारा हस्ताक्षर किया जाएगा, जिससे वह संबंधित है और उस समूह, अनुभाग, दुकान या विभाग से संबंधित कम से कम दो अन्य मतदाताओं द्वारा सत्यापित किया जाएगा, जिसका प्रतिनिधित्व निर्वाचन चाहने वाला अभ्यर्थी करता है, और उसे नियोक्ता को दिया जाएगा।

(11) (i) नामांकन पत्र फाइल करने के लिए निर्धारित अंतिम दिन के अगले दिन, नियोक्ता द्वारा उम्मीदवारों और सत्यापन करने वाले व्यक्तियों की उपस्थिति में नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और जो नामांकन वैध नहीं होंगे उन्हें अस्वीकार कर दिया जाएगा।

(ii) किसी नामांकन पत्र को खंड (i) के अधीन वैध नहीं माना जाएगा, यदि-

(क) नामनिर्दिष्ट उम्मीदवार उप-नियम (7) के अधीन उम्मीदवार होने के लिए अपात्र है; या

(ख) उप-नियम (10) की अपेक्षाओं का अनुपालन नहीं किया गया है:

परन्तु जहां कोई उम्मीदवार या सत्यापनकर्ता व्यक्ति, जांच के समय उपस्थित होने में असमर्थ हो, तो उम्मीदवार इस प्रयोजन के लिए विधिवत् प्राधिकृत नामनिर्देशिनी को भेज सकेगा।

(12) कोई भी उम्मीदवार जिसका निर्वाचन के लिए नामांकन स्वीकार कर लिया गया है, नामांकन पत्रों की जांच पूरी होने के 48 घंटे के भीतर अपना नाम वापस ले सकता है।

(13) (i) किसी कारणवश यदि समिति के कर्मकार प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचन के लिए वैध रूप से नामनिर्दिष्ट उम्मीदवारों की संख्या सीटों की संख्या के बराबर है, तो ऐसे उम्मीदवारों को तुरंत विधिवत् निर्वाचित घोषित किया जाएगा।

(ii) जहां किसी औद्योगिक स्थापन में समिति के कर्मकार प्रतिनिधि के रूप में निर्वाचन के लिए वैध रूप से नामनिर्दिष्ट उम्मीदवारों की संख्या, उसे आवंटित सीटों की संख्या से अधिक है, वहां मतदान निर्वाचन के लिए नियत दिन पर होगा।

(14) (i) समिति के अधिकारियों में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और संयुक्त सचिव होगा।

(ii) नियोक्ता द्वारा समिति का अध्यक्ष समिति के नियोक्ता के प्रतिनिधियों में से नामनिर्दिष्ट किया जाएगा और वह, जहां तक संभव हो, औद्योगिक स्थापन का प्रमुख होगा।

(iii) उपाध्यक्ष का निर्वाचन कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाली समिति के सदस्यों द्वारा अपने बीच से किया जाएगा:

परन्तु उपाध्यक्ष के निर्वाचन में मत बराबर होने की स्थिति में मामले का निर्णय लॉटरी द्वारा किया जाएगा।

(iv) समिति के सचिव और संयुक्त सचिव का निर्वाचन प्रत्येक वर्ष किया जाएगा।

(v) समिति सचिव और संयुक्त सचिव का निर्वाचन करेगी, जहां सचिव का निर्वाचन नियोक्ताओं के प्रतिनिधियों में से किया जाता है, वहीं संयुक्त सचिव का निर्वाचन कर्मकारों के प्रतिनिधियों में से किया जाएगा और इसके विपर्ययनः

परन्तु सचिव या संयुक्त सचिव का पद, जैसा भी मामला हो, नियोक्ता या कर्मकारों के किसी प्रतिनिधि द्वारा लगातार तीन वर्षों तक धारण नहीं किया जाएगा:

परन्तु यह और भी कि नियोक्ता के प्रतिनिधि सचिव या संयुक्त सचिव, जैसा मामला हो, के निर्वाचन में भाग नहीं लेंगे और कर्मकारों के प्रतिनिधि ही सचिव या संयुक्त सचिव के पद के लिए निर्वाचन में मतदान करने के हकदार होंगे:

परन्तु यह भी कि इस उप-नियम के अधीन निर्वाचन में मतों की बराबरी की स्थिति में, मामले का निर्णय लॉटरी द्वारा किया जाएगा।

(15) (i) आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुने गए सदस्य को छोड़कर समिति के सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी।

(ii) आकस्मिक रिक्ति को भरने के लिए चुना गया प्रत्येक सदस्य अपने पूर्ववर्ती के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए पद धारण करेगा।

(iii) किसी कारण वश यदि कोई सदस्य समिति से अनुमति प्राप्त किए बिना समिति की लगातार तीन बैठकों में उपस्थित नहीं होता है तो उसकी सदस्यता जब्त कर ली जाएगी।

(16) यदि कामगार का प्रतिनिधि, उप-नियम 15 के उप-खंड (iii) के अधीन सदस्य नहीं रह जाता है या औद्योगिक स्थापन में नियोजित नहीं रहता है या उसके त्यागपत्र, मृत्यु या अन्यथा की स्थिति में, समिति की शेष अवधि के लिए इस नियम के उपबंधों के अनुसार उसके उत्तराधिकारी का चयन उसी समूह से किया जाएगा जिससे पद खाली करने वाला सदस्य संबंधित था।

(17) समिति को परामर्शी क्षमता में चर्चा के अधीन किसी मामले का विशेष या विशिष्ट ज्ञान रखने वाले औद्योगिक स्थापन में नियोजित व्यक्तियों को सहयोजित करने का अधिकार होगा और ऐसा सहयोजित सदस्य वोट देने का हकदार नहीं होगा और केवल उस अवधि के लिए बैठकों में उपस्थित रहेगा, जिसके दौरान विशेष प्रश्न समिति के समक्ष हो।

(18) (i) समिति आवश्यकता अनुसार कितनी भी बैठक कर सकती है लेकिन तीन महीने में एक बैठक अनिवार्य है।

(ii) समिति अपनी पहली बैठक में अपनी स्वयं की प्रक्रिया विनियमित करेगी।

(19) (i) नियोक्ता समिति की बैठकें आयोजित करने के लिए स्थान उपलब्ध कराएगा तथा समिति का कार्य संचालित करने के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं भी उपलब्ध कराएगा।

(ii) समिति की बैठक, सामान्यतः किसी भी कार्य दिवस पर संबंधित औद्योगिक स्थापन के कार्य समय के दौरान होगी तथा बैठक में उपस्थित होने पर कर्मकारों के प्रतिनिधियों को ड्यूटी पर माना जाएगा।

(iii) समिति का सचिव, अध्यक्ष की पूर्व अनुमोदन से, औद्योगिक स्थापन के नोटिस बोर्ड पर समिति के कार्यों के संबंध में सूचना लगाएगा।

(20) नियोक्ता, व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य दशाएं संहिता, 2020 (2020 का 37) के अधीन इस संबंध में बनाए गए नियमों में प्रदान की गई एकीकृत वार्षिक रिटर्न के एक भाग के रूप में समिति के गठन और कामकाज का विवरण प्रस्तुत करेगा।

(21) केन्द्रीय सरकार या उसकी ओर से प्राधिकृत अधिकारी, ऐसी जांच करने के पश्चात्, जैसा वह उचित समझे, किसी भी समिति को किसी भी समय, लिखित रूप में कारण अधिलिखित करके एक आदेश द्वारा, यह समाधान हो जाने पर भंग कर सकेगा कि समिति का गठन इस नियमों के उपबंधों के अनुसार नहीं किया गया है या कर्मकारों के प्रतिनिधियों की संख्या के कम से कम दो-तिहाई सदस्य बिना किसी उचित औचित्य के समिति की लगातार तीन बैठकों में उपस्थित होने में विफल रहे हैं या समिति ने किसी अन्य कारण से कार्य करना बंद कर दिया है:

परन्तु जहां समिति इस उप-नियम के अधीन विघटित कर दी जाती है, वहां नियोक्ता और यदि ऐसा अपेक्षित हो, केन्द्रीय सरकार यथास्थिति ऐसे अधिकारी द्वारा इस नियमों के अनुसार समिति का पुनर्गठन करने के लिए कदम उठा सकेगी।

6. शिकायत निवारण समिति - (1) बीस या अधिक कर्मकारों को नियोजित करने वाले औद्योगिक स्थापन में शिकायत निवारण समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् इस अध्याय में शिकायत समिति कहा गया है) नियोक्ता और कर्मकारों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों की समान संख्या से मिलकर बनेगी, जो दस सदस्यों से अधिक नहीं होगी।

(2) शिकायत समिति में नियोक्ता के प्रतिनिधि नियोक्ता द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएंगे और जहां तक संभव हो, वे औद्योगिक स्थापन के कार्यकरण से सीधे संपर्क में रहने वाले या उससे संबद्ध अधिकारी, अधिमानतः औद्योगिक स्थापन के प्रमुख विभागों के प्रमुख होंगे।

(3) शिकायत समिति में कर्मकार प्रतिनिधि का चयन निम्नलिखित तरीके से किया जाएगा, अर्थात्:-

(क) जहां संहिता के धारा 14 की उप-धारा (2) या उप-धारा (3) के अधीन कोई वार्ताकारी संघ है, वहां, ऐसी वार्ताकारी संघ शिकायत समिति में कर्मकार के प्रतिनिधियों को नामनिर्दिष्ट करेगी;

(ख) संहिता की धारा 14 की उप-धारा (4) के अधीन वार्ताकारी परिषद के मामले में वार्ताकारी परिषद में प्रतिनिधित्व करने वाले प्रत्येक पंजीकृत व्यवसाय संघ का नामनिर्देशन, शिकायत समिति में औद्योगिक स्थापन के उन कर्मकारों की संख्या के अनुपात में होगा जो ऐसे व्यवसाय संघ के सदस्य हैं;

(ग) जहां खंड (क) और (ख) में निर्दिष्ट कोई मान्यताप्राप्त वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद नहीं है, वहां औद्योगिक स्थापन के कर्मकार आपस में से शिकायत समिति के कर्मकार प्रतिनिधियों का चयन करेंगे:

परन्तु नियोक्ता इस खंड के अधीन कर्मकार प्रतिनिधियों को चुनने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एप्लीकेशन, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या ऐसे अन्य प्लेटफॉर्म पर इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म नियोजित कर सकता है:

परन्तु शिकायत समिति में महिला कर्मकारों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व होगा और ऐसा प्रतिनिधित्व औद्योगिक स्थापन में नियोजित कुल कर्मकारों में महिला कर्मकारों के अनुपात से कम नहीं होगा।

(4) शिकायत समिति के सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष की होगी।

(5) जहां कोई मान्यता प्राप्त वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद नहीं है और यदि शिकायत समिति में कर्मकार के प्रतिनिधि के चयन के संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है, तो मामला संबंधित क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) को भेजा जा सकता है, जो पक्षों को सुनने के पश्चात् मामले का निर्णय करेगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

7. शिकायत समिति को आवेदन के लिए - (1) कोई भी पीड़ित कर्मचारी अपनी शिकायत का उल्लेख करते हुए शिकायत समिति के समक्ष आवेदन फाइल कर सकता है, जिसमें उसका नाम, पदनाम, कर्मचारी कोड या टोकन नंबर, विभाग जहां वह

तैनात है, वर्षों में उसकी सेवा की अवधि, कर्मचारी की श्रेणी, पत्राचार के लिए पता, संपर्क नंबर, शिकायतों का ब्यौरा और उसके लिए मांगी गई राहत का विवरण दिया गया हो।

(2) उप-नियम (1) में संदर्भित आवेदन, इलेक्ट्रॉनिक तरीके से या किसी और तरीके से भेजा जा सकता है।

(3) उप-नियम (1) में संदर्भित आवेदन, मामले के घटित होने की तारीख से एक वर्ष के अंदर फाइल किया जाएगा।

8. सुलह अधिकारी के लिए आवेदन- कोई भी कर्मचारी जो शिकायत समिति के निर्णय से व्यथित है या जिसकी शिकायत का समाधान आवेदन प्राप्त होने के तीस दिनों के भीतर उक्त समिति द्वारा नहीं किया गया है, वह श्रम और रोजगार मंत्रालय के नामनिर्दिष्ट पोर्टल पर या त्वरित डाक द्वारा, या व्यक्तिगत रूप से, शिकायत समिति के निर्णय की तारीख से साठ दिनों की अवधि के भीतर या तारीख से जिससे संहिता की धारा 4 की उप-धारा (6) में निर्दिष्ट अवधि समाप्त हो जाती है जैसा भी मामला हो, व्यवसाय संघ के माध्यम से सुलह अधिकारी को जिसका वह सदस्य है ऑनलाइन आवेदन फाइल कर सकता है।

परन्तु त्वरित डाक के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से इस तरह के आवेदन की मैन्युअल प्राप्ति के मामले में, सुलह अधिकारी उसी को डिजिटाइज करेगा और व्यवसाय संघ और कार्यकर्ता को सूचित करते हुए ऑनलाइन तंत्र में आवेदन का विवरण फाइल करेगा।

अध्याय 3

व्यवसाय संघ

9. वार्ताकारी संघ अथवा संघ परिषद को मान्यता देने की रीति:-

(1) **वार्ता संबंधी मामले.-** श्रमिकों से संबंधित मामले, जो वार्ताकारी संघ या वार्ता परिषद, जैसा भी मामला हो, संहिता की धारा 14 की उप-धारा (1) के अधीन औद्योगिक स्थापन के नियोक्ता के साथ वार्ता करेंगे, नीचे विनिर्दिष्ट हैं:-

(i) कर्मकारों के ग्रेडों और वर्गों का श्रेणीकरण;

(ii) औद्योगिक स्थापनमें लागू स्थायी आदेशों के अधीन नियोक्ता द्वारा पारित आदेश,

(iii) वेतन अवधि, महंगाई भत्ता, बोनस, वेतन वृद्धि, परम्परागत छूट या विशेषाधिकार, प्रतिपूरक तथा अन्य भत्तों सहित कर्मकारों का वेतन,

(iv) कर्मकारों के कार्य घंटे, उनके विराम दिवस, सप्ताह में कार्य दिवसों की संख्या, विराम अंतराल, पालियों की कार्यशीलता:

(v) वेतन सहित छुट्टी और अवकाश,

(vi) प्रोन्नति एवं स्थानांतरण नीति और अनुशासनिक कार्य विधि:

(vii) कर्मकारों के लिए क्वार्टर आवंटन नीति:

(viii) सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्यदशाएं और इससे संबंधित मानक:

(ix) सेवा की शर्तों और रोजगार के निबंधन से संबंधित अन्य विषय जो पूर्वोक्त खंडों में शामिल नहीं हैं; और

(x) औद्योगिक स्थापनके नियोक्ता तथा वार्ताकारी संघ व परिषद के बीच सहमत अन्य कोई विषय।

(2) संहिता की धारा 14 की उप-धारा 2 के अधीन एकमात्र पंजीकृत वार्ताकारी संघ को मान्यता देने का मापदंड - जहां पर किसी औद्योगिक स्थापन में केवल एक पंजीकृत संघ काम कर रही है जिसके औद्योगिक स्थापन में नियोजित कुल कर्मकारों के

कम से कम तीस प्रतिशत सदस्य हैं तब ऐसे औद्योगिक स्थापन का नियोक्ता ऐसी व्यवसाय संघ को कर्मकारों की एकमात्र वार्ताकारी संघ के रूप में मान्यता देगा।

(3). संहिता की धारा 14 की उप-धारा (3) और (4) के अधीन व्यवसाय संघों की सदस्यता के सत्यापन की रीति- (क) (i) केंद्रीय सरकार औद्योगिक स्थापन में व्यवसाय संघों की सदस्यता के सत्यापन के उद्देश्य के लिए एक सत्यापन अधिकारी (इसमें इस अध्याय के पश्चात् सत्यापन अधिकारी कहा गया है) नियुक्त करेगी जिसका औद्योगिक स्थापन में किसी भी व्यवसाय संघ में कोई हित नहीं होगा जिसकी सदस्यता का सत्यापन उसके द्वारा किया जाना है।

परन्तु वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद, जैसी भी स्थिति हो, को मान्यता देने की प्रक्रिया संहिता के अधीन नियोक्ता द्वारा मान्यता प्राप्त वार्ताकारी संघ अथवा वार्ताकारी परिषद, जैसा भी मामला हो, की विद्यमान मान्यता अवधि की पदावधि समाप्ति होने के तीन महीने से पहले आरंभ की जाएगी।

(ii) सत्यापन अधिकारी सदस्यता सत्यापन के कार्य की मात्रा के आधार पर अपनी सहायता के लिए अतिरिक्त सत्यापन अधिकारियों की सेवा का उपयोग कर सकता है।

(iii) सत्यापन अधिकारी केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित समय सीमा में औद्योगिक स्थापन में सदस्यता सत्यापन का कार्य करेगा।

(ख) औद्योगिक स्थापन का नियोक्ता सभी खर्चों को वहन करेगा और खंड (क) के अधीन व्यवसाय संघों की सदस्यता के सत्यापन के संबंध में व्यवस्था करेगा।

(ग) व्यवसाय संघ निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर औद्योगिक स्थापन के नियोक्ताओं को कर्मकारों की वार्ताकार संघ अथवा वार्ताकारी परिषद के प्रतिनिधियों, जैसा मामला हो, का दर्जा प्रदान करने के लिए आवेदन करेंगी:-

(i) ऐसे संघ के पास व्यवसाय संघ अधिनियम, 1926 अथवा औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020) का 35) जैसी भी स्थिति हो, के अधीन, वैध पंजीकरण होना चाहिए, और

(ii) व्यवसाय संघ में मान्यता के आवेदन के साथ पंजीकरण प्रमाण-पत्र की प्रति, सदस्यों की सूची की प्रति, सदस्यता अभिदान विवरण और व्यवसाय संघ रजिस्ट्रार के पास जमा कराई गई व्यवसाय संघ की नवीनतम वार्षिक विवरणी की प्रति संलग्न हो।

(घ) (i) यदि संहिता के अधीन वार्ताकारी संघ अथवा वार्ताकारी परिषद गठित की गई है तो औद्योगिक स्थापन का नियोक्ता, वार्ताकारी संघ अथवा वार्ताकारी परिषद के पदाधिकारी के कार्यकाल की समाप्ति से पर्याप्त समय से पहले लेकिन वह अवधि तीन महीने में अधिक न हो, वार्ताकारी संघ अथवा वार्ताकारी परिषद, जैसी भी स्थिति हो, के पदाधिकारी के कार्यकाल की समाप्ति से पहले कार्रवाई आरंभ करेगा:

(ii) व्यवसाय संघों की सदस्यता के सत्यापन के प्रयोजनार्थ तारीख की गणना औद्योगिक स्थापन के सत्यापन अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाएगी;

(iii) स्थापना का नियोक्ता व्यवसाय संघों द्वारा प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों और अभिलेखों को सत्यापन अधिकारी के पास भेजेगा;

(iv) दस्तावेजों और अभिलेखों के प्राप्त होने पर सत्यापन अधिकारी व्यवसाय संघ के पंजीकरण की प्रास्थिति और संबंधित मामलों को अभिनिश्चित करने के लिए व्यवसाय संघ द्वारा प्रस्तुत किए गए अभिलेखों या प्रलेखों की जांच करेगा;

(v) सत्यापन अधिकारी औद्योगिक स्थापनके नियोक्ता और सभी प्रतिभागी संघों के प्रतिनिधियों के साथ गुप्त मतदान के माध्यम से व्यवसाय संघों की सदस्यता के सत्यापन की प्रक्रिया में निर्णय करने के लिए बैठक आयोजित करेगा,

(vi) नियोक्ता सत्यापन अधिकारी के परामर्श से सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, ऑनलाइन प्लेटफार्म या इसी प्रकार के प्लेटफार्म पर निर्वाचन प्रक्रिया कराने के लिए इलैक्ट्रॉनिक प्रक्रिया का उपयोग कर सकता है।

(4) गुप्त मतदान के माध्यम से सदस्यता का सत्यापन- (क) सत्यापन अधिकारी वास्तविक मतदान की तारीख से 60 दिन पहले निम्नलिखित पर निर्णय करने के लिए औद्योगिक स्थापन में कार्यरत सभी पंजीकृत व्यवसाय संघों के प्रतिनिधियों की एक बैठक आयोजित करेगा -

- (i) मतदाता सूची का प्रकाशन;
- (ii) मतदान की तारीख, समय, विधि, मतदान का स्थान;
- (iii) मतगणना की तारीख, समय और गणना स्थान; और
- (iv) गुप्त मत से संबंधित अन्य कार्य रीतियां

(ख) सत्यापन अधिकारी बैठक के कार्यवृत्त को तैयार कराएगा और सभी प्रतिभागी व्यवसाय संघों से हस्ताक्षर कराएगा।

(ग) सभी प्रतिभागी व्यवसाय संघों को इसी बैठक में निर्वाचन चिह्न आवंटित किए जाएंगे।

(घ) यदि किसी कारणवश तारीख, समय, मतदान की विधि, मतदान के स्थान, निशान के आवंटन, गणना की तारीख, समय और स्थान तथा इसी प्रकार के विषयों पर बैठक में कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तब सत्यापन अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और वह ऐसे गुप्त मतदान की समय सूची, कार्यक्रम तथा कार्य विधि को प्रकाशित करेगा।

(ङ) सभी कर्मकार, जिनके नाम गणना की तारीख में औद्योगिक स्थापनके मस्टर रोल पर लिखे गए हैं, अपना मत देने के लिए पात्र होंगे।

(च) मतदाता सूची औद्योगिक स्थापन के नियोक्ता द्वारा खंड (ङ) में उल्लिखित मस्टर रोल पर लिखे गए श्रमिकों के नाम के आधार पर तैयार की जाएगी और मतदाता सूची में नाम, पिता का नाम, पदनाम, नियोक्ता द्वारा जारी कर्मकार संख्या/पहचान पत्र संख्या और कर्मकार की तैनाती का स्थान का उल्लेख होगा।

(छ) अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन नियोक्ता द्वारा सत्यापन अधिकारी का अनुमोदन लेने के पश्चात किया जाएगा और उसे औद्योगिक स्थापनके प्रवेश द्वार पर नोटिस बोर्ड और वेबसाइट, यदि कोई हो, पर प्रदर्शित किया जाएगा। इस मतदाता सूची के अंतिम रूप दिए जाने के दो दिनों के भीतर इसकी एक प्रति प्रतिभागी व्यवसाय संघों को दस्ती रूप में या त्वरित डाक द्वारा अथवा इलैक्ट्रॉनिक साधन के द्वारा भेजी जाएगी।

(ज) सत्यापन अधिकारी सूची को अंतिम रूप देने के दो दिनों के भीतर औद्योगिक स्थापन के मुख्य प्रवेश द्वार पर नोटिस बोर्ड पर और वेबसाइट, यदि कोई हो, उन्हें आवंटित चिह्न के साथ भाग लेने वाली व्यवसाय संघों के नाम की सूची प्रदर्शित करेगा।

(झ) मतदान और वोटों की गिनती सत्यापन अधिकारी के पर्यवेक्षण में सत्यापन अधिकारी द्वारा निर्धारित तारीख, समय और स्थान पर की जाएगी और गिनती के दौरान सभी प्रतिभागी व्यवसाय संघों के अभिकर्ताओं को उपस्थित रहने की अनुमति होगी;

(ञ) वोटों की अंतिम गिनती होने के बाद सत्यापन अधिकारी द्वारा परिणाम घोषित किया जाएगा। इसमें निर्वाचन में भाग लेने वाली सभी व्यवसाय संघों के नामों, डाले गए मतों की कुल संख्या और प्रत्येक व्यवसाय संघ, जिसने निर्वाचन में भाग लिया है, के पक्ष में डाले गए वोटों की संख्या का उल्लेख होगा।

(5) सत्यापन रिपोर्ट - सत्यापन अधिकारी, औद्योगिक स्थापन के नियोक्ता को परिणामशीट के साथ सत्यापन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

(6) वार्ताकार संघ या वार्ताकार परिषद के घटक के रूप में व्यवसाय संघ को मान्यता – (क) सत्यापन अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर औद्योगिक स्थापन के नियोक्ता, किसी व्यवसाय संघ को वार्ताकार संघ अथवा वार्ता परिषद के घटक के रूप में मान्यता प्रदान करेगा।

(ख) खंड (क) के अधीन प्रदान की गई मान्यता चाहे व वार्ताकारी संघ के रूप में हो या वार्ताकार परिषद के रूप में हो। मान्यता या गठन की तारीख से तीन वर्षों तक वैध होगी अथवा ऐसी आगामी किसी अवधि तक, कुल 5 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए, जैसाकि नियोक्ता और वार्ताकार संघ या वार्ताकार परिषद मान्यता, जैसा भी मामला हो, पारस्परिक सहमति से निर्धारित किया जाए।

(7) औद्योगिक स्थापन द्वारा प्रदान की जाने वाली सुविधाएँ - (क) ऐसे औद्योगिक स्थापन में, जहां वार्ताकार संघ या वार्ताकार परिषद हो, वहां का नियोक्ता निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान करेंगे, अर्थात:-

- (i) वार्ताकार संघ या वार्ताकार परिषद की गतिविधियों से संबंधित सूचना प्रदर्शित करने के प्रयोजनार्थ नोटिस बोर्ड,
- (ii) अनुसूची के अनुसार वार्ताकार संघ या वार्ताकार परिषद द्वारा चर्चा करने हेतु आयोजन स्थल और अपेक्षित सुविधाएं एवं औद्योगिक स्थापन के नियोक्ता तथा वार्ताकार संघ या वार्ताकार परिषद जैसा भी मामला हो, के बीच निपटान किए जाने हेतु कार्यसूची;
- (iii) वार्ताकार संघ के सदस्यों या वार्ताकार परिषद के घटकों के बीच चर्चा के लिए आयोजन स्थल और आवश्यक सुविधाएं;
- (iv) कर्मकारों की कामकाजी परिस्थितियों से संबंधित मामलों का पता लगाने के प्रयोजनार्थ औद्योगिक स्थापन में वार्ताकार संघ या वार्ताकार परिषद के पदाधिकारियों के प्रवेश की सुविधा,
- (v) तीन सौ या अधिक श्रमिकों वाले औद्योगिक स्थापन के नियोक्ता, वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद को आवश्यक सुविधाओं के साथ उपयुक्त कार्यालय आवास प्रदान करेंगे।

(ख) औद्योगिक स्थापन का नियोक्ता कर्मकार की लिखित सहमति के आधार पर व्यवसाय संघके सदस्यों की सदस्यता में कटौती करेगा।

(ग) वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद के पदाधिकारियों को सहमत कार्यक्रम के अनुसार नियोक्ता के साथ बैठकें करते समय झूठी पर माना जाएगा

(8) प्राधिकरण के समक्ष विवाद के अधिनिर्णयन के लिए आवेदन - जहां निम्नलिखित के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है—

- (i) किसी एक व्यवसाय संघ या अन्य के बीच, अथवा
- (ii) किसी एक या एक से अधिक कर्मकारों के बीच, जो व्यवसाय संघों के सदस्य हैं और व्यवसाय संघ के बीच पंजीकरण, प्रशासन अथवा प्रबंधन अथवा व्यवसाय संघके पद धारकों के निर्वाचन के संबंध में, अथवा
- (iii) एक या अधिक कर्मकार जो व्यवसाय संघ के सदस्य के रूप में नामांकन में वंचित है, अथवा
- (iv) जहां विवाद व्यवसाय संघके संबंध में है, जो व्यवसाय संघों का संघ है और व्यवसाय संघ द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत किसी पद धारक को प्राधिकृत किया गया हो,

तब प्रभावित कर्मकार अथवा वार्ताकार संघ, जैसी भी स्थिति हो, विवाद उत्पन्न होने की तारीख से एक वर्ष के भीतर संबंधित न्यायाधिकरण के समक्ष इलेक्ट्रॉनिक रूप से या त्वरित डाक से प्ररूप-2 में आवेदन प्रस्तुत करेगा।

अध्याय 4 स्थायी आदेश

10. मॉडल स्थायी आदेश - खान क्षेत्र, विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में औद्योगिक स्थापनों के संबंध में संहिता के प्रयोजनों के लिए मॉडल स्थायी आदेश वे होंगे जो मॉडल स्थायी आदेश, 2026 के अधीन किए गए हैं।

प्रमाणन अधिकारी को सूचना अग्रेषित करना (1) यदि नियोक्ता अपने औद्योगिक स्थापन या उपक्रम से संबंधित मामलों के संबंध में संहिता की धारा 29 में विनिर्दिष्ट केंद्रीय सरकार के मॉडल स्थायी आदेशों को अपनाता है, तो वह संबंधित प्रमाणन अधिकारी को इलेक्ट्रॉनिक रूप से, या व्यक्तिगत रूप से, या त्वरित डाक द्वारा, उस विशिष्ट तारीख को सूचित करेगा जिससे मॉडल स्थायी आदेशों के उपबंधों को अपनाया गया है।

(2) उप-नियम (1) के अधीन अपनाया गया मॉडल स्थायी आदेश औद्योगिक स्थापन और इसकी सभी इकाइयों पर लागू होगा।

(3) उप-नियम (1) के अधीन सूचना प्राप्त होने पर, प्रमाणन अधिकारी उस औद्योगिक स्थापन का विवरण दर्ज करेगा जिसने नियम 17 में निर्दिष्ट रजिस्टर में मॉडल स्थायी आदेश को अपनाया है।

(4) जहां प्रमाणन अधिकारी यह पाता है कि औद्योगिक स्थापन, जिसने मॉडल स्थायी आदेशों को अपनाने की सूचना दी है, वह मॉडल स्थायी आदेशों के अतिरिक्त अन्य गतिविधियों में लगा हुआ है, जिसके लिए मॉडल स्थायी आदेश अपनाए गए हैं, वह इस प्रकार अपनाए गए मॉडल स्थायी आदेशों की सूचना प्राप्त होने से तीस दिनों की अवधि के भीतर, ऐसे निर्देश दे सकता है कि नियोक्ता कुछ उपबंधों को शामिल करेगा या अपनाएगा जो उसके औद्योगिक स्थापन के लिए सुसंगत हैं और ऐसे निर्देश की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर इसका अनुपालन करने के लिए उन सुसंगत उपबंधों को इंगित करेगा और केवल उन उपबंधों के संबंध में एक अनुपालन रिपोर्ट भेजेगा जिन्हें प्रमाणन अधिकारी ने शामिल करने का निर्देश दिया है।

(5) यदि उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट सूचना प्राप्त होने के तीस दिनों की अवधि के भीतर प्रमाणन अधिकारी द्वारा कोई अवलोकन नहीं किया जाता है, तो मॉडल स्थायी आदेश को प्रमाणन अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया गया माना जाएगा।

(6) इन नियमों के उपबंधों के अनुसार अपनाए गए आदर्श स्थायी आदेशों के उपबंध उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट तारीख से प्रभावी होंगे।

(7) प्रमाणन अधिकारी कोई टिप्पणी नहीं करेगा, यदि औद्योगिक स्थापन उन गतिविधियों में लगा हुआ है जो उनके द्वारा पूरी तरह से कवर है, उन पर स्थायी आदेश लागू होते हैं।

11. जहां कोई व्यवसाय संघ नहीं है, वहां औद्योगिक स्थापन अथवा उपक्रम में कर्मकारों के प्रतिनिधियों का चयन करना -

(1) जहां कोई व्यवसाय संघ नहीं है, वहां प्रमाणकर्ता अधिकारी या उसकी ओर से कोई प्राधिकृत अधिकारी, उनके प्रतिनिधियों को चुनने के लिए कर्मकारों की बैठक बुलाएगा, जिनके चुने जाने पर वह स्थायी आदेश या संशोधन, जैसी भी स्थिति हो, की एक प्रति, कर्मकारों के बहुमत द्वारा समझी जाने वाली भाषा में नोटिस जारी करेगा, जिसमें टिप्पणियां या सुझाव, यदि कोई

हों, अपेक्षित होंगे, जिन्हें कर्मकार स्थायी आदेश के प्ररूप पर देना चाहें, जो ऐसी सूचना प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर प्रस्तुत किए जाने हैं।

(2) व्यवसाय संघ या वार्ताकार संघ या वार्ताकार परिषद के घटक को, यथास्थिति, प्रारूप स्थायी आदेश या संशोधन की एक प्रति उस भाषा में दिया जाएगा जिसे अधिकांश कर्मकार जानते हैं, ताकि इस नियम में सूचना प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर उनसे उनकी टिप्पणियां या सुझाव, यदि कोई हों, मांगे जा सकें।

12. प्रमाणित स्थायी आदेश का अधिप्रमाणन - प्रमाणित स्थायी आदेश या स्थायी आदेशों में किए गए संशोधनों को प्रमाणन अधिकारी द्वारा अधिप्रमाणित किया जाएगा और उसे ऐसे अधिप्रमाणन की तारीख से सात दिन के भीतर नियोक्ता और सभी पंजीकृत व्यवसाय संघों या कर्मकारों के चुने हुए प्रतिनिधियों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से और उसकी हार्ड कॉपी त्वरित डाक द्वारा भेजी जाएगी:

परंतु धारा 30 की उप-धारा (3) के अधीन समझे गए प्रमाणन के मामलों में तथा ऐसे मामलों में जहां नियोक्ता ने आदर्श स्थायी आदेशों को अंगीकार किए जाने को प्रमाणित कर दिया है, इस नियम के अधीन प्रमाणीकरण की कोई आवश्यकता नहीं होगी।

13. प्रारूप स्थायी आदेश के साथ संलग्न किया जाने वाला विवरण- (1) प्रारूप स्थायी आदेश के साथ संलग्न किए जाने वाले विवरण में, संबंधित औद्योगिक स्थापन या उपक्रम का नाम, पता, ई-मेल पता, संपर्क संख्या और उसमें नियोजित कर्मकारों की संख्या और व्यौरा, जिसमें व्यवसाय संघों, यदि कोई हो, का विवरण शामिल होगा, जिससे ऐसे कर्मकार संबंधित हैं।

(2) किसी विद्यमान स्थायी आदेश में प्रारूप संशोधन के साथ संलग्न किए जाने वाले विवरण में ऐसे स्थायी आदेश का विवरण होगा जिसे संशोधित किए जाने का प्रस्ताव है, साथ ही एक सारणीबद्ध विवरण होगा जिसमें प्रवृत्त उस स्थायी आदेश के प्रत्येक सुसंगत उपबंध और उसमें प्रस्तावित संशोधन तथा उसके कारणों का विवरण होगा।

(3) उप-नियम (1) और (2) में निर्दिष्ट विवरण पर औद्योगिक स्थापन या उपक्रम द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे।

(4) आदर्श स्थायी आदेश, यदि संशोधित किए जाते हैं, तो देश में औद्योगिक स्थापन या उपक्रम की सभी इकाइयों पर भी लागू होंगे।

14. समान स्थापन में प्रारूप स्थायी आदेश प्रस्तुत करने की शर्तें - समान औद्योगिक स्थापनों में लगे नियोक्ताओं के समूह के मामले में, वे संबंधित व्यवसाय संघ के परामर्श के बाद धारा 30 के अधीन स्थायी आदेश का एक संयुक्त प्रारूप प्रस्तुत कर सकते हैं, तथा इन नियमों के उपबंध लागू होंगे।

परन्तु समान औद्योगिक स्थापनों में लगे नियोक्ताओं के समूह के मामले में, स्थायी आदेशों का संयुक्त प्रारूप तैयार किया जाएगा और अपर मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) को प्रस्तुत किया जाएगा, जो संबंधित प्रमाणकर्ता अधिकारियों के परामर्श से, इसके लिए कारण अभिलिखित करने के पश्चात ऐसे संयुक्त प्रारूप स्थायी आदेशों को प्रमाणित करेगा:

परन्तु यह भी कि प्रमाणकर्ता अधिकारी सभी संबंधित पक्षों को नोटिस देगा तथा स्थायी आदेशों को प्रमाणित करने से पहले सुनवाई का उचित अवसर सुनिश्चित करेगा।

15. अपील का निपटान - (1) कोई नियोक्ता या व्यवसाय संघ या वार्ताकारी संघ या वार्ता परिषद, या जहां किसी औद्योगिक स्थापन या उपक्रम में कोई वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद नहीं है, वहां कोई संघ या औद्योगिक स्थापन या उपक्रम के कर्मकारों का ऐसा प्रतिनिधि निकाय, धारा 30 की उप-धारा (5) के अधीन किए गए प्रमाणकर्ता अधिकारी के आदेश के विरुद्ध ऐसे आदेश की प्राप्ति के साठ दिन के भीतर अपील कर सकेगा और उस प्रयोजन के लिए सारणीबद्ध रूप में अपील का ज्ञापन

तैयार करेगा जिसमें उन स्थायी आदेशों के उपबंधों का, जिन्हें परिवर्तित या संशोधित या हटाया या जोड़ा जाना अपेक्षित है, कारण सहित उल्लेख होगा और उसे अपीलीय प्राधिकारी के पास इलेक्ट्रॉनिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से फाइल करेगा।

(2) अपीलीय प्राधिकारी, अपील की सुनवाई के लिए तारीख नियत करेगा और उसकी सूचना देने का निदेश देगा, -

(क) जहां अपील नियोक्ता द्वारा फाइल की जाती है, वहां यथास्थिति, व्यवसाय संघ या वार्ताकार संघ या वार्ताकार परिषद् को, या जहां औद्योगिक स्थापन या उपक्रम में कोई वार्ताकार संघ या वार्ताकार परिषद् नहीं है, वहां औद्योगिक स्थापन या उपक्रम के कर्मकारों के किसी संघ या ऐसे प्रतिनिधि निकाय को;

(ख) जहां अपील किसी व्यवसाय संघ या वार्ताकार संघ या वार्ताकार परिषद् द्वारा फाइल की जाती है, वहां यथास्थिति, नियोक्ता और वार्ताकार संघ या वार्ताकार परिषद् या कर्मकारों के अन्य सभी व्यवसाय संघों को, या जहां किसी औद्योगिक स्थापन या उपक्रम में कोई वार्ताकारी संघ या वार्ताकारी परिषद् नहीं है, वहां औद्योगिक स्थापन या उपक्रम के कर्मकारों के किसी संघ या ऐसे प्रतिनिधि निकाय को; और

(ग) जहां अपील कर्मकारों के प्रतिनिधि निकाय द्वारा फाइल की जाती है, वहां नियोक्ता और औद्योगिक स्थापन के कर्मकारों के अन्य ट्रेड संघों, या जहां किसी औद्योगिक स्थापन या उपक्रम में कर्मकारों का कोई व्यवसाय संघ नहीं है, वहां किसी अन्य कर्मकार को जो अपील में पक्षकार के रूप में शामिल होता है।

(3) अपीलकर्ता प्रत्येक प्रत्यर्थी को उप-नियम (1) में निर्दिष्ट, अपील ज्ञापन की एक प्रति देगा।

(4) अपीलीय प्राधिकारी कार्यवाही के किसी भी चरण में कोई साक्ष्य मांग सकेगा, यदि वह अपील के निपटान के लिए इसे आवश्यक समझे।

(5) अपीलीय प्राधिकारी अपील की सुनवाई के लिए उप-नियम (2) के अधीन नियत तारीख पर, ऐसा साक्ष्य लेगा जिसे उसने मांगा हो या जिसे वह प्रस्तुत किए जाने पर सुसंगत समझे, और पक्षकारों को सुनने के पश्चात् अपील का निपटान करेगा।

16. आदेश और स्थायी आदेशों के पाठ का प्रेषण - (1) अपीलीय प्राधिकारी द्वारा आदेश अपील के निपटान के तीन दिन के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से या अन्यथा नियोक्ता या व्यवसाय संघ या वार्ता संघ या वार्ता परिषद् या कर्मकारों का कोई संघ या प्रतिनिधि निकाय, जैसा भी मामला हो, जिसके द्वारा अपील फाइल की गई है, को भेजा जाएगा।

(2) इस अध्याय के अधीन अंतिम रूप से प्रमाणित या प्रमाणित माने गए या अपनाए गए आदर्श स्थायी आदेशों का पाठ नियोक्ता द्वारा हिन्दी व अंग्रेजी तथा स्थानीय भाषा में रखा जाएगा।

(3) प्रमाणित स्थायी आदेश नियोक्ता द्वारा सुपाठ्य स्थिति में प्रदर्शित किए जाएंगे। औद्योगिक स्थापन के प्रवेश द्वार पर या उसके निकट इस प्रयोजन के लिए लगाए जाने वाले विशेष बोर्ड पर, जहां से अधिकांश कर्मकार प्रवेश करते हैं, सूचना अंकित की जाएगी तथा इसे ऐसे औद्योगिक स्थापन के निर्दिष्ट पोर्टल/वेबसाइट, यदि कोई हो, पर भी प्रदर्शित किया जा सकता है।

17. स्थायी आदेशों के लिए रजिस्टर - (1) प्रमाणित करने वाला अधिकारी सभी संबंधित औद्योगिक स्थापनों के अंतिम रूप से प्रमाणित स्थायी आदेशों या प्रमाणित माने गए या अपनाए गए आदर्श स्थायी आदेशों का, इलेक्ट्रॉनिक रूप में, प्ररूप-3 में एक रजिस्टर बनाए रखेगा जिसमें निम्नलिखित का ब्यौरा होगा -

(क) प्रत्येक स्थायी आदेश को समुद्देशित विशिष्ट संख्या;

(ख) औद्योगिक स्थापन का नाम;

(ग) औद्योगिक स्थापन की प्रकृति;

(घ) प्रत्येक स्थापन या उपक्रम द्वारा प्रमाणन या मानित प्रमाणन की तारीख या मॉडल स्थायी आदेशों को अपनाने की तारीख;

(ङ) औद्योगिक स्थापन के संचालन के क्षेत्र; और

(च) ऐसे अन्य विवरण जो स्थायी आदेशों को पुनः प्राप्त करने में सुसंगत और सहायक हो सकते हैं और ऐसे सभी स्थायी आदेशों का एक डेटाबेस तैयार करना।

(2) प्रमाणन अधिकारी उप-नियम (1) में निर्दिष्ट प्रमाणित स्थायी आदेशों या प्रमाणित स्थायी आदेशों की एक प्रति, उसके लिए आवेदन करने वाले किसी भी व्यक्ति को, प्रमाणित स्थायी आदेशों या प्रमाणित स्थायी आदेशों, यथास्थिति, को प्रति पृष्ठ दो रूपए के भुगतान पर उपलब्ध कराएगा।

(3) प्रमाणित स्थायी आदेश प्राप्त करने के लिए फीस का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक रूप से भी किया जा सकता है।

18. स्थायी आदेशों के संशोधन के लिए आवेदन. – (1) किसी विद्यमान स्थायी आदेशों के संशोधन के लिए आवेदन इलेक्ट्रॉनिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से या त्वरित डाक द्वारा प्रस्तुत किया जाएगा।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन के ऐसे स्थायी आदेशों के विवरण होंगे जिन्हें संशोधित करने का प्रस्ताव है, साथ ही एक सारणीबद्ध विवरण भी होगा जिसमें लागू स्थायी आदेश के प्रत्येक सुसंगत उपबंध का विवरण, और उनमें प्रस्तावित संशोधन, उनके कारण और उनमें कार्यरत पंजीकृत व्यवसाय संघों के विवरण होंगे।

(3) उप-नियम (2) में उल्लिखित विवरण पर औद्योगिक स्थापन या उपक्रम या कर्मकारों या व्यवसाय संघ या कर्मकारों के अन्य प्रतिनिधि निकाय द्वारा, जैसा भी मामला हो, के अधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसने संशोधन के लिए ऐसा आवेदन प्रस्तुत किया है।

अध्याय 5 परिवर्तन का नोटिस

19 परिवर्तन के लिए नोटिस - (1) कोई भी नियोक्ता जो किसी कामगार पर लागू सेवा की शर्तों में कोई बदलाव करना चाहता है, जो संहिता की तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किसी भी मामले से संबंधित हो, उन्हें ऐसे परिवर्तन से प्रभावित होने वाले कामगारों को प्रपत्र-4 में इलेक्ट्रॉनिक रूप के माध्यम से या त्वरित डाक द्वारा या व्यक्तिगत रूप से नोटिस देना होगा और औद्योगिक स्थापन के नामनिर्दिष्ट पोर्टल, यदि कोई हो, पर भी इस नोटिस को अपलोड करना होगा।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट नोटिस नियोक्ता द्वारा नोटिस बोर्ड पर या औद्योगिक स्थापन के मुख्य प्रवेश द्वार पर इलेक्ट्रॉनिक नोटिस बोर्ड पर स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगा:

परन्तु जब कोई पंजीकृत व्यवसाय संघ या पंजीकृत अनेक व्यवसाय संघ या संबंधित कोई वार्ताकार संघ या वार्ताकार परिषद है, तो ऐसे व्यवसाय संघ के सचिव या ऐसे व्यवसाय संघों के प्रत्येक सचिव को या वार्ता संघ के सचिव या वार्ता परिषद के घटक, जैसा भी मामला हो, को उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट रीति से ऐसी सूचना की एक प्रति भी दी जाएगी।

अध्याय-6
माध्यस्थम हेतु विवादों का स्वैच्छिक संदर्भ

20. माध्यस्थम समझौते का प्ररूप और पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षर करने की रीति — (1) नियोक्ता और कर्मकार, दिए गए प्ररूप-5 के अनुसार माध्यस्थम समझौता करके किसी औद्योगिक विवाद को माध्यस्थम के लिए भेजने पर सहमत हो सकते हैं।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट माध्यस्थम करार पर उक्त करार के पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे और इसके साथ मध्यस्थ या मध्यस्थों की लिखित या इलेक्ट्रॉनिक रूप से सहमति होगी।

(3) उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट माध्यस्थम समझौता पर हस्ताक्षर किए जाएंगे

- (i) नियोक्ता के मामले में, स्वयं नियोक्ता द्वारा, अथवा जहां नियोक्ता निगमित कंपनी है अथवा अन्य निकाय कारपोरेट है, वहाँ ऐसे प्रयोजन हेतु प्राधिकृत कारपोरेशन के अभिकर्ता, प्रबंधक अथवा अन्य अधिकारी द्वारा;
- (ii) कर्मकारों के मामले में, इस संबंध में प्राधिकृत पंजीकृत व्यवसाय संघ के अधिकारी द्वारा अथवा ऐसे प्रयोजन हेतु आयोजित संबंधित कर्मकारों की बैठक में इस संबंध में विधिवत् प्राधिकृत कर्मकारों के पांच प्रतिनिधियों द्वारा; और
- (iii) किसी एक कर्मकार के मामले में, स्वयं ऐसे कर्मकार द्वारा अथवा पंजीकृत व्यवसाय संघ के अधिकारी द्वारा, जिसका वह सदस्य है, या उसी स्थापन में उसके द्वारा इस प्रयोजन हेतु विधिवत् प्राधिकृत किसी अन्य कर्मकार द्वारा।

स्पष्टीकरण -- इस नियम में “अधिकारी” शब्द, से निम्नलिखित अभिप्रेत है -

- (क) नियोक्ताओं के किसी संघ के मामले में, इसका तात्पर्य ऐसे प्रयोजन के लिए प्राधिकृत नियोक्ताओं के ऐसे संघ के किसी अधिकारी से है; और
- (ख) पंजीकरण व्यवसाय संघ के मामले में, इसका तात्पर्य ऐसे उद्देश्य के लिए प्राधिकृत ऐसे व्यवसाय संघ के निम्नलिखित अधिकारियों में से किसी अधिकारी से है, अर्थात्:-

- (i) अध्यक्ष; या
- (ii) उपाध्यक्ष; या
- (iii) सचिव (महासचिव सहित); या
- (iv) संयुक्त सचिव; या
- (v) ऐसे व्यवसाय संघ का कोई अन्य अधिकारी, जो ऐसे व्यवसाय संघ के अध्यक्ष और सचिव द्वारा इस प्रयोजन हेतु प्राधिकृत किया गया हो।

21. अधिसूचना जारी करना - जहां कोई औद्योगिक विवाद माध्यस्थम के लिए संदर्भित किया गया है तथा केंद्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट है कि मामले को भेजने वाले व्यक्ति प्रत्येक पक्ष के बहुमत का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो वह इस संबंध में आधिकारिक राजपत्र में एक अधिसूचना प्रकाशित करेगी और इसे श्रम और रोजगार मंत्रालय की वेबसाइट पर उन नियोक्ताओं और कर्मकारों की जानकारी के लिए अपलोड करेगी जो माध्यस्थम के लिए समझौते के पक्षकार नहीं हैं, लेकिन विवाद से संबंधित हैं ताकि वे इस तरह के उद्देश्य के लिए प्राधिकृत मध्यस्थ या मध्यस्थों के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत कर सकें।

22. जहां कोई व्यवसाय संघ नहीं है वहां कर्मकारों के प्रतिनिधियों के चयन की रीति - जहां कोई व्यवसाय संघ मध्यस्थ अथवा मध्यस्थों के समक्ष मामले को प्रस्तुत करने हेतु नहीं है, वहां अपना मामला प्रस्तुत करने के लिए कर्मकारों के प्रतिनिधि का चयन संबंधित कर्मकारों के बहुमत द्वारा प्ररूप-6 में पारित प्रस्ताव द्वारा किया जाएगा तथा ऐसे कर्मकार प्रतिनिधियों के क्रियाकलापों द्वारा बाध्य होंगे, जिन्हें मध्यस्थ अथवा मध्यस्थों जैसा भी मामला हो, के समक्ष प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

अध्याय 7

औद्योगिक विवादों के निपटान हेतु तंत्र

23. सुलह की कार्यवाही- (1) जहां सुलह अधिकारी को निम्नलिखित की प्राप्ति होती है -

- (क) नियम 25 या नियम 26 के अधीन दी गई हड़ताल या तालाबंदी की सूचना; या
- (ख) विद्यमान औद्योगिक विवाद के संबंध में आवेदन; या
- (ग) औद्योगिक विवाद की संभावना के संबंध में जानकारी,

वह अधिकारी निम्नलिखित कार्य करेगा-

- (i) खंड (क) के मामले में, निर्दिष्ट पोर्टल पर विवरण दर्ज करेगा और सुलह की कार्यवाही करेगा और संबंधित पक्षों को ऐसे उद्देश्य के लिए बैठने की तारीख सूचित करेगा;
- (ii) खंड (ख) के मामले में, निर्दिष्ट पोर्टल पर विवरण दर्ज करेगा और आवेदन की जांच करेगा और यदि वह पाता है कि ऐसा विवाद राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र से संबंधित है, तो आवेदन को संबंधित प्राधिकारी को अंतरित करेगा या अन्यथा आवेदन के संबंध में आगे की कार्रवाई करेगा और उसके संबंध में सुलह करेगा; और
- (iii) खंड (ग) के मामले में, नामनिर्दिष्ट पोर्टल पर विवरण दर्ज करेगा और संबंधित पक्षों को एक नया नोटिस जारी करेगा जिसमें सुलह की कार्यवाही आरंभ करने का उनका आशय घोषित किया गया हो।

(2) नियुक्ता के प्रतिनिधि और कर्मकार के प्रतिनिधि, उप-नियम (1) में निर्दिष्ट नोटिस प्राप्त होने पर, सुलह कार्यवाही की पहली बैठक में उक्त विवाद के संबंध में अपने संबंधित बयान प्रस्तुत करेंगे।

(3) सुलह अधिकारी, बिना किसी देरी के, विवाद से संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों का पता लगाएगा और उसके गुण-दोष और सही निपटान को प्रभावित करने वाले सभी मामलों की जांच करेगा और विवाद के पक्षकारों के बीच सुलह की कार्यवाही करेगा और ऐसे सभी कार्य कर सकेगा जो वह पक्षों को विवाद के निष्पक्ष और सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से उचित समझता है।

(4) यदि उप-नियम (3) में निर्दिष्ट सुलह कार्यवाहियों में कोई समझौता नहीं होता है, तो सुलह अधिकारी, उस तारीख से सात दिनों के भीतर, जिस पर सुलह की कार्यवाही समाप्त हो जाती है, श्रम और रोजगार मंत्रालय के नामनिर्दिष्ट पोर्टल पर एक रिपोर्ट अपलोड करेगा और इलेक्ट्रॉनिक रूप से या त्वरित डाक के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से विवाद के पक्षकारों और केंद्रीय सरकार को उसकी एक प्रति अग्रेषित करेगा।

(5) रिपोर्ट को श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा उक्त नामनिर्दिष्ट पोर्टल पर संबंधित पक्षों के लिए सुलभ बनाया जाएगा।

(6) यदि सुलह कार्यवाही के दौरान विवाद या विवाद के किसी भी मामले का निपटान हो जाता है, तो सुलह अधिकारी, विवाद के पक्षकारों द्वारा हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के साथ केंद्रीय सरकार या उस सरकार द्वारा इस संबंध में प्राधिकृत एक अधिकारी को उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के अतिरिक्त, साथ ही ऐसी रिपोर्ट और समझौता ज्ञापन श्रम और रोजगार मंत्रालय के नामनिर्दिष्ट पोर्टल पर भी अपलोड करेगा।

(7) सुलह अधिकारी के समक्ष सभी साक्ष्य, दस्तावेजी साक्ष्य को छोड़कर, शपथपत्र के रूप में फाइल किए जाएंगे और विवाद के पक्ष भी आवेदन फाइल करेंगे या, जैसा भी मामला हो, एक शपथपत्र के रूप में उसका उत्तर या प्रत्युत्तर देंगे।

(8) उप-नियम (4) में निर्दिष्ट रिपोर्ट में, *अन्य बातों के साथ-साथ*, विवाद में शामिल नियोक्ता, कर्मकार या व्यवसाय संघ, जैसा भी मामला हो, की प्रस्तुतियाँ शामिल होंगी और इसमें पक्षकारों को सौहार्दपूर्ण समझौते पर लाने के लिए सुलह अधिकारी द्वारा किए गए प्रयास, विवाद को हल करने के लिए पक्षकारों द्वारा इनकार करने के कारण और सुलह अधिकारी द्वारा निकाले गए निष्कर्ष भी शामिल होंगे।

(9) जहां सुलह कार्यवाही के दौरान किसी विवाद का निपटारा नहीं किया जाता है, वहां कोई भी संबंधित पक्ष उप-नियम (5) के अधीन रिपोर्ट की तारीख से नब्बे दिनों के भीतर इलेक्ट्रॉनिक रूप से या त्वरित डाक द्वारा या मूल्य वर्धित सेवाओं के रजिस्ट्रीकरण अथवा परिदान के सबूत द्वारा न्यायाधिकरण के समक्ष प्ररूप-II में आवेदन कर सकता है।

24. बकाया राशि की वसूली के लिए आवेदन – (1) जहां किसी नियोक्ता से किसी कर्मचारी या कर्मकारों के समूह को निपटान या पंचाट के अधीन या संहिता के अध्याय 9 या अध्याय 10 के उपबंधों के अधीन कोई राशि देय है, तो कर्मकारों या कर्मकारों का समूह, जैसा भी मामला हो, देय राशि की वसूली के लिए प्ररूप-7 में आवेदन कर सकता है:

परन्तु कर्मकार द्वारा लिखित रूप में प्राधिकृत व्यक्ति के मामले में, या कर्मकार की मृत्यु के मामले में, मृतक कार्यकर्ता का समनुदेशिती या उत्तराधिकारी प्ररूप-8 में आवेदन करेगा।

(2) जहां कोई कर्मकार या कर्मकार का समूह नियोक्ता से कोई धन या कोई लाभ प्राप्त करने का हकदार है, जो धन के संदर्भ में गणना करने में सक्षम है, कर्मकार या कर्मकार का समूह, जैसा भी मामला हो, देय राशि के निर्धारण के लिए प्ररूप-9 में अधिकार क्षेत्र वाले अधिकरण में आवेदन कर सकता है या, जैसा भी मामला हो, जिस राशि पर इस तरह के लाभ की गणना की जानी चाहिए, और ऐसा न्यायाधिकरण आवेदन फाइल करने की तारीख से तीन महीने से अधिक की अवधि के भीतर आवेदन का फैसला करेगा:

परन्तु इस उप-नियम में निर्दिष्ट कर्मकार की मृत्यु के मामले में, आवेदन प्ररूप-10 में मृतक कर्मकार के समनुदेशिती या उत्तराधिकारी द्वारा किया जाएगा।

अध्याय 8 हड़तालें और तालाबंदी

25. हड़ताल का नोटिस नोटिस दिए जाने वाले व्यक्ति अथवा व्यक्तियों की संख्या, और नोटिस दिए जाने की विधि —

(1) धारा 62 की उपधारा (1) में निर्दिष्ट हड़ताल की नोटिस किसी औद्योगिक स्थापन के नियोक्ता को प्ररूप-11 में दिया जाएगा, जिस पर संबंधित पंजीकृत व्यवसाय संघ के सचिव या जहां कोई पंजीकृत व्यवसाय संघ नहीं है, वहां संबंधित औद्योगिक स्थापन से संबंधित नोटिस देने वाले कर्मकारों के पांच निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए जाएंगे, तथा उसकी प्रतिलिपि संबंधित सुलह अधिकारी, मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) और सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय को इलेक्ट्रॉनिक रूप से या त्वरित डाक द्वारा भेजी जाएगी।

(2) संहिता की धारा 62 की उपधारा (1) के खंड (क) में निर्दिष्ट नोटिस की प्राप्ति की तारीख उपनियम (1) के प्रयोजनों के लिए नोटिस प्राप्त करने की तारीख होगी।

(3) यदि किसी औद्योगिक स्थापन के नियोक्ता को उसके द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति से हड़ताल का कोई नोटिस प्राप्त होता है, तो वह ऐसा नोटिस प्राप्त होने की तारीख से पांच दिन के भीतर संबंधित सुलह अधिकारी और मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) को इलेक्ट्रॉनिक रूप से इसकी सूचना देगा।

26. तालाबंदी का नोटिस और प्राधिकार - (1) धारा 62 की उपधारा (2) में निर्दिष्ट तालाबंदी का नोटिस औद्योगिक स्थापन के नियोक्ता द्वारा प्ररूप-12 में ऐसे औद्योगिक स्थापन से संबंधित प्रत्येक पंजीकृत व्यवसाय संघ के सचिव को त्वरित डाक या इलेक्ट्रॉनिक रूप से दिया जाएगा, तथा उसकी एक प्रति संबंधित सुलह अधिकारी, मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) और सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय को इलेक्ट्रॉनिक रूप से भेजी जाएगी।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट नोटिस नियोक्ता द्वारा औद्योगिक स्थापनके मुख्य प्रवेश द्वार पर नोटिस-बोर्ड या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर सुस्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगा और उक्त नोटिस की एक प्रति ऐसे औद्योगिक स्थापनके निर्दिष्ट पोर्टल, यदि कोई हो, पर भी पोस्ट की जा सकेगी और सुलह अधिकारी द्वारा ऐसे नोटिस की प्राप्ति की तारीख नियम 23 के उपनियम (1) के खंड (क) के प्रयोजनों के लिए नोटिस प्राप्त करने की तारीख होगी।

(3) यदि नियोक्ता अपने द्वारा नियोजित किसी व्यक्ति को तालाबंदी का नोटिस देता है, तो वह ऐसे नोटिस की तारीख से पांच दिन के भीतर संबंधित सुलह अधिकारी और मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) को इलेक्ट्रॉनिक रूप से इसकी सूचना देगा।

अध्याय 9

कामबंदी, छंटनी, बंदी

27. कर्मकार की छंटनी से पूर्व नोटिस देना-यदि कोई नियोक्ता अपने औद्योगिक स्थापन में नियोजित किसी ऐसे कर्मकार की छंटनी करना चाहता है, जो उसके अधीन कम से कम एक वर्ष तक लगातार सेवा में रहा हो, तो ऐसा नियोक्ता ऐसी छंटनी की पूर्व सूचना प्ररूप-13 में केन्द्रीय सरकार को और संबंधित उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) को ई-मेल के माध्यम से त्वरित डाक द्वारा निम्नलिखित रीति से देगा, अर्थात:-

(क) जहां संहिता की धारा 70 के खंड (क) के अधीन किसी कर्मकार को पूर्व नोटिस दिया जाता है, वहां छंटनी का नोटिस कर्मकार को नोटिस दिए जाने की तारीख से तीन दिन के भीतर भेजा जाएगा;

(ख) जहां संहिता की धारा 70 के खंड (क) के अधीन कर्मचारी को कोई नोटिस नहीं दिया जाता है और उसे इसके बदले में एक महीने का वेतन दिया जाता है, वहां छंटनी का नोटिस ऐसे वेतन के भुगतान की तारीख से तीन दिन के भीतर भेजा जाएगा; और

(ग) जहां छंटनी किसी ऐसे समझौते के अधीन की जाती है, जिसमें सेवा समाप्ति की तारीख निर्दिष्ट होती है, वहां छंटनी का नोटिस इस प्रकार भेजा जाएगा कि वह केन्द्रीय सरकार तक पहुंच जाए और उसकी एक प्रति उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) को ऐसी तारीख से कम से कम एक महीने पहले भेजी जाए:

परन्तु यदि सेवा समाप्ति की सहमत तारीख समझौते के तीस दिन के भीतर है, तो छंटनी की सूचना समझौते के तीन दिन के भीतर संबंधित उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) को उसकी एक प्रति के साथ केन्द्र सरकार को भेजी जाएगी।

28. छंटनी किए गए कर्मचारों को पुनः नियोजन का अवसर देने की रीति - (1) नियोक्ता उस विशेष श्रेणी के सभी कर्मचारों की सूची तैयार करेगा, जिसमें से छंटनी अपेक्षित है, तथा उन्हें उस श्रेणी में उनकी सेवा की वरिष्ठता के अनुसार व्यवस्थित करेगा और उसकी एक प्रति छंटनी की वास्तविक तारीख से कम से कम सात दिन पूर्व औद्योगिक स्थापन के परिसर में किसी प्रमुख स्थान पर सूचना पट्ट पर चिपकाएगा।

(2) जब किसी औद्योगिक स्थापन में कोई रिक्ति होती है और ऐसी रिक्तियों को भरने के प्रस्ताव से एक वर्ष पूर्व ऐसे औद्योगिक स्थापन के कर्मचारियों की छंटनी की गई हो, तो ऐसे औद्योगिक स्थापन का नियोक्ता, यदि ऐसे कर्मचारी भारत के नागरिक हैं और उन्होंने नियोजन के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है, तो उनकी सेवा वरिष्ठता के आधार पर उन्हें अन्य पर वरीयता देगा।

(3) नियोक्ता, औद्योगिक स्थापन के परिसर में किसी सुस्पष्ट स्थान पर सूचना पट्ट पर रिक्तियों का ब्यौरा, रिक्तियों को भरे जाने की तारीख से कम से कम पंद्रह दिन पूर्व प्रदर्शित करने की व्यवस्था करेगा तथा उन रिक्तियों की सूचना त्वरित डाक या ई-मेल के माध्यम से उन सभी छंटनीकृत कर्मचारियों को देगा, जो उसके लिए विचार किए जाने के पात्र हैं, तथा छंटनी के समय या उसके बाद किसी भी समय उनमें से प्रत्येक द्वारा दिए गए अंतिम पते या ई-मेल पर देगा:

परन्तु जब ऐसी रिक्तियों की संख्या छंटनी किए गए कर्मचारियों की संख्या से कम हो, तो यह पर्याप्त होगा कि नियोक्ता द्वारा उप-नियम (1) में निर्दिष्ट सूची में सबसे वरिष्ठ छंटनी किए गए कर्मचारियों को व्यक्तिगत रूप से सूचना दी जाए और ऐसे वरिष्ठतम कर्मचारियों की संख्या ऐसी रिक्तियों की संख्या से दोगुनी हो:

परन्तु यह और भी कि जहाँ रिक्ति एक महीने से कम अवधि की हो, वहाँ नियोक्ता पर ऐसी रिक्ति की सूचना देने का कोई दायित्व नहीं होगा:

परन्तु यह और भी कि यदि कोई छंटनी किया गया कर्मचारी, नियोक्ता को लिखित रूप में पर्याप्त कारण बताए बिना, इस उप-नियम के अधीन नियोक्ता द्वारा उसे भेजी गई सूचना में निर्दिष्ट तारीख या तारीखों पर पुनर्नियोजन के लिए स्वयं को प्रस्तुत नहीं करता है, तो नियोक्ता उसे किसी भी बाद के अवसर पर भरी जा सकने वाली रिक्तियों की सूचना नहीं दे सकता है।

(4) उप-नियम (3) के उपबंधों का अनुपालन करने के तुरंत बाद, नियोक्ता, औद्योगिक स्थापन से संबद्ध वार्ताकार संघ या वार्ता परिषद के घटक या व्यवसाय संघों को, भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या और उन छंटनीग्रस्त कर्मचारियों के नामों की भी सूचना देगा, जिन्हें उस उप-नियम के अधीन सूचना भेजी गई है:

परन्तु नियोक्ता द्वारा इस उप-नियम के उपबंधों का अनुपालन किसी भी स्थिति में आवश्यक नहीं है, जहाँ उप-नियम (1) के अधीन तैयार की गई सूची में उल्लिखित प्रत्येक कर्मचारियी को सूचना भेजी जाती है।

29. जाशयित बंदी के लिए नोटिस देना - (1) यदि कोई नियोक्ता किसी औद्योगिक स्थापन को बंद करने का आशय रखता है, तो वह उक्त जाशयित बंदी से 60 दिन के भीतर प्ररूप-13 में केन्द्रीय सरकार को ऐसे समापन का नोटिस देगा और उसकी एक प्रति संबंधित उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) को ई-मेल या त्वरित डाक द्वारा भेजेगा।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट नोटिस की एक प्रति औद्योगिक स्थापनों में कार्यरत पंजीकृत व्यवसाय संघों या कर्मचारों के अधिकृत प्रतिनिधियों को भी भेजी जाएगी।

अध्याय 10

कुछ स्थापनों में कामबंदी, छंटनी, बंदी करने से संबंधित विशेष उपबंध

30. नियोक्ता द्वारा आशयित कामबंदी के लिए केन्द्रीय सरकार को आवेदन करने की रीति और ऐसे आवेदन की प्रति कर्मकारों को देने की विधि - (1) नियोक्ता द्वारा प्ररूप-14 में आवेदन किया जाएगा, जिसमें अपेक्षित छंटनी के कारणों का स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा और ऐसे आवेदन की एक प्रति संबंधित कर्मकारों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से, या व्यक्तिगत रूप से, या त्वरित डाक द्वारा उसी समय भेजी जाएगी।

(2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन को नियोक्ता द्वारा औद्योगिक स्थापन के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पट्ट या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर भी सुस्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।

31. कामबंदी जारी रखने के लिए केन्द्रीय सरकार से अनुमति का आवेदन - किसी औद्योगिक स्थापन के खदान होने की स्थिति में, जहां कर्मकारों (बदली कर्मकारों या आकस्मिक कर्मकारों को छोड़कर) को आग, बाढ़ या ज्वलनशील गैस की अधिकता या विस्फोट के कारण कामबंदी कर दी गई है, ऐसी छंटनी के प्रारंभ होने की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर, छंटनी जारी रखने की अनुमति के लिए केन्द्र सरकार को प्ररूप-14 में इलेक्ट्रॉनिक रूप से या त्वरित डाक द्वारा आवेदन करेगा, जिसकी एक प्रति संबंधित उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) को भेजी जाएगी -

- (क) दिनों की संख्या निर्दिष्ट करना;
- (ख) कामबंदी किए जाने वाले कर्मकारों की संख्या सूचित करते हुए;
- (ग) औद्योगिक स्थापन में नियोजित कर्मकारों की कुल संख्या;
- (घ) कामबंदी की तारीख; और
- (ङ) ऐसी कामबंदी जारी रखने के कारण।

32. आदेश की समीक्षा - (1) केन्द्रीय सरकार, स्वप्रेरणा से या नियोक्ता या किसी कर्मकार द्वारा किए गए आवेदन पर अनुमति प्रदान करने या देने से इनकार करने वाले अपने आदेश की समीक्षा कर सकेगी।

(2) नियोक्ता या संबंधित कोई कर्मकार, उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आदेश के साथ, आदेश जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर, आदेश की समीक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार को आवेदन कर सकेगा और वह सरकार, आवेदन जारी होने की तारीख से दो महीने के भीतर, संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, उसका निपटारा करेगी।

(3) जहाँ केन्द्रीय सरकार स्वप्रेरणा से उपधारा (1) में निर्दिष्ट आदेश की समीक्षा करने का निर्णय लेती है, वहाँ वह आदेश जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर आवश्यक कदम उठा सकेगी और संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात, ऐसा निर्णय लिए जाने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर ऐसी समीक्षा का निपटारा कर सकेगी।

33. आशयित छंटनी के लिए आवेदन करने और ऐसे आवेदन की प्रति कर्मकारों को देने की विधि - (1) नियोक्ता द्वारा प्ररूप-14 में इलेक्ट्रॉनिक रूप में आवेदन किया जाएगा, जिसमें आशयित छंटनी के कारणों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाएगा और ऐसे आवेदन की एक प्रति संबंधित कर्मकारों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से, या व्यक्तिगत रूप से, या त्वरित डाक द्वारा भेजी जाएगी।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन को नियोक्ता द्वारा औद्योगिक स्थापन के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पट्ट या इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड पर भी सुस्पष्ट रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।

34. आदेश की समीक्षा - (1) केन्द्रीय सरकार, स्वप्रेरणा से या नियोक्ता या किसी कर्मकार द्वारा किए गए आवेदन पर अनुमति प्रदान करने या देने से इनकार करने वाले अपने आदेश की समीक्षा कर सकेगी।

(2) नियोक्ता या संबंधित कोई कर्मकार, उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आदेश के साथ, ऐसे आदेश के जारी होने की तारीख से तीस दिन के भीतर, उस आदेश की समीक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार को आवेदन कर सकेगा और वह सरकार, ऐसे आवेदन की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर, संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, आवेदन का निपटारा करेगी।

(3) जहां केन्द्रीय सरकार, स्वप्रेरणा से, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट आदेश की समीक्षा करने का निर्णय लेती है, वहां वह ऐसे आदेश के जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर आवश्यक कदम उठा सकेगी और संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, ऐसा निर्णय लिए जाने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर ऐसी समीक्षा का निपटारा कर सकेगी।

35. किसी औद्योगिक स्थापन में अभिप्रेत बंदी हेतु आवेदन और ऐसे आवेदन की प्रति कर्मकारों के प्रतिनिधियों को भेजने की रीति - कोई नियोक्ता जो किसी औद्योगिक स्थापन में तालाबंदी करने का आशय रखता है, जिस पर संहिता के अध्याय-10 के उपबंध लागू होते हैं, वह प्ररूप-14 में पूर्व अनुमति के लिए केन्द्रीय सरकार को, आशयित बंदी की तारीख से कम से कम नब्बे दिन पहले आवेदन करेगा, जिसमें औद्योगिक स्थापन के ऐसे बंद होने के कारणों का स्पष्ट रूप से उल्लेख होगा और साथ ही ऐसे आवेदन की एक प्रति कर्मकारों के प्रतिनिधियों को भी इलेक्ट्रॉनिक रूप से और व्यक्तिगत रूप से, या त्वरित डाक द्वारा भेजी जाएगी।

36. आदेश की समीक्षा — (1) केन्द्रीय सरकार, स्वप्रेरणा से या नियोक्ता या किसी कर्मकार द्वारा किए गए आवेदन पर अनुमति प्रदान करने या देने से इनकार करने वाले अपने आदेश की समीक्षा कर सकेगी।

(2) नियोक्ता या संबंधित कोई कर्मकार उप-नियम (1) में निर्दिष्ट आदेश के साथ, ऐसा आदेश दिए जाने की तारीख से तीस दिन के भीतर, उस आदेश की समीक्षा के लिए केन्द्रीय सरकार को आवेदन कर सकेगा और वह सरकार, ऐसा आवेदन किए जाने की तारीख से दो महीने के भीतर, संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् उस आवेदन का निपटारा करेगी।

(3) जहां केन्द्रीय सरकार स्वप्रेरणा से उप-धारा (1) में निर्दिष्ट आदेश की समीक्षा करने का निर्णय लेती है, वहां वह आदेश दिए जाने की तारीख से एक महीने के भीतर आवश्यक कदम उठा सकेगी और संबंधित पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात्, ऐसा निर्णय लिए जाने की तारीख से दो महीने की अवधि के भीतर ऐसी समीक्षा का निपटारा कर सकेगी।

अध्याय 11

कर्मकार पुनः कौशल निधि

37. कर्मकार पुनः कौशल निधि— (1) प्रत्येक नियोक्ता जिसने संहिता के अधीन अपने औद्योगिक स्थापन में किसी कर्मकार की छंटनी की है, ऐसी छंटनी की तारीख से दस दिनों के भीतर, ऐसे छंटनी किए गए कर्मकार या कर्मकारों के अंतिम आहरित वेतन के पंद्रह दिनों के बराबर राशि को इलेक्ट्रॉनिक रूप से यथास्थिति मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) / उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के कार्यालय / क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के कार्यालय / सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) के कार्यालय द्वारा आवश्यकतानुसार खातों में हस्तांतरित करेगा [खाते का नाम श्रम और रोजगार मंत्रालय और मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा]।

(2) उप-नियम (1) के अधीन प्राप्त निधि को मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) कार्यालय/उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) कार्यालय/क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) कार्यालय/सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) कार्यालय द्वारा छंटनी के पैंतालीस दिनों के

भीतर प्रत्येक छंटनीकृत कर्मकार के खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से हस्तांतरित कर दिया जाएगा ताकि वह उस रकम का उपयोग अपने पुनः कौशलीकरण के लिए कर सके।

(3) नियोक्ता प्रत्येक छंटनीकृत कर्मकार के नाम, ऐसे छंटनीकृत कर्मकार द्वारा अंतिम बार प्राप्त पंद्रह दिनों के वेतन के बराबर राशि और उसके बैंक खाते के विवरण सहित सूची मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) कार्यालय/उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) कार्यालय/क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) कार्यालय/सहायक श्रम आयुक्त (केन्द्रीय) कार्यालय को प्रस्तुत करेगा।

अध्याय 12 अपराध और शास्ति

38. अपराध के शमन की रीति – (1) अपराधों के शमन के प्रयोजनों के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 89 के उपधारा (1) के अधीन अधिसूचित अधिकारी (जिसे इसमें इसके पश्चात शमन अधिकारी कहा गया है), श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के निर्दिष्ट पोर्टल के माध्यम से अभियुक्त को प्ररूप-15 में एक नोटिस भेजेगा।

(2) वह अभियुक्त, जिसे उप-नियम (1) में संदर्भित नोटिस तामील किया गया है, नोटिस के भाग 3 में विधिवत भरा हुआ आवेदन, नोटिस प्ररूप-15 में शमन अधिकारी द्वारा निर्दिष्ट खाते में इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेज सकता है और शमन रकम इलेक्ट्रॉनिक रूप से, प्राप्ति के पंद्रह दिनों के भीतर जमा कर सकता है।

(3) जहाँ अभियुक्त के विरुद्ध सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय में अभियोजन पहले ही संस्थित किया जा चुका है, वहाँ अभियुक्त अपने विरुद्ध अपराध के शमन की अनुमति देने के लिए ऐसे न्यायालय में आवेदन कर सकता है और वह न्यायालय, आवेदन पर विचार करने के पश्चात, धारा 89 के उपबंधों और इस नियम में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार शमन अधिकारी द्वारा अपराध के शमन की अनुमति दे सकता है।

(4) यदि अभियुक्त उप-नियम (2) के अधीन विधिवत भरा हुआ आवेदन प्रस्तुत करता है, तो शमन अधिकारी अपराध का शमन करेगा और—

(क) यदि अभियोजन संस्थित होने से पहले अपराध का शमन कर दिया जाता है, तो अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन के लिए कोई शिकायत संस्थित नहीं की जाएगी;

(ख) यदि अपराध का शमन धारा 85 के अधीन लंबित कार्यवाही के दौरान किया जाता है, तो शमन अधिकारी उस धारा में संदर्भित अधिकारी को शमन के बारे में सूचित करेगा, जो सूचना प्राप्त होने के पश्चात, ऐसे अपराध के अभियुक्त व्यक्ति के संबंध में कार्यवाही बंद कर देगा; और

(ग) न्यायालय की अनुमति से अभियोजन संस्थित किए जाने के पश्चात यदि अपराध का शमन किया जाता है, तो शमन अधिकारी मामले को बंद मान लेगा और अपराध के शमन की सूचना उस सक्षम न्यायालय को देगा जिसके द्वारा ऐसे शमन की अनुमति दी गई थी, और ऐसी सूचना प्राप्त होने के पश्चात, न्यायालय अभियुक्त व्यक्ति को उन्मोचित कर देगा।

अध्याय 13

विविध

39. संरक्षित कर्मकार - (1) किसी औद्योगिक स्थापन से संबद्ध प्रत्येक पंजीकृत व्यवसाय संघ, जिस पर इस संहिता के उपबंध लागू होते हैं, प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल से पूर्व नियोक्ता को उस व्यवसाय संघ के उन पदाधिकारियों के नाम और पते सूचित करेगी

जो उस स्थापन में नियोजित हैं और जिन्हें, उस व्यवसाय संघ की राय में, संरक्षित कर्मकार के रूप में मान्यता दी जानी चाहिए।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट व्यवसाय संघ के किसी भी अधिकारी के पद में किसी भी परिवर्तन की सूचना ऐसे व्यवसाय संघ द्वारा ऐसे परिवर्तन के पंद्रह दिनों के भीतर नियोक्ता को दी जाएगी।

(3) नियोक्ता, उप-नियम (1) के अधीन व्यवसाय संघ से नाम और पते प्राप्त होने के पंद्रह दिनों के भीतर और संहिता की धारा 90 की उप-धारा (3) और (4) के उपबंधों के अधीन, ऐसे कर्मकारों को उक्त धारा के प्रयोजनों के लिए संरक्षित कर्मकार के रूप में मान्यता देगा और ऐसी व्यवसाय संघ को, पत्र-व्यवहार की तारीख से बारह महीने की अवधि के लिए संरक्षित कर्मकारों के रूप में मान्यता प्राप्त कर्मकारों की सूची लिखित रूप में संसूचित करेगा।

(4) जहां उप-नियम (1) के अधीन नियोक्ता द्वारा प्राप्त नामों की कुल संख्या धारा 90 की उप-धारा (4) के अधीन औद्योगिक स्थापन के लिए स्वीकार्य संरक्षित कर्मकारों की अधिकतम संख्या से अधिक है, नियोक्ता केवल ऐसी अधिकतम संख्या में कर्मकारों को संरक्षित कर्मकारों के रूप में मान्यता देगा:

परंतु यह कि जहाँ औद्योगिक स्थापन में एक से अधिक पंजीकृत व्यवसाय संघ हैं, वहाँ नियोक्ता द्वारा अधिकतम संख्या का वितरण उन व्यवसाय संघों के बीच इस प्रकार किया जाएगा कि व्यक्तिगत व्यवसाय संघों में मान्यता प्राप्त 'संरक्षित कर्मकारों' की संख्या का परस्पर अनुपात व्यावहारिक रूप से वही रहे जो उन व्यवसाय संघों की सदस्यता के आंकड़ों का है; और उस स्थिति में नियोक्ता प्रत्येक संबंधित व्यवसाय संघके अध्यक्ष या सचिव को लिखित रूप में उसे आवंटित संरक्षित कर्मकारों की संख्या की सूचना देगा:

परंतु यह और कि जहाँ इस उप-नियम के अधीन किसी व्यवसाय संघ को आवंटित संरक्षित कर्मकारों की संख्या, संरक्षण चाहने वाले उस व्यवसाय संघ के पदाधिकारियों की संख्या से कम हो जाती है, तो वह व्यवसाय संघ 'संरक्षित कर्मकारों' के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु पदाधिकारियों का चयन करने के लिए हकदार होगी; और ऐसा चयन उस व्यवसाय संघ द्वारा किया जाएगा तथा नियोक्ता से लिखित सूचना प्राप्त होने के पांच दिनों के भीतर उसे सूचित किया जाएगा।

(5) जहां इस नियम के अधीन संरक्षित कर्मकारों की मान्यता से संबंधित किसी भी मामले में नियोक्ता और किसी भी पंजीकृत व्यवसाय संघ के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है, ऐसे विवाद को किसी भी उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) या क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) या सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय) को भेजा जाएगा, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

40. व्यथित कर्मचारी द्वारा शिकायत — (1) संहिता की धारा 91 के अधीन पी व्यथित कर्मचारी की प्रत्येक शिकायत इलेक्ट्रॉनिक रूप से, या रजिस्ट्रीकृत या त्वरित डाक द्वारा प्रपत्र-16 में की जाएगी और उसके साथ ऐसी शिकायत में उल्लिखित प्रत्येक विरोधी पक्षकारों के लिए उसकी उतनी ही प्रतियां संलग्न होंगी।

(2) उप-नियम (1) के अधीन प्रत्येक शिकायत, शिकायत करने वाले कर्मचारी या ऐसे कर्मचारी द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि, जो मामले के तथ्यों से परिचित हो, द्वारा यथा स्थिति, सुलह अधिकारी, मध्यस्थ, अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण के समाधान हेतु, सत्यापित की जाएगी।

41. कार्यवाही में प्रतिनिधित्व करने के लिए कर्मकार को प्राधिकृत करना -- जहाँ कर्मकार किसी भी व्यवसाय संघ का सदस्य नहीं है, वहाँ उस उद्योग में, जिसमें कर्मकार नियोजित है, किसी व्यवसाय संघ से जुड़े किसी कार्यकारी सदस्य या अन्य पदाधिकारी को या उसी उद्योग में नियोजित किसी अन्य कामगार को, ऐसे कामगार द्वारा प्ररूप-6 में किसी विवाद, जिसमें वह कर्मकार एक पक्षकार है, से संबंधित किसी भी कार्यवाही में अपना प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकृत किया जा सकेगा।

42. किसी कार्यवाही में प्रतिनिधित्व करने के लिए नियोक्ता को प्राधिकृत करना - जहां कोई नियोक्ता, नियोक्ताओं के किसी संघ का सदस्य नहीं है, वहां, ऐसा नियोक्ता प्ररूप-6 में नियोक्ताओं के किसी संघ के किसी अधिकारी को, जो उस उद्योग से संबंधित है या उसके द्वारा संबद्ध है, जिसमें नियोक्ता नियोजित है, किसी विवाद, जिसमें वह नियोक्ता एक पक्ष है, से संबंधित किसी कार्यवाही में उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकृत कर सकेगा।

43. प्रतिनिधि के कार्यों से पक्षकार का आबद्ध होना— किसी प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित कोई पक्षकार उस प्रतिनिधि के कार्यों से आबद्ध होगा।

44. जांच -- (1) धारा 86 की उपधारा (3), उपधारा (5), उपधारा (7), उपधारा (8), उपधारा (9), उपधारा (10), उपधारा (11) और उपधारा (20) तथा धारा 89 की उपधारा (7) के अधीन किए गए अपराध की शिकायत प्राप्त होने पर, उसकी जांच भारत सरकार के अवर सचिव से अन्यून पंक्ति के अधिकारी जिसे धारा 85 (जिसे इसमें इसके पश्चात “जांच अधिकारी” कहा गया है) की उपधारा (1) के अधीन ऐसे प्रयोजन के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया गया है, द्वारा की जाएगी।

(2) शिकायत प्राप्त होने पर, जांच अधिकारी, इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से या त्वरित डाक द्वारा भेजे जाने वाले नोटिस के माध्यम से ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को बुलाएगा और उसकी एक प्रति श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के अभिहित पोर्टल पर अपलोड करेगा, जिससे वे सभी प्रासंगिक दस्तावेजों और साक्षियों, यदि कोई हों, के साथ किसी विनिर्दिष्ट तारीख पर उसके समक्ष उपस्थित हों, और वह शिकायतकर्ता को इस प्रकार विनिर्दिष्ट तारीख की सूचना देगा।

(3) जहां कोई पक्षकार ऐसा चाहता है, वह जांच अधिकारी से लिखित में केवल डाक द्वारा जांच का नोटिस जारी करने का अनुरोध कर सकेगा और उन मामलों में भी जहां जांच अधिकारी को लगता है कि संबंधित पक्षकारों के पास संचार के कोई इलेक्ट्रॉनिक साधन उपलब्ध नहीं हैं, वह ऐसा नोटिस त्वरित डाक द्वारा भेज सकेगा।

(4) कोई व्यक्ति जिसे उप-नियम (2) के अधीन नोटिस जारी किया गया है, यदि वह व्यक्ति या उसका प्रतिनिधि विनिर्दिष्ट तारीख पर उपस्थित होने में विफल रहता है, तो जांच अधिकारी, शिकायत की आगे सुनवाई और अवधारण एकपक्षीय रूप से कर सकेगा।

(5) यदि शिकायतकर्ता, जांच अधिकारी को कोई सूचना दिए बिना, लगातार दो तारीखों पर विनिर्दिष्ट तारीख पर उपस्थित होने में विफल रहता है, तो जांच अधिकारी, शिकायत को खारिज कर सकेगा:

परंतु शिकायतकर्ता और विरोधी पक्षकार द्वारा संयुक्त आवेदन पर तीन से अधिक स्थगन नहीं दिए जा सकेंगे:

परंतु यह और कि जांच अधिकारी, अपने विवेक से, यथा स्थिति किसी पक्षकार या पक्षकारों को, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की अनुज्ञा देगा।

(6) संहिता की धारा 85 की उप-धारा (2) के अधीन किसी व्यक्ति की ओर से उपस्थित होने का प्राधिकार, यथास्थिति, प्रमाण पत्र या इलेक्ट्रॉनिक प्रमाण पत्र द्वारा दिया जाएगा, जिसे शिकायत की सुनवाई के दौरान जांच अधिकारी को प्रस्तुत किया जाएगा और वह अभिलेख का भाग होगा।

(7) कोई भी व्यक्ति जो शिकायतकर्ता की ओर से कार्यवाही में उपस्थित होने का आशय रखता है, उसे जांच अधिकारी के समक्ष उपस्थित होना होगा और अपनी उपस्थिति का कारण बताते हुए एक संक्षिप्त लिखित विवरण प्रस्तुत करना होगा।

(8) जांच अधिकारी, उप-नियम (7) में निर्दिष्ट विवरण पर एक आदेश दर्ज करेगा, जिसमें उस उप-नियम में निर्दिष्ट व्यक्ति को शिकायतकर्ता की ओर से कार्यवाही में उपस्थित होने की अनुमति दी जाएगी, और ऐसी अनुमति देने से इंकार करने की स्थिति में, जांच अधिकारी इसके कारणों को सम्मिलित करेगा और उसे अभिलेख में अन्तर्विष्ट करेगा।

(9) शिकायत या शिकायत से संबंधित अन्य दस्तावेज, जांच अधिकारी द्वारा निर्धारित समय के दौरान किसी भी समय, व्यक्तिगत रूप से जांच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किए जा सकेंगे, या उन्हें इलेक्ट्रॉनिक रूप से, या त्वरित डाकद्वारा भेजा जा सकेगा और विरोधी पक्षकार को शिकायत और ऐसे अन्य दस्तावेजों का उत्तर देने का अधिकार होगा।

(10) जांच अधिकारी प्रत्येक दस्तावेज पर, यथास्थिति, उसकी प्रस्तुति या प्राप्ति की तारीख अंकित करेगा या अंकित करवाएगा, और यदि दस्तावेज इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं, तो ऐसा कोई भी पृष्ठांकन आवश्यक नहीं होगा।

(11) यदि जांच अधिकारी को लगता है कि शिकायत अधूरी है, तो वह शिकायत पर विचार करने से इंकार कर सकेगा और शिकायतकर्ता से उसके द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर त्रुटियों को दूर करने के लिए अनुरोध कर सकेगा:

परंतु यदि जांच अधिकारी पाता/अवलोकन करता है कि शिकायत में त्रुटियों को दूर करना संभव नहीं है, तो वह त्रुटियों का उल्लेख करते हुए ऐसी शिकायत को तुरंत वापस कर सकेगा।

(12) जहाँ त्रुटियों के सुधार के पश्चात् शिकायत प्रस्तुत की जाती है, वहाँ ऐसी पुनः प्रस्तुति की तारीख को संहिता की धारा 85 की उप-धारा (1) के प्रयोजन हेतु प्रस्तुति की तारीख माना जाएगा।

(13) जांच अधिकारी, शिकायतकर्ता को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात्, शिकायत पर विचार करने से इंकार कर सकेगा, यदि वह लिखित में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से संतुष्ट हो जाता है कि—

(क) शिकायतकर्ता शिकायत प्रस्तुत करने का हकदार नहीं है; या

(ख) शिकायतकर्ता ने, शिकायत किए गए अपराध के किए जाने की तारीख से, छह मास के पश्चात् शिकायत दर्ज की है;

(ग) शिकायतकर्ता संहिता की धारा 85 की उप-धारा (2) के अधीन जांच अधिकारी द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने में विफल रहता है।

(14) जांच अधिकारी, सभी मामलों में, आदेश पारित करते समय, ब्यौरे जैसे, शिकायत की तारीख, शिकायतकर्ता का नाम और पता, विरोधी पक्षकार या विरोधी पक्षकारों का नाम और पता, किए गए अपराध के धारा-वार ब्यौरे, विरोधी पक्षकार का अभिवचन, निष्कर्ष और लिए गए साक्ष्य का संक्षिप्त विवरण, जिसमें प्रति परीक्षा, कारण और अधिरोपित शास्ति सम्मिलित है, हस्ताक्षर, तारीख और स्थान सहित उल्लिखित करेगा।

(15) जांच अधिकारी, प्रक्रिया के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) के उपबंधों द्वारा निर्देशित होगा, जिसमें जांच अधिकारी ऐसे परिवर्तनों के साथ, जो वह उचित समझे और उनके मूल सार को प्रभावित न करते हों, उन्हें अपने समक्ष मामले के अनुकूल बनाने के लिए अपना सकेगा, सिवाय वहाँ के जहाँ वे इस संहिता या इन नियमों के स्पष्ट उपबंधों के विपरीत हों।

(16) जांच अधिकारी, मामले की सुनवाई के पश्चात् उसी दिन या इस प्रयोजन के लिए नियत की जाने वाली किसी भावी तारीख पर आदेश पारित करेगा या निर्देश देगा।

(17) कोई भी व्यक्ति, जो या तो शिकायतकर्ता है या विरोधी पक्षकार या उप-नियम (8) के अधीन अनुमति प्राप्त कोई भी व्यक्ति, जांच अधिकारी के समक्ष फाइल किसी भी शिकायत या किसी अन्य दस्तावेज का निरीक्षण करने का हकदार होगा।

45. साक्षी का व्यय — प्रत्येक व्यक्ति, जो समन प्राप्त होने पर उपस्थित होता है या अन्यथा उपस्थित होता है, उसी दर पर व्यय भत्ते का हकदार होगा जो उस राज्य यथा स्थिति, जहाँ ऐसी जांच, न्यायनिर्णयन या मध्यस्थता संचालित की जा रही है, के सिविल न्यायालय में साक्षियों पर लागू होती है।

46. संसूचना हेतु प्रकाशन — इन नियमों के अधीन संदेशों और दस्तावेजों की तामील को प्रभावी बनाने के प्रयोजन के लिए संसूचना हेतु, केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण, औद्योगिक अधिकरण, प्रत्येक नियोक्ता, जिसके लिए केंद्रीय सरकार समुचित सरकार है, प्रत्येक व्यवसाय संघ, वार्ता संघ या वार्ता परिषद के घटक और इन नियमों में संदर्भित प्रत्येक प्राधिकारी, अपने संबंधित शीर्षनामा पर अपनी यथा स्थिति, ई-मेल आईडी या वेबसाइट या पोर्टल या उनमें से किसी एक या सभी को, विनिर्दिष्ट करेंगे।

47. अभिलेख, रजिस्टर, प्ररूप, सूचना और प्रदर्शन बोर्ड का रख-रखाव — (1) सभी अभिलेख, रजिस्टर, प्ररूप, नोटिस, प्रदर्शन बोर्ड और अन्य दस्तावेज, जो इन नियमों के अधीन अनुरक्षित किए जाने अपेक्षित हैं, को अपेक्षित प्ररूप में या यथा अपेक्षित जानकारी अन्तर्विष्ट करते हुए, इलेक्ट्रॉनिक रीति में अनुरक्षित किया जाएगा।

(2) उप-नियम (1) में निर्दिष्ट अभिलेख और अन्य दस्तावेज अभिलेखों के रख-रखाव की अपेक्षा का अनुपालन करेंगे और संहिता के अधीन इस संबंध में निर्दिष्ट संबंधित प्राधिकारी द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत किए जाएंगे या दिखाए जाएंगे।

48. आयुक्त की नियुक्ति.- जहाँ संहिता की धारा 59 की उप-धारा (2) में निर्दिष्ट किसी लाभ के मुद्रा मूल्य की गणना करने के प्रयोजनों के लिए, अधिकरण निम्नलिखित में से किसी की नियुक्ति कर सकेगा —

(क) वह व्यक्ति जिसे उस विशिष्ट उद्योग, व्यवसाय, व्यवसाय या क्षेत्र का अनुभव हो, जिसमें उक्त धारा की उप-धारा (2) में संदर्भित प्रश्न समाहित है; या

(ख) वह व्यक्ति जो किसी सिविल न्यायालय का न्यायाधीश रहा हो; या

(ग) वैतनिक मजिस्ट्रेट; या

(घ) किसी केंद्रीय अधिनियम के अधीन गठित किसी अधिकरण का, या संहिता के अधीन गठित अधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक अधिकरण का रजिस्ट्रार या सचिव।

49. आयुक्त, के लिए फीस आदि— (1) अधिकरण, पक्षकारों के साथ परामर्श के पश्चात, नियम 48 में निर्दिष्ट आयुक्त द्वारा की जाने वाली जांच की संभावित अवधि का प्राक्कलन करेगा और उसके फीस की रकम तथा उसके द्वारा उपगत अन्य आनुषंगिक व्ययों को निर्धारित करेगा।

(2) अधिकरण, आयुक्त की फीस और अन्य आनुषंगिक व्ययों के संदाय के लिए, ऐसे पक्षकार या पक्षकारों को और ऐसे अनुपात में, जैसा वह उचित समझे, एक विनिर्दिष्ट समय के भीतर में जमा करने का निर्देश देगा।

(3) आयुक्त अपनी रिपोर्ट तब तक प्रस्तुत नहीं करेगा, जब तक कि उप-नियम (2) में निर्दिष्ट रकम के जमा होने की रसीद अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर दी जाती:

परंतु अधिकरण, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए, यह निर्देश दे सकेगा कि कोई भी अतिरिक्त राशि या राशियाँ ऐसे समय के भीतर या ऐसी राशि को जमा करने की समय-सीमा को बढ़ा सकेगा और ऐसे पक्षकारों द्वारा जमा की जाएँ, जो वह उचित समझे।

(4) अधिकरण किसी भी समय, लिखित रूप में अभिलिखित किए जाने वाले कारणों से, पक्षकारों के परामर्श से फीस की रकम में परिवर्तन कर सकेगा।

(5) अधिकरण यह निर्देश दे सकेगा कि आयुक्त को फीस ऐसी किश्तों में और ऐसी तारीख को संवितरित की जाएगी, जो वह उचित समझे।

(6) इस नियम के अधीन जमा की गई राशि का अवितरित शेष, यदि कोई हो, संबंधित पक्षकार या पक्षकारों को उसी अनुपात में वापस कर दिया जाएगा, जिस अनुपात में उसे जमा किया गया था।

50. रिपोर्ट प्रस्तुत करने का समय- (1) आयुक्त की नियुक्ति के लिए प्रत्येक आदेश में आयुक्त को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त समय देते हुए कोई तारीख उपदर्शित की जाएगी।

(2) यदि किसी कारणवश आयुक्त को यह पूर्वानुमान होता है कि उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नियत तारीख से अधिक समय लगने की संभावना है, तो वह उक्त तारीख की समाप्ति से पूर्व, उसके आधारों का उल्लेख करते हुए समय बढ़ाने के लिए आवेदन करेगा और अधिकरण, विचार करने के पश्चात्, ऐसे आवेदन पर उपयुक्त आदेश पारित करेगा:

परंतु यह कि अधिकरण, यदि पर्याप्त कारण होने पर उचित समझे, तो समय-सीमा बढ़ा सकेगा, भले ही आयुक्त से अनुज्ञेय समय-सीमा के भीतर ऐसा विस्तार करने के लिए कोई आवेदन प्राप्त न हुआ हो।

अनुसूची**प्ररूप-1****[नियम 4 देखें]**

(सुलह कार्यवाही के दौरान या अन्यथा हुए समझौते का ज्ञापन)

पक्षकार का नाम:

..... नियोक्ता(नियोक्ताओं) का/के प्रतिनिधि

..... कर्मकार(कर्मकारों) का प्रतिनिधि

मामले के संक्षिप्त विवरण

.....

समझौते की निबंधन

.....

पक्षकारों के हस्ताक्षर

साक्षी:

(1)

(2)

सुलहकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर

यदि नियोक्ता और उसके कर्मकारों के बीच सुलह कार्यवाही के दौरान के अतिरिक्त समझौता हो जाता है, तो ज्ञापन की प्रति संबंधित उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) को प्रेषित की जाएगी।

प्ररूप - 2

[नियम 9 का उप-नियम (8) देखें / नियम 23 का उप-नियम (9) देखें]*
(अधिकरण को आवेदन)

केंद्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण के समक्ष ----- (उस
औद्योगिक अधिकरण का स्थान जिसकी अधिकारिता में विवाद उत्पन्न होता है)

(क) आवेदक (आवेदकों) का नाम और पता

बनाम

(ख) विरोधी पक्षकार का नाम और पता

विवाद के संक्षिप्त तथ्य (विवाद के विशिष्ट मामलों के संबंध में विवरण का उल्लेख किया जा सकता है) जो औद्योगिक संबंध
संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 22 की उप-धारा (1) / धारा 53 की उप-धारा (6) के अधीन विवाद से संबद्ध और
सुसंगत हैं।"

प्रार्थना:

आवेदक (आवेदक) प्रार्थना करता/करते हैं कि तत्काल आवेदन को न्यायनिर्णयन हेतु ग्रहण किया जाए तथा मामले में उचित
पंचाट पारित करने का अनुरोध करते हैं।

कर्मकार (कर्मकारों) का नाम और हस्ताक्षर या
विवाद उठाने वाले व्यवसाय संघ के अधिकारी/ विवाद के पक्षकार

(* जो लागू न हो उसे काट दें)

प्ररूप - 3
(नियम 17 देखें)

(प्रमाणित स्थायी आदेशों के लिए रजिस्टर)

भाग I

औद्योगिक स्थापन

अनन्य और निरंतर संख्या	औद्योगिक स्थापन का नाम	औद्योगिक स्थापन की प्रकृति	औद्योगिक स्थापन के संचालन के क्षेत्र	क्या स्थायी आदेश (क) आदर्श स्थायी आदेश है, या (ख) माना गया/प्रकल्पित स्थायी आदेश है या (ग) प्रमाणित स्थायी आदेश है	स्वीकृति की तारीख अथवा प्रकल्पित सत्यापन अथवा मान्य प्रमाणीकरण / स्थायी आदेश के सत्यापन की तारीख
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

अपील दायर करने की तारीख	निर्णय की तारीख और प्रकृति	अपील पर संशोधन किया गया, यदि कोई	अपील पर निपटाए गए स्थायी आदेशों की प्रति भेजने की तारीख	कोई अन्य जुसंगत विवरण
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

भाग-2

स्थायी आदेशों की प्रमाणित प्रति इलेक्ट्रॉनिक रूप से संलग्न करें।

प्ररूप -4
(नियम 19 देखें)

(सेवा शर्तों में परिवर्तन की सूचना)

नियोक्ता का

नाम.....
.....

पता.....

तारीख.....20..... दिन.....

औद्योगिक संबंध संहिता की धारा 40 की उप-धारा (1) (2020 का 35) के अनुसार मैं/हम सभी संबंधितों को यह सूचित करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम उक्त संहिता की तीसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए मामले के संबंध में कामगारों पर सेवा शर्तों मेंसे प्रभावी अनुबंध में परिवर्तन /परिवर्तनों को लागू करना चाहता हूँ/चाहते हैं।

हस्ताक्षर.....

पद.....

अनुबंध

(यहाँ उन परिवर्तन/परिवर्तनों को विनिर्दिष्ट करें जिन्हें प्रभावी किया जाना प्रस्तावित है।)

प्रति अग्रेषित:

1. रजिस्ट्रीकृत व्यवसाय संघ के सचिव, यदि कोई हो / सचिव, वार्ता संघ / वार्ता परिषद के घटक
2. संबद्ध उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय)

प्ररूप -5
(नियम 20 देखें)

(स्वैच्छिक मध्यस्थता के लिए करार)

.....नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले पक्षकारों का नाम

और

..... कामगार का प्रतिनिधित्व करने वाले पक्षकारों का नाम

पक्षकारों के बीच निम्नलिखित विवाद को [यहाँ मध्यस्थ (मध्यस्थों) के नाम और पते विनिर्दिष्ट करें] की मध्यस्थता हेतु भेजने के लिए सहमति हुई है।

- (i) विवाद के विविर्दिष्ट मामले
- (ii) विवाद के पक्षकारों का विवरण, जिसमें अन्तर्वर्तित स्थापन या उपक्रम का नाम और पता सम्मिलित है।
- (iii) उस कामगार का नाम यदि वह स्वयं विवाद में सम्मिलित है, या उस यूनियन का नाम, यदि कोई हो, जो संबद्ध कामगार या कामगारों का प्रतिनिधित्व कर रही है।
- (iv) प्रभावित उपक्रम में नियोजित कामगारों की कुल संख्या
- (v) विवाद से प्रभावित होने वाले या प्रभावित होने की संभावना वाले कामगारों की अनुमानित संख्या।

*हम सहमत हैं कि मध्यस्थों के अधिकांश निर्णय हम पर बाध्यकर हैं यदि मध्यस्थ अपने विवाचन में बराबर विभाजित होते हैं तो वह मध्यस्थ के रूप में एक अन्य व्यक्ति नियुक्त करेंगे जिसके निर्णय हम पर बाध्यकर होंगे।

मध्यस्थ (मध्यस्थों) केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में इस करार के प्रकाशन की तारीख से (पक्षकारों द्वारा सहमत अवधि विनिर्दिष्ट करें) की अवधि के भीतर या ऐसी और अवधि के भीतर जिसे हमारे बीच लिखित रूप में आपसी करार द्वारा बढ़ाया गया हो, अपना पंचाट देंगे। यदि उपरोक्त अवधि के भीतर पंचाट नहीं दिया जाता है, तो मध्यस्थता हेतु निर्दिष्ट मामला स्वतः ही रद्द माना जाएगा और नए मध्यस्थ के लिए बातचीत करने हेतु स्वतंत्र होंगे।

नियोक्ता का प्रतिनिधित्व / व्यवसाय संघ के किसी अधिकारी / कामगार/कामगारों का प्रतिनिधित्व करने वाले पक्षकारों के हस्ताक्षर

साक्षी:

1.

2.

प्रति: (i) सुलह अधिकारी [संबद्ध क्षेत्र के लिए सुलह अधिकारी के कार्यालय का पता प्रविष्ट करें]

(ii) सचिव, भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय।

प्ररूप-6

(नियम 22, नियम 41 और नियम 42 देखें)

(प्राधिकारी के समक्ष कार्यवाही में प्रतिनिधित्व किए जाने हेतु किसी कामगार, कामगारों के समूह, नियोक्ता या नियोक्ताओं के समूह द्वारा प्राधिकरण)

प्राधिकारी के समक्ष
(संबंधित प्राधिकारी का उल्लेख करें)

इस संबंध में : (करें उल्लिखित कार्रवाई का नाम)

.....कामगार

बनाम

.....नियोक्ता

मैं / हम श्री/श्रीमती/कुमारी को उपर्युक्त मामले में प्रतिनिधित्व करने के लिए प्राधिकृत करता हूं/करते हैं।

तारीख.....20मास.....दिन.....

प्रतिनिधि(यों) को नामनिर्दिष्ट करने वाले व्यक्ति(यों) के हस्ताक्षर
पता

स्वीकृत।

प्रतिनिधि (यों) के हस्ताक्षर
पता

प्ररूप-7
(नियम 24 देखें)

(औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 59(1) के अधीन धन की वसूली के लिए आवेदन)

सेवा में,

(1) सचिव, भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली

(2) उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) (यहाँ क्षेत्र का नाम लिखें)

महोदय,

मैं/हम यह कथन करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम मैसर्स से औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) के अध्याय 9 और 10 के उपबंधों के अधीन / द्वारा दिए गए तारीख के पंचाट की शर्तों के अनुसार / उक्त मैसर्स और उनके कर्मकारों के बीच विधिवत निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से हुए तारीख के समझौते की निबंधनों के अनुसार के मद में रुपये (शब्दों में) की राशि प्राप्त करने का हकदार हूँ/हकदार हैं।

मैं/हम यह और कथन करता हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने उक्त राशि के लिए प्रबंधन को तारीख को स्पीड पोस्ट द्वारा मांग पत्र तामील किया था, जिसे प्रबंधन ने पखवाडा (15 दिन) बीत जाने के बावजूद न तो मुझे/हमें भुगतान किया है और न ही भुगतान करने की पेशकश की है। राशि का विवरण इसके साथ संलग्न विवरण में दिया गया है।

मैं/हम अनुरोध करता हूँ/करते हैं कि कृपया उक्त राशि को औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 59 की उप-धारा (1) के अधीन प्रबंधन से वसूल किया जाए और मुझे/हमें यथाशीघ्र संदाय किया जाए।

आवेदक (आवेदकों) के हस्ताक्षर

पता (पते)

स्थान:

दिनांक:

उपाबंध
(दावा की गई रकम/रकमों के ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)

प्ररूप -8
(नियम 24 देखें)

[औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 59 (1) के अधीन कामगार द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति या मृत कामगार के समनुदेशिनी या उत्तराधिकारी द्वारा आवेदन]

सेवा में,

(1) भारत सरकार के सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली।

(2) उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय)..... (यहां क्षेत्र का नाम डालें)।

महोदय,

मैं श्री/श्रीमती/कुमारी यह कथन करती हूँ कि श्री/श्रीमती/कुमारी औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) के अध्याय 9 और 10 के उपबंधों के अधीन / द्वारा दिए गए तारीख के पंचाट (अवार्ड) की शर्तों के अनुसार / उक्त मैसर्स और उनके कामगारों के बीच विधिवत निर्वाचित प्रतिनिधियों के माध्यम से हुए तारीख के समझौते की निबंधनों के अनुसार के मद्दे रुपये (शब्दों में) की राशि प्राप्त करने के हकदार हैं/थीं।

मैं यह और कथन करता/करती हूँ कि मैंने उक्त रकम के लिए तारीख को स्पीड पोस्ट द्वारा प्रबंधन को मांग पत्र (डिमांड नोटिस) तामील किया था, जिसे प्रबंधन ने पखवाडा (15 दिन) बीत जाने के बावजूद न तो मुझे संदाय किया है और न ही संदाय करने का प्रस्ताव है। रकम के ब्यौरे इसके साथ संलग्न विवरण (स्टेटमेंट) में दिया गया है।

मैं अनुरोध करती हूँ कि कृपया उक्त रकम को औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 59 की उप-धारा (1) के अधीन प्रबंधन से वसूल किया जाए और मुझे यथाशीघ्र संदाय किया जाए।

मुझे इस आवेदन को करने और उन्हें देय उपरोक्त रकम का संदाय प्राप्त करने के लिए (यहाँ कामगार का नाम लिखें) द्वारा लिखित रूप में विधिवत प्राधिकृत किया गया है।

मैं मृत कामगार का समनुदेशिनी / उत्तराधिकारी हूँ और उन्हें देय उपरोक्त रकम का संदाय प्राप्त करने का/की हकदार हूँ।

प्राधिकृत व्यक्ति/समनुदेशिनी/वा उत्तराधिकारी के हस्ताक्षर

स्टेशन.....

तारीख:.....

पता:.....

उपबंध

(दावा की गई रकम के ब्यौरे विनिर्दिष्ट करें)

प्ररूप -9
(नियम 24 देखें)

[औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 59(2) के अधीन अधिकरण को कामगार द्वारा आवेदन]

.....पर केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण के समक्ष

..... और

..... के बीच

(1) आवेदक (ओं) के नाम.....

(2) नियोजक का नाम

याची (यों) मेसर्स के के एक कामगार हैं। अधोहस्ताक्षरी याची (याचियों), जो के कामगार है/हैं, उक्त मैसर्स से इसके साथ संलग्न विवरण में उल्लिखित रकम / लाभ प्राप्त करने के हकदार है/ हैं।

यह प्रार्थना की जाती है कि अधिकरण याची (याचियों) को देय रकम/रकमों का अवधारण करने की कृपा करे।

याची (याचियों) के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान

पता (पते)

स्थान.....

तारीख.....

उपाबंध

(देय धनराशि या प्रोद्भूत लाभों का ब्यौरा और उनकी स्वीकार्यता सहित मामला विनिर्दिष्ट करें।)

प्ररूप - 10
(नियम 24 देखें)

(औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 59(2) के अधीन मृत कामगार के समनुदेशिती/उत्तराधिकारी द्वारा आवेदन)

.....पर केन्द्रीय सरकार औद्योगिक अधिकरण के समक्ष

..... और

..... के बीच

(1) आवेदक (ओं) के नाम.....

(2) नियोजक का नाम

मैं/हम मृत कामगार का/के समनुदेशिती हूँ/हैं और उसकी ओर से आवेदन करने के लिए हकदार हूँ/हकदार हैं।

श्री/श्रीमती, जो मैसर्स के पूर्व कामगार थे/थीं, उक्त मैसर्स
से इसके साथ संलग्न विवरण में उल्लिखित रकम/लाभ प्राप्त करने के हकदार हैं;

कामगार का नाम एवं पता.....

समनुदेशिती/उत्तराधिकारी के हस्ताक्षर

पता (पते)

स्थान.....

तारीख.....

उपाबंध

(देय धनराशि या प्रोद्भूत लाभों के ब्यौरे और उनकी स्वीकार्यता संहिता नामविनिर्दिष्ट करें)

प्ररूप -11
(नियम 25 देखें)

[संघ (संघ का नाम)/कामगारों के समूह द्वारा हड़ताल की सूचना]

संघ का नाम...../

कामगारों के पांच निर्वाचित प्रतिनिधियों के नाम.....

तारीखमास20.....

सेवा में,

(नियोजक का नाम)

महोदय/महोदया,

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 62 की उप-धारा (1) में निहित उपबंधों के अनुसार मैं/हम आपको सूचना देते हैं कि अनुबंध में बताए गए कारणों के लिए, हम तारीख20..... को हड़ताल का आह्वान करते हैं।

भवदीय,

(संघ का सचिव)

..... (तारीख)

को आयोजित बैठक में निर्वाचित
कामगारों के पांच प्रतिनिधि
संलग्न संकल्प के अधीन]

उपबंध
मामले का विवरण

प्रति:

- 1) सुलह अधिकारी [संबद्ध क्षेत्र के सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय) / क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) / उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के कार्यालय का पता प्रविष्ट करें।]
- 2) मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) नई दिल्ली
- 3) सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली

प्ररूप - 12

(नियम 26 देखें)

(औद्योगिक स्थापन के नियोजक द्वारा दी गई तालाबंदी की सूचना)

नियोजक का

नाम.....
.....पता.....
.....

तारीख.....का

दिन.....20.....

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 62 की उप-धारा (2) के उपबंधों के अनुसार मैं/हम सभी संबंधित को सूचना देते हैं कि अनुबंध में बताए गए कारणों के लिएसे मेरे/ हमारे द्वारा स्थापन के विभाग (ओं)में तालाबंदी करने का आशय है।

हस्ताक्षर.....

पद.....

अनुबंध

.1	कारणों का विवरण
----	-----------------

प्रति अग्रेषित :

- (1) रजिस्ट्रीकृत संघ के सचिव, यदि कोई हों
- (2) सुलह अधिकारी [संबंधित क्षेत्र के सहायक श्रम आयुक्त (केंद्रीय) / क्षेत्रीय श्रम आयुक्त (केंद्रीय) / उप मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) के कार्यालय का पता दर्ज करें।]
- (3) मुख्य श्रम आयुक्त (केंद्रीय) नई दिल्ली
- (4) सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, नई दिल्ली

प्ररूप – 13

(नियम 27, 29 देखें)

(औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अध्याय 9 के अधीन केंद्रीय सरकार को छंटनी/बंदी की सूचना)

(ऑनलाइन प्रस्तुत किया जाए। अत्यावश्यकता मामले में, नीचे दिए गए निर्धारित प्रारूप में पेपर पर प्रस्तुत किया जाए)

औद्योगिक स्थापन/उपक्रम/नियोजक का नाम-----

कर्मकार पहचान संख्या-----

तारीख-----

(टिप्पण: समुचित सरकार को बंदी/छंटनी के लिए सूचना क्रमशः साठ दिन और बंदी/छंटनी के आरंभ होने से तीस दिन पहले दी जानी चाहिए)

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार,
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
नई दिल्ली

1. *(छंटनी) (क) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 70 (ग) के अधीन मैं/हम* आपको सूचित करते हैं कि मैंने/हमने* कुल कर्मचारियों** में से कर्मचारियों** की छंटनी करने का निर्णय लिया है, जो कि (दिन/माह/वर्ष) से प्रभावी होगी।

या

(बंदी/समाप्ति) (ख) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (35 of 2020) की धारा 74(1) के अधीन, मैं / हम आपको सूचित करते हैं कि मैंने*/हमने* यह निर्णय लिया है कि मैंने / हमने*(उद्योगिक स्थापन या उद्यम का नाम) को(दिन/माह/वर्ष) से बंद करने का निर्णय लिया है। उन कर्मकारों की संख्या, जिनकी सेवाएं औद्योगिक स्थापन या उपक्रम के बंद होने के कारण समाप्त हो जाएगी----- (कर्मकारों की संख्या) है।

2. छंटनी / बंदी का कारण है -----

3. औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 70 (क)*/ धारा 75 (1)* के अधीन संबंधित कर्मकारों को ---
----- (दिन/माह/वर्ष) से एक मास का आवश्यक नोटिस लिखित में दिया गया है।

या

संबंधित कामगारों को औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 70 (क)/धारा 75 (1)* के अधीन आवश्यक नोटिस के एवज में----- (दिन/माह/वर्ष) को एक माह का वेतन दिया गया

4. *मैं / हम* इस बात की घोषणा करते हैं कि संबंधित कर्मकारों को नोटिस अवधि समाप्ति पर या पहले औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 70* / धारा 75* के अधीन उनको दिए जाने वाले बकाया प्रतिकर सहित उनके सभी देय का सदाय कर दिया गया है/करेंगे।

या

मैं / हम यहां उल्लेख करते हैं कि वर्तमान में उक्त औद्योगिक प्रतिष्ठान /उपक्रम /नियोक्ता के संबंध में दिवालियापन की कार्यवाही जारी है, तथा यह कि *मैं / हम* संबंधित विधियों के अधीन प्रतिकर के साथ सभी बकाया राशि का भुगतान करेंगे।

5. (छंटनी) मैं / हम इस बात की घोषणा करते हैं कि औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 71 और धारा 72 के अनुपालन में संबंधित कर्मकारों की छंटनी की गई है/की जाएगी।
6. मैं* / हम* इस बात की घोषणा करते हैं कि इस विषय में कोई कोर्ट केस किसी न्यायालय के समक्ष लंबित नहीं है, और यदि हां, तो उसका ब्यौरा संलग्न है।
7. मैं* / हम* इस बात की घोषणा करते हैं कि इस नोटिस और संलग्नक में मेरे* / हमारे* द्वारा उपरोक्त सूचना सही है, मैं* / हम* इसकी सटीकता के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है और इस विषय में किसी तथ्य / प्रमाण को छुपाया नहीं गया है।

भवदीय

(नियोजक /***अधिकृत प्रतिनिधि का नाम मोहर सहित)

(*जो लागू न हो उसे काट दें)

(**आंकड़ों और शब्दों दोनों में संख्या इंगित करें)

(*** नियोक्ता द्वारा जारी प्राधिकरण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें)

प्रतिलिपि:

- (1) संबंधित क्षेत्र के उप मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)। संबंधित क्षेत्र के उप-मुख्य श्रम आयुक्त (केन्द्रीय)
- (2) स्थापनों या उपक्रमों में कार्यरत रजिस्ट्रीकृत संघों/कर्मकारों के अधिकृत प्रतिनिधियों को।

प्ररूप -14

(नियम 30, 31, 33, और 35 देखें)

(औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अध्याय 10 के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन किसी नियोक्ता / औद्योगिक स्थापन/ उपक्रम द्वारा केंद्रीय सरकार को दी जाने वाली ले-ऑफ (कामबंदी) / ले-ऑफ को जारी रखने / छंटनी / बंदी की अनुमति हेतु आवेदन)(औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 के अध्याय 10 के अधीन केंद्रीय सरकार को कामबंदी/ कामबंदी को जारी रखने/छंटनी/तालाबंदी के लिए अनुमति हेतु आवेदन)

(ऑन लाइन जमा किया जाना है। अनिवार्यता के मामले में निम्न निर्धारित प्रारूप में लिखित में)

औद्योगिक स्थापन या उपक्रम या नियोक्ता का

नाम.....

कर्मकार पहचान

संख्या.....

.....

तारीख:.....

(टिप्पण: निम्न दर्शाए गए रूप में केंद्रीय सरकार को आवेदन देना होगा:

कामबंदी: प्रस्तावित ले-ऑफ से कम से कम 15 दिन पहले

कामबंदी को जारी रखने हेतु – पूर्ववर्ती ले-ऑफ की समाप्ति से कम से कम 15 दिन पहले

छंटनी – छंटनी की प्रस्तावित तारीख से कम से कम 60 दिन पहले

तालाबंदी– तालाबंदी की प्रस्तावित तारीख से कम से कम 90 दिन पहले)

सेवा में,

सचिव, भारत सरकार,
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय,
नई दिल्ली।

1. *(ले-ऑफ/कामबंदी) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 78(2) के अधीन, मैं/हम अपने स्थापन में नियोजित कुल कर्मकारों में से कर्मकारों ** के 'ले-ऑफ (कामबंदी) की अनुमति' के लिए तारीख (दिन/माह/वर्ष) से आवेदन करता हूँ/करते हैं (ब्यौरा उपाबंध-1 में दिया जाना है), जिसके कारण उपाबंध-1 में स्पष्ट किए गए हैं।"

या

*(ले-ऑफ/कामबंदी को जारी रखना) (ख) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 78(3) के अधीन, मैं/हम अपनी स्थापना में कुल ले-ऑफ (कामबंदी) किए गए कर्मकारों में से कर्मकारों** के

'ले-ऑफ (कामबंदी) को जारी रखने की अनुमति' के लिए तारीख (दिन/माह/वर्ष) से आवेदन करता हूँ/करते हैं (ब्यौरा उपाबंध-1 में दिया जाना है), जिसके कारण उपाबंध -1 में स्पष्ट किए गए हैं।***

या

*(छंटनी) (ग) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 79(2) के अधीन, मैं/हम अपने स्थापन में नियोजित कुल कर्मकारों में से कर्मकारों** की 'प्रस्तावित छंटनी की अनुमति' के लिए तारीख (दिन/माह/वर्ष) से आवेदन करता हूँ/करते हैं (ब्यौरा उपाबंध-1 में दिया जाना है), जिसके कारण उपाबंध-1 में स्पष्ट किए गए हैं।

या

*(बंदी) (घ) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 80(1) के अधीन, मैं/हम आपको सूचित करता हूँ/करते हैं कि मेरा/हमारा उपक्रम (औद्योगिक स्थापनया उपक्रम या नियोक्ता का नाम) को तारीख (दिन/माह/वर्ष) से बंद करने का प्रस्ताव है (ब्यौरा उपाबंध-1 में दिया जाना है), जिसके कारण उपाबंध-1 में स्पष्ट किए गए हैं। उपक्रम की बंदी के कारण जिन कर्मकारों की सेवाएँ समाप्त की जाएंगी, उनकी संख्या (कर्मकारों की संख्या) है।

(ले-ऑफ/ ले-ऑफ की निरंतरता) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 78 (2)/ धारा 78(3) के(दिन /माह/वर्ष) के अधीन कर्मकार संबंधित दी गई सूचना लिखित रूप में भी अपेक्षित है।

या

(छंटनी/बंदी) औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 79/धारा 80 के अधीन कर्मकार संबंधित दी गई(दिन /माह/वर्ष) की सूचना लिखित रूप में भी अपेक्षित है।

या

औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 79*/ धारा 80* के अधीन अपेक्षित सूचना के बदले, कर्मकार(कर्मकारों) को तारीख..... (दिन /माह/वर्ष) को तीन महीने का वेतन दे दिया गया है (छंटनी/बंदी के मामले में)।

2. उपाबंध 2 में प्रभावित कर्मकारों का ब्यौरा है।
3. (छंटनी) मैं/हम यह घोषणा करते हैं कि औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 71 और धारा 72 के अनुपालन में संबंधित कर्मकार छांट दिए जाएंगे।
4. मैं/हम यह घोषित करता हूँ/करते हैं कि संबंधित कर्मकार(कारों) को नोटिस की अवधि की समाप्ति से पहले या उस दिन, औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 (2020 का 35) की धारा 78(10)/ धारा 79/ धारा 80* के साथ पठित धारा 67 के अधीन देय सभी बकाये और मुआवजे का भुगतान कर दिया गया है*/कर दिया जाएगा*।

या

मैं/हम यह कथन करता हूँ/करते हैं कि वर्तमान में उक्त औद्योगिक स्थापना/उपक्रम/नियोक्ता के संबंध में दिवाला कार्यवाही (Insolvency proceedings) चल रही है, और मैं/हम संबंधित विधियों के अधीन उन्हें देय मुआवजे के साथ सभी बकाये का भुगतान करूंगा/करेंगे।

5. मैं/हम यह घोषित करता हूँ/करते हैं कि इस मामले में किसी भी न्यायालय के समक्ष कोई न्यायालय मामला लंबित नहीं है, और यदि है, तो उसका विवरण इसके साथ संलग्न कर दिया गया है।

6. मैं/हम यह घोषित करता हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा इस नोटिस और उपाबंधों में दी गई उपरोक्त जानकारी सत्य है, मैं/हम इसकी सटीकता के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार हूँ/हैं और इस मामले में कोई तथ्य/सामग्री छिपाई नहीं गई है।

कृपया मांगी गई अनुमति प्रदान की जाए।

भवदीय

(मोहर सहित नियोक्ता /***अधिकृत प्रतिनिधि का नाम)

(*जो लागू न हो उसे काट दें)

(**आंकड़ों और शब्दों दोनों में संख्या इंगित करें)

(*** नियोक्ता द्वारा जारी प्राधिकरण पत्र की प्रतिलिपि संलग्न करें)

उपाबंध 1

(कृपया प्रत्येक मद के सामने उत्तर दें)

1.	पूरा डाक पता, ई-मेल, मोबाइल तथा लैंड लाइन सहित उपक्रम का नाम	
2.	उपक्रम की स्थिति --- (i) क्या केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र/राज्य सार्वजनिक क्षेत्र/ इत्यादि (ii) क्या एक निजी लिमिटेड कंपनी/पार्टनरशिप फर्म/साझेदारी फर्म (iii) क्या उपक्रम के पास लाइसेंस है। पंजीकरण है और यदि हां तो, लाइसेंस देने / रजिस्ट्रीकरण करने वाली प्राधिकरण का नाम और लाइसेंस / रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या	
3.	(क) कॉर्पोरेट आईडेंटिफिकेशन संख्या (ख) गुड्स एन्ड सर्विस टैक्स आईडेंटिफिकेशन संख्या (जीएसटीआईएन)	
4.	(i) पिछले तीन वर्षों के लिए मदवार वार्षिक उत्पादन - (ii) पिछले 12 मास के लिए उत्पादन संबंधी माहवार ब्यौरे	
5.	पिछले तीन वर्षों के लिए तुलना पत्र, लाभ और हानि संबंधी ब्यौरे सहित उस कानूनी इकाई की लेखा परीक्षा रिपोर्ट जो स्थापन / उपक्रम के वासी है।	संलग्न करना है
6.	एक ही प्रबंधन के अधीन अंतः संबद्ध कंपनियों या कंपनियों के नाम	

7.	प्रस्तावित ले-ऑफ (कामबंदी)/ले-ऑफ (कामबंदी) को जारी रखने/छंटनी/बंदी (क्लोजर) के कारण	
8.	प्रत्येक ऐसी छंटनी/सेवा समाप्ति/ छंटनी की निरंतरता में शामिल ऐसी छंटनी/सेवा-समाप्ति की कर्मकारों की संख्या सहित पिछले तीन वर्षों में की गई छंटनी / सेवा समाप्ति का ब्यौरा	
9.	किसी भी अन्य सुसंगत विवरण, जिसका असर छंटनी / छंटनी की निरंतरता / सेवा समाप्ति / बंद होने पर है।	

उपाबंध 2

(प्रभावित कर्मकारों का ब्यौरा)

क्र.सं.	यूएन/सीएमपीएफओ	कर्मकार का नाम	श्रेणी (अतिकुशल/ कुशल/अर्ध कुशल/ अकुशल)	संबंधित स्थापन /उपक्रम/नियोक्ता के साथ सेवा की तारीख	आवेदन की तारीख के अनुसार वेतन	टिप्पणियां
1						
2						
3						

प्ररूप-15

[नियम 38 देखें]

(नियोक्ता/व्यक्ति को नोटिस जिसने पहली बार अपराध किया है)

कंपाउंडिंग ऑफिसर, आपको सूचित करता है कि निम्नलिखित ब्यौरा के अनुसार इस संहिता के विभिन्न उपबंधों के उल्लंघन के लिए आपके विरुद्ध आरोप लगाया गया है:—

भाग -1

1. अपराधी नियोक्ता/व्यक्ति का नाम और पता-
2. स्थापन का पता
4. अपराध का विवरण

5. संहिता की वह धारा जिसके अधीन अपराध किया गया है
.....
6. अपराध की संरचना के लिए भुगतान की जाने वाली शमन
रकम.....

भाग -2

आपको परामर्श दी जाती है कि इस नोटिस के भाग - 3 में विधिवत भरे गए आवेदन के साथ, नियम 38 के साथ पठित अपराध के शमन के लिए इस नोटिस की प्राप्ति की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर उपरोक्त राशि जमा करें।

यदि आप निर्दिष्ट समय के भीतर उक्त रकम जमा करने में विफल रहते हैं, तो आपको कोई और अवसर नहीं दिया जाएगा और संहिता की धारा 87 के अधीन अभियोजन फाइल करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।

(प्रशमन अधिकारी के हस्ताक्षर)

तारीख:

स्थान:

भाग - 3

1. आवेदक का नाम (औद्योगिक संबंध संहिता 2020 (2020 का 35) के अधीन अपराध करने वाले नियोक्ता/व्यक्ति का नाम का उल्लेख किया जाना है.....
2. आवेदन का पताt
3. अपराध का विवरण
.....
.....
..
4. संहिता की वह धारा जिसके अधीन अपराध किया गया हो
.....
5. जमा की गई शमन रकम का विवरण (इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्पन्न रसीद संलग्न की जानी है).....

6. अभियोजन का विवरण दिया जाए यदि उपर्युक्त अपराधों के उल्लंघन के लिए फाइल किया जाता है,

.....

7. क्या अपराध पहला अपराध है या आवेदक ने इस अपराध से पहले कोई अन्य अपराध किया था, यदि किया गया है, तो अपराध का पूरा विवरण

.....
.....
.....

8. कोई अन्य जानकारी जो आवेदक प्रदान करना चाहता है

.....
.....
.....

आवेदक
(नाम और हस्ताक्षर)

तारीख:

स्थान:

प्ररूप - 16
(नियम 40 देखें)

(औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 91 के अधीन शिकायत)

सुलह अधिकारी/मध्यस्थ/न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण के समक्ष ----,

.....के मामले में संदर्भ संख्या.....

क..... शिकायतकर्ता;
बनाम
ख..... प्रतिपक्षी

पता:

याचिकाकर्ता (याचिकाकर्ताओं) ने शिकायत की है कि प्रतिपक्ष औद्योगिक संबंध संहिता, 2020 की धारा 90 के प्रावधानों के उल्लंघन का दोषी रहा है, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

(कथित उल्लंघन किस रीति से हुआ है और किन आधारों पर प्रबंधन के आदेश या कृत्य को चुनौती दी गई है, उनका संक्षिप्त विवरण यहाँ प्रदान करें)

तदनुसार, शिकायतकर्ता /प्रार्थना करते हैं कि सुलह अधिकारी/मध्यस्थ/औद्योगिक न्यायाधिकरण या राष्ट्रीय औद्योगिक न्यायाधिकरण ऊपर निर्धारित शिकायत पर निर्णय लेने और उस पर ऐसे आदेश या आदेश पारित करने की कृपा करे, जो वह उचित और उचित समझे।

नियम 40 के अधीन अपेक्षित शिकायत की प्रतियों की संख्या और उसके अनुलग्नक इसके साथ प्रस्तुत किए जाते हैं।

दिनांक _____ 20 _____ शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं सत्यनिष्ठा से घोषणा करता हूँ कि ऊपर पैरा.....में जो कहा गया है मेरी जानकारी के अनुसार सत्य है और ऊपर पैरा में जो कहा गया है..... प्राप्त जानकारी पर कहा गया है और मेरे द्वारा सत्य है। इस सत्यापन पर मेरे द्वारा दिनांक _____ 20 _____ हस्ताक्षर किए गए हैं।

हस्ताक्षर

या सत्यापन करने वाले _____ व्यक्ति के अंगूठे का निशान

[फा. सं. एस-11025/01/2026-आई.आर.(पीएल)]

दीपिका कच्छल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 8th May, 2026

G.S.R. 342(E).—Whereas, the draft of the Industrial Relations (Central) Rules, 2025, as required under sub-section (1) of section 99 of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020) were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) vide number G.S.R. 930(E), dated the 30th December, 2025 inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

And whereas, the said draft notification were made available to the public on the 30th December, 2025;

And whereas, objections and suggestions received from persons and stakeholders have been duly considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 99 of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020) and in supersession of the Industrial Disputes (Central) Rules, 1957, in so far as they relate to Part II and Parts V to VIII; and the Industrial Employment (Standing Orders) Central Rules, 1946, in so far as they relate to these rules except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

**CHAPTER I
PRELIMINARY**

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Industrial Relations (Central) Rules, 2026.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.— (1) In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) “Code” means the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020);

(b) “electronically” means any information submitted by email or uploading on the official portal or digital payment in any mode for the purposes of the Code;

(c) “Form” means the forms set forth in the Schedule to these rules;

(d) “section” means a section of the Code.

(2) Words and expressions used in these rules which are not defined, but are defined in the Code, shall have their respective meanings assigned to them in the Code.

3. References of certain authorities and officers of industrial establishments under the Code.— (1) The reference to the Central Government or the Government of India, in relation to an industrial dispute in respect of a Union territory without legislature, shall be construed as a reference to the Administrator of such Union territory, for which the appropriate Government is the Central Government; and the reference to the Chief Labour Commissioner (Central), Deputy Chief Labour Commissioner (Central), Regional Labour Commissioner (Central) and the Assistant Labour Commissioner (Central) shall be construed as reference to the respective appropriate authority, appointed in that behalf by the Administrator of that Union territory.

(2) For the purposes of these rules, with reference to clause (m) of section 2 of the Code, it is hereby specified that—

(a) in relation to an industry, not being an industry referred to in sub clause (ii) thereof, carried on by or under the authority of a Ministry or Department of the Central Government or a State Government, the officer-in-charge of the industrial establishment shall be the employer in respect of that establishment; and

(b) in relation to an industry concerning railways, carried on by or under the authority of a Ministry or Department of the Central Government,—

(i) the General Manager thereof shall be the employer in respect of regular railway servants other than casual labour in the case of an establishment of a Zonal Railway;

(ii) the Officer-in-charge of the establishment shall be the employer in respect of regular railway servants other than casual labour in the case of an establishment independent of a Zonal Railway; and

(iii) the District Officer-in-charge or the Divisional Personnel Officer or the Personnel Officer, as the case may be, shall be the employer in respect of casual labour employed on Zonal Railway or any other railway establishment independent of a Zonal Railway.

4. Memorandum of settlement.— (1) The settlement arrived at in the course of conciliation proceedings or a written agreement between the employer and worker arrived at otherwise than in the course of conciliation proceeding shall be in Form I.

(2) The settlement shall be signed, —

(a) by the employer or by his authorised agent, or where the employer is an incorporated company or other body corporate, by the agent, manager or other principal officer of such company or such other body corporate; and

(b) on behalf of workers, by any of the following office bearers of Trade Union, namely: —

(i) the President; or

(ii) the Vice-President; or

(iii) the Secretary (including the General Secretary); or

(iv) the Joint Secretary; or

(v) any other office bearer of the Trade Union authorised in this behalf by the President and Secretary of the Union; or

(vi) five representatives of workers duly authorised in this behalf at the meeting of the workers held for the purpose.

(3) In case of an industrial dispute between individual worker and employer, the settlement shall be signed by the employer and the worker concerned.

(4) Where the settlement is arrived at in the course of conciliation proceedings, the conciliation officer shall send a report thereof to the Central Government together with a copy of the memorandum of settlement signed by the parties to the dispute.

(5) Where a settlement is arrived at between an employer and his worker otherwise than in the course of conciliation proceedings, the parties to the settlement shall jointly send a copy thereof electronically or by speed post to the concerned Deputy Chief Labour Commissioner (Central) and to the conciliation officer.

(6) The conciliation officer shall file all settlements effected under this rule in respect of industrial disputes in the area within his jurisdiction in the register maintained electronically or otherwise.

(7) The register referred to in sub-rule (6), shall contain the details including serial number, name of the industry, parties to the settlement, date of settlement, remarks and whether settlement was arrived at after the intervention of conciliation officer or by mutual negotiation:

Provided that signature of the conciliation officer on the agreement shall not be necessary where the agreement for settlement is arrived at outside conciliation:

Provided further that nothing in this rule shall prohibit a settlement between a worker or workers or Trade Union and an employer on mutually agreed terms and such settlement may be in a format other than in Form I.

CHAPTER II

BI-PARTITE FORUMS

5. Works Committee and its constitution.— (1) Every employer to whom an order made by the Central Government under sub-section (1) of section 3 of the Code relates, shall forthwith proceed to constitute a Works Committee (hereinafter in this chapter referred to as the “Committee”) to promote measures for securing and preserving amity and good relations between the employer and workers and, to that end, to comment upon matters of common interest or concern, as specified in these rules.

(2) (i) The number of members constituting the Committee shall be fixed so as to afford representation to the various categories, groups and class of workers engaged in, and to the sections, shops or departments of the industrial establishment.

(ii) The total number of members of the Committee shall not exceed twenty.

(iii) The number of representatives of the workers in the Committee shall not be less than the number of representatives of the employer therein:

Provided that the industrial establishment in which women workers are employed shall have adequate representation of women workers in the Committee and such representation shall not be less than the proportion of women workers to the total workers employed in the industrial establishment.

(3) The representatives of the employer in the Committee shall be nominated by the employer and shall, as far as may be possible, be officials in direct touch with, or associated with the working of the industrial establishment.

(4) Where the workers of the industrial establishment are members of a registered Trade Union or Trade Unions, the employer shall request such registered Trade Union or Trade Unions to inform him in writing as to—

(a) number of the workers who are members of such registered Trade Union or Trade Unions; and

(b) if the employer has reason to believe that the information furnished to him by the registered Trade Union or Trade Unions is false, he may, after informing such registered Trade Union or Trade Unions, refer the matter to the Regional Labour Commissioner (Central), who shall, after hearing the parties, decide the matter and his decision shall be final.

(5) On receipt of the information under sub-rule (4), the employer shall provide for the choosing of the worker’s representative of the Committee in the following manner, namely:—

(a) in the case of a negotiating union under sub-section (2) or sub-section (3) of section 14 of the Code, such negotiating union shall nominate the worker’s representatives of the Committee;

(b) in the case of the negotiating council under sub-section (4) of section 14 of the Code, every registered Trade Union representing in the negotiating council shall be nominated in the Committee in proportion to the number of workers of the industrial establishment who are members of such Trade Union;

(c) where there is no recognised negotiating union or negotiating council referred to in clauses (a) and (b), the workers of the industrial establishment shall elect amongst themselves the worker’s representatives of the Committee:

Provided that the employer may, deploy an electronic platform for conducting the election process over an information technology application, online platform or such other platform to enable the election of the representatives of workers to the Committee under this clause:

Provided further that where a registered Trade Union fails to furnish the information under sub-rule (4) within one month of the date on which it is so called for, then, such Trade Union shall for the purpose of this rule be treated as if it did not exist:

Provided also that where any reference has been made by the employer under sub-rule (4), the process of choosing the worker's representative relating thereto shall be held on receipt of the decision of the concerned Regional Labour Commissioner (Central).

(6) The employer may, if he thinks fit, direct that the workers shall vote either by groups, sections, shops or departments.

(7) Any worker, of not less than nineteen years of age and with a service of not less than one year in the industrial establishment may, if nominated as provided in this rule, be a candidate for election as a worker's representative of the Committee:

Provided that such service qualification shall not apply to the first election in an industrial establishment which has been in existence for less than a year.

Explanation.—For the purposes of this sub-rule, a worker who has put in continuous service for not less than one year in two or more industrial establishments belonging to the same employer shall be deemed to have satisfied the service qualification specified therein.

(8) All workers who are not less than eighteen years of age and who have put in not less than six months' continuous service in the industrial establishment shall be entitled to vote in the election of worker's representative of the Committee.

Explanation.— For the purposes of this sub-rule, a worker who has put in continuous service of not less than six months in two or more industrial establishments belonging to the same employer shall be deemed to have satisfied the service qualification specified therein.

(9) (i) The employer shall give a minimum time period of three working days for filing of nomination along with other requisite details while fixing a date as the closing date for receiving nominations from candidates for election as worker's representatives of the Committee.

(ii) The date fixed by the employer for holding the election referred to in clause (i) shall not be earlier than three days and not later than fifteen days after the closing date for receiving nominations.

(iii) The date of election fixed under clause (i) shall be notified seven days in advance and such notice shall specify the number of seats to be elected and shall be affixed on the notice board or electronic notice board of the industrial establishment and given adequate publicity amongst the workers.

(10) (i) Every nomination for election as worker's representative of the Committee shall be made on a nomination paper to be provided by employer and the copies thereof shall be supplied by the employer to the workers requiring them.

(ii) Each nomination paper referred to in clause (i) shall be signed by the candidate to whom it relates and attested by at least two other voters belonging to the group, section, shop or department, which the candidate seeking election shall represent, and shall be delivered to the employer.

(11) (i) On the day following the last day fixed for filing nomination papers, the nomination papers shall be scrutinised by the employer in the presence of the candidates and the attesting persons and those nominations which are not valid shall be rejected.

(ii) A nomination paper shall be held to be not valid under clause (i), if—

(a) the candidate nominated is ineligible for being a candidate under sub-rule (7); or

(b) the requirements of sub-rule (10) have not been complied with:

Provided that where a candidate or an attesting person is not able to be present at the time of scrutiny, the candidate may send a duly authorised nominee for this purpose.

(12) Any candidate whose nomination for election has been accepted may withdraw his candidature within forty-eight hours of the completion of scrutiny of the nomination papers.

(13) (i) In case the number of candidates who have been validly nominated for election as worker's representative of the Committee is equal to the number of seats, the candidates as such shall be forthwith declared as duly elected.

(ii) Where, in any industrial establishment, the number of candidates validly nominated for election as worker's representative of the Committee is more than the number of seats allotted to it, voting shall take place on the day fixed for election.

(14) (i) The Committee shall have among its office-bearers, a Chair person, Vice-Chairperson, Secretary and Joint-Secretary.

(ii) The Chairperson of the Committee shall be nominated by the employer from amongst the employer's representatives of the Committee and he shall, as far as possible, be the head of the industrial establishment.

(iii) The Vice-Chairperson shall be elected by the members of the Committee representing the workers, from amongst themselves:

Provided that in the event of equality of votes in the election of the Vice-Chairperson, the matter shall be decided by a draw of lot.

(iv) The Secretary and Joint-Secretary of the Committee shall be elected every year.

(v) The Committee shall elect the Secretary and Joint Secretary and where the Secretary is elected from amongst the representatives of the employers, the Joint Secretary shall be elected from amongst the representatives of the workers and *vice versa*:

Provided that the post of the Secretary or Joint Secretary, as the case may be, shall not be held by a representative of either the employer or the workers for three consecutive years:

Provided further that the employer's representatives shall not take part in the election of the Secretary or Joint Secretary, as the case may be, and the representatives of the workers shall be entitled to vote in elections for the post of Secretary or Joint Secretary:

Provided also that in the event of equality of votes in an election under this sub-rule, the matter shall be decided by a draw of lot.

(15) (i) The term of office of the members of the Committee other than a member chosen to fill a casual vacancy, shall be three years.

(ii) Every member chosen to fill a casual vacancy shall hold office for the remaining period of the term of his predecessor.

(iii) In case any member fails to attend three consecutive meetings of the Committee without obtaining leave from the Committee, his membership shall be forfeited.

(16) In the event of worker's representative ceasing to be a member under clause (iii) of sub-rule (15) or ceasing to be employed in the industrial establishment or in the event of his resignation, death or otherwise, his successor shall be chosen in accordance with the provisions of this rule for the remaining period of the Committee from the same group to which the member vacating the seat belonged.

(17) The Committee shall have the right to co-opt persons employed in the industrial establishment having particular or special knowledge of a matter under discussion in a consultative capacity and such co-opted member shall not be entitled to vote and shall be present at meetings only for the period during which the particular question is before the Committee.

(18) (i) The Committee may meet as often as necessary but not less often than once in three months.

(ii) The Committee shall at its first meeting regulate its own procedure.

(19) (i) The employer shall provide a place for holding meetings of the Committee and provide all necessary facilities for carrying out the work of the Committee.

(ii) The Committee shall ordinarily meet during working hours of the industrial establishment concerned on any working day and the representatives of the workers shall be deemed to be on duty while attending the meeting.

(iii) The Secretary of the Committee may with the prior approval of the Chairperson, put up notice regarding the functions of the Committee on the notice board of the industrial establishment.

(20) The employer shall submit the details of the constitution and the functioning of the Committee as a part of unified annual return provided in the rules made in this behalf under the Occupational Safety, Health and Working Condition Code, 2020 (37 of 2020).

(21) The Central Government, or the officer authorised in its behalf, may after making such inquiry as it or he may deem fit, dissolve any Committee at any time, by an order for reasons to be recorded in writing, on being satisfied that the Committee has not been constituted in accordance with the provisions of these rules or that not less than two-thirds of the number of representatives of the workers have without any reasonable justification failed to attend three consecutive meetings of the Committee or that the Committee has, for any other reason, ceased to function:

Provided that where the Committee is dissolved under this sub-rule, the employer may, and if so required by the Central Government or, as the case may be, by such officer, shall take steps to re-constitute the Committee in accordance with these rules.

6. Grievance Redressal Committee.— (1) The Grievance Redressal Committee (hereinafter in this Chapter referred to as the “Grievance Committee”) in an industrial establishment employing twenty or more workers, shall consist of equal number of members representing the employer and workers, which shall not exceed ten members.

(2) The representatives of the employer in the Grievance Committee shall be nominated by the employer and shall, as far as may be possible, be officials in direct touch with or associated with the working of the industrial establishment, preferably the heads of major departments of the industrial establishment.

(3) The representative of workers of the Grievance Committee shall be chosen in the following manner, namely: —

(a) where there is a negotiating union under sub-section (2) or sub-section (3) of section 14 of the Code, such negotiating union shall nominate the worker’s representatives of the Grievance Committee;

(b) in the case of a negotiating council under sub-section (4) of section 14 of the Code, every registered Trade Union representing in the negotiating council shall be nominated in the Grievance Committee in proportion to the number of workers of the industrial establishment who are members of such Trade Union;

(c) where there is no recognised negotiating union or negotiating council referred to in the clauses (a) and (b), the workers of the industrial establishment shall choose amongst themselves the worker’s representatives of the Grievance Committee:

Provided that the employer may, deploy an electronic platform for choosing worker’s representatives under this clause, over an information technology application, online platform or such other like platform:

Provided further that there shall be adequate representation of women workers in the Grievance Committee and such representation shall not be less than the proportion of women workers to the total workers employed in the industrial establishment.

(4) The term of the members of the Grievance Committee shall be three years.

(5) Where there is no recognised negotiating union or negotiating council and if any dispute arises regarding choosing of the worker’s representative to the Grievance Committee, the matter may be referred to the concerned Regional Labour Commissioner (Central), who shall, after hearing the parties, decide the matter, whose decision shall be final.

7. Application to Grievance Committee.— (1) Any aggrieved worker may file an application stating his grievance before the Grievance Committee, along with name, designation, worker code or token number, department where he is posted, length of his service in years, category of worker, address for correspondence, contact number, details of grievance and the relief sought therefor.

(2) The application referred to in sub-rule (1) may be sent electronically or otherwise.

(3) The application referred to in sub-rule (1) shall be filed within one year from the date on which the cause of action arose.

8. Application to conciliation officer.— Any worker aggrieved by the decision of the Grievance Committee or whose grievance is not resolved by the said Committee within thirty days of receipt of the application, may file an application online on designated portal of the Ministry of Labour and Employment, or by speed post, or in person, within a period of sixty days from the date of the decision of the Grievance Committee or from the date on which the period specified in sub-section (6) of section 4 of the Code expires, as the case may be, to the conciliation officer through the Trade Union, of which he is a member:

Provided that in case of manual receipt of such application through speed post or in person, the conciliation officer shall get the same digitized and enter the particulars of the application in the online mechanism under intimation to the Trade Union and worker.

CHAPTER III

TRADE UNIONS

9. Manner of recognition of negotiating union or negotiating council.-

(1) Matters for negotiation.— The matters pertaining to workers which the negotiating union or the negotiating council, as the case may be, shall negotiate with the employer of the industrial establishment under sub-section (1) of section 14 of the Code are specified, below: -

- (i) the classification of grades and categories of workers;
- (ii) order passed by an employer under the standing orders applicable in the industrial establishment;
- (iii) the wages of the workers including their wage period, dearness allowance, bonus, increment, customary concession or privileges, compensatory and other allowances;
- (iv) hours of work of the workers, rest days, number of working days in a week, rest intervals, working of shifts;
- (v) leave with wages and holidays;
- (vi) promotion and transfer policy and disciplinary procedures;
- (vii) quarter allotment policy for workers;
- (viii) safety, health and working conditions and related standards;
- (ix) the matters pertaining to conditions of service and terms of employment of the workers which are not covered in the foregoing clauses; and
- (x) any other matter which is agreed between employer of the industrial establishment and negotiating union or negotiating council, as the case may be.

(2) Criteria for recognising single registered Trade Union.- under sub-section (2) of section 14 of the Code.— Where there is only one registered Trade Union operating in an industrial establishment having its membership not less than thirty per cent. of the total workers employed in the industrial establishment, the employer of such industrial establishment shall recognise such Trade Union as the sole negotiating union of the workers.

(3) Manner of verification of membership of Trade Unions under sub-sections (3) and (4) of section 14 of the Code.— (a) (i) The Central Government shall appoint a verification officer (hereinafter in this chapter, referred to as the verification officer) for the purpose of verification of membership of the Trade Unions in the industrial establishment who shall not have any interest with any of the Trade Unions in the industrial establishment, whose membership verification is to be carried out by him:

Provided that the process for recognition of the negotiating union or the negotiating council, as the case may be, shall commence three months before the expiry of the term of the existing recognition period of the negotiating union or the negotiating council, as the case may be, recognised by the employer under the Code.

(ii) The verification officer may utilise the services of other officers to assist him depending upon the quantum of work of membership verification.

(iii) The verification officer shall carry out the work of membership verification in the industrial establishment within the time as determined by the Central Government.

(b) The employer of the industrial establishment shall bear all the expenses and make arrangements in connection with the verification of membership of Trade Unions under clause (a).

(c) The Trade Unions may submit an application to the employer of the industrial establishment to accord status of negotiating union or the representatives of negotiating council of the workers, as the case may be, on fulfillment of the following conditions namely,-

(i) such Trade Union has a valid registration under the Trade Unions Act, 1926 (16 of 1926) and continuing as such or has the registration under the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020), as the case may be; and

(ii) the application for recognition by the Trade Union is accompanied with a copy of the registration certificate, a copy of list of members, details of the membership subscription and a copy of latest annual return of the Trade Union submitted to the Registrar of Trade Unions.

(d) (i) In case the negotiating union or negotiating council, is constituted under the Code, the employer of the industrial establishment shall initiate action before expiry of the tenure of negotiating union or negotiating council, sufficiently in advance but not later than three months before the expiry of the tenure of negotiating union or negotiating council, as the case may be.

(ii) The date of reckoning of verification of membership of the Trade Unions shall be fixed by the verification officer for the industrial establishment.

(iii) The employer of the establishment shall forward the documents and records submitted by Trade Unions, to the verification officer.

(iv) On receipt of the documents and records, the verification officer shall scrutinise the records and documents submitted by the Trade Union to ascertain the status of registration of Trade Unions and related matters.

(v) The verification officer shall hold meeting with representatives of employer of industrial establishment and all participating Trade Unions to decide the process of verification of the membership of Trade Unions through secret ballot.

(vi) The employer may, in consultation with the verification officer deploy an electronic process for conducting the election over an information technology application, online platform or like other platform.

(4) Verification of membership through secret ballot.- (a) The verification officer shall convene meeting of representatives of all registered Trade Unions functioning in the industrial establishment sixty days before the date of actual voting to decide -

- (i) the publication of voters list;
- (ii) the date, time, mode of voting, place of voting;
- (iii) the date, time and place of counting; and
- (iv) other modalities relating to secret ballot.

(b) The verification officer shall cause the minutes of the meeting to be prepared and signed by all participating Trade Unions.

(c) All participating Trade Unions shall be allotted symbols in the same meeting.

(d) In case no decision could be taken regarding date, time, mode of voting, place of voting, allotment of symbols, date, time and place of counting and like other matters in the meeting, the decision of the verification officer shall be final and he shall publish the schedule, programme and procedure of such secret ballot election.

(e) All workers whose names are borne on the muster roll of the industrial establishment on the date of reckoning shall be eligible to cast their vote.

(f) The voters list shall be prepared by the employer of the industrial establishment on the basis of names of the workers borne on the muster roll referred to in clause (e) and the voters list shall contain the name, father's name, designation, worker number or identity card number issued by the employer and place of posting of the worker.

(g) The final voter list shall be published by the employer after obtaining the approval of verification officer and be displayed at notice board at the main entrance and also on website, if any, of the industrial establishment within two days of finalisation of the list and a copy of such voters list shall also be sent to the participating Trade Unions by hand or by speed post or through electronic mode.

(h) The verification officer shall display the list of the name of the participating Trade Unions with the symbol allotted to them on the notice board at the main entrance and website, if any, of the industrial establishment within two days of finalisation of the list.

(i) The voting and counting of votes shall be held on the date, time and place fixed by the verification officer under the supervision of the verification officer and during the counting, agents of all participating Trade Unions shall be allowed to remain present.

(j) After final counting of votes, the result shall be declared by the verification officer which shall contain the name of all Trade Unions who participated in election, total number of votes polled and the number of votes cast in favour of each of the trade unions which participated in the election.

(5) Verification report.- The verification officer shall submit verification report along with the result sheet to the employer of industrial establishment.

(6) Recognition of Trade Union as negotiating union or constituents of negotiating council.- (a) On the basis of verification report submitted by verification officer, the employer of the industrial establishment shall grant recognition to the Trade Union as a negotiating union or a constituent of negotiating council.

(b) The recognition granted under clause (a), either as negotiating union or the negotiating council shall be valid for three years from the date of recognition or constitution or such further period not exceeding five years, in total, as may be mutually agreed by the employer and the Trade Union, as the case may be.

(7) Facilities provided by industrial establishment.- (a) In an industrial establishment, where there is a negotiating union or negotiating council, as the case may be, the employer of such industrial establishment shall provide the following facilities namely: -

- (i) notice board for the purpose of displaying information relating to activities of the negotiating union or negotiating council;
- (ii) venue and necessary facilities for holding discussions by the negotiating union or negotiating council, as per the schedule and agenda to be settled between employer of the industrial establishment and the negotiating union or negotiating council;
- (iii) venue and necessary facilities for holding discussions amongst the members of the negotiating union or constituents of negotiating council;
- (iv) entrance of the office bearers of the negotiating union or negotiating council, in the industrial establishment for the purposes of ascertaining the matters relating to working conditions of the workers;
- (v) employer of an industrial establishment, having three hundred or more workers, shall provide suitable office accommodation with necessary facilities to the negotiating union or negotiating council.

(b) The employer of the industrial establishment shall deduct subscription of the members of the Trade Union on the basis of the written consent of the worker.

(c) The office bearers of the negotiating union or negotiating council shall be treated on duty while holding meetings with the employer.

(8) Application for adjudication of dispute before Tribunal.- Where any dispute arises between –

- (i) one Trade Union and another; or
- (ii) one or more workers who are members of Trade Union and the Trade Union regarding registration, administration or management or election of office bearers of the Trade Union; or
- (iii) one or more workers who are refused admission as members and the Trade Union; or
- (iv) where the dispute is in respect of a Trade Union which is a federation of Trade Unions and office bearer authorised in this behalf by the Trade Union,

the aggrieved worker or the Trade Union, as the case maybe, may make an application in Form-II to the Tribunal having jurisdiction within a period of one year from the date on which the dispute arises, electronically or by speed post or in person.

CHAPTER IV

STANDING ORDERS

10. Model Standing Orders. - The Model Standing Orders for the purposes of the Code in respect of industrial establishments in mine sector, manufacturing sector and service sector shall be those set out under the Model Standing Orders, 2026.

Forwarding of information to certifying officer.— (1) In case the employer adopts the Model Standing Orders of the Central Government referred to in section 29 of the Code with respect to matters relevant to his industrial establishment or undertaking, the employer shall inform the concerned certifying officer electronically or in person or by speed post, the specific date from which the provisions of the Model Standing Orders have been adopted.

(2) The Model Standing Order adopted under sub-rule (1) shall apply to the industrial establishment and to all its units.

(3) On receipt of information under sub-rule (1), the certifying officer shall enter the details of the industrial establishment which has adopted the Model Standing Order in the register specified in rule 17.

(4) Where the certifying officer observes that the industrial establishment, which has informed adoption of Model Standing Orders is engaged in activities other than for which Model Standing Orders have been adopted, he may, within a period of thirty days from such receipt of information of Model Standing Orders so adopted, direct such employer to include or adopt certain provisions which are relevant to his industrial establishment and indicate those relevant provisions to comply the same within a period of thirty days from the date of the receipt of such direction and send a compliance report in respect of those provisions only which the certifying officer has so directed to get included.

(5) If no observation is made by the certifying officer within a period of thirty days of the receipt of the information specified in sub-rule (1), the Model Standing Order shall be deemed to have been certified by the certifying officer.

(6) The provisions of the Model Standing Orders adopted in accordance with the provisions of these rules shall come in force with effect from the date specified in sub-rule (1).

(7) The certifying officer shall not raise any observation, if the industrial establishment is engaged in activities which are wholly covered by the activities of the industrial establishment to which the standing orders apply.

11. Choosing of representatives of workers for issuing notice where there is no Trade Union.— (1) Where there is no Trade Union in the industrial establishment or undertaking, the certifying officer shall call a meeting of the workers to choose their representatives, to whom shall, upon their being chosen, issue notice along with a copy of the standing order or modification, as the case may be, in the language spoken and understood by the majority of the workers, requiring comments or suggestions, if any, which the workers may desire to make to the draft standing orders to be submitted within fifteen days from the date of receipt of such notice.

(2) The Trade Union or negotiating union or constituent of negotiating council shall be given a copy of the draft standing orders or modification, as the case may be, in the language spoken and understood by the majority of the workers, for seeking their comments or suggestions, if any, within fifteen days from the date of the receipt of the notice in this rule.

12. Authentication of certified standing order.— The certified standing orders or the modifications in the standing orders shall be authenticated by the certifying officer and shall be sent electronically and a hard copy thereof by speed post, within seven days from the date of such authentication to the employer and all the registered Trade Unions or chosen representative of workers:

Provided that there shall not be any requirement of authentication under this rule in cases of deemed certification under sub-section (3) of section 30 of the Code and in cases where the employer has certified adoption of Model Standing Orders.

13. Statement to accompany draft standing orders.— (1) The draft standing order shall be accompanied with a statement containing, the name of the industrial establishment or undertaking concerned, address, e-mail address,

contact number and the strength and details of workers employed therein including particulars of Trade Unions, if any, to which such workers belong.

(2) The draft modification in an existing standing order shall be accompanied with a statement containing the particulars of such standing order which is proposed to be modified along with a tabular statement containing details of each of the provision of that standing order in force and the proposed modification therein and reasons therefor.

(3) The statement referred to in sub-rules (1) and (2) shall be signed by a person authorised by the industrial establishment or undertaking.

(4) The Model Standing Orders, if modified, shall also apply to all the units of the industrial establishment or undertaking.

14. Conditions for submission of draft standing orders in similar establishment.— In case of group of employers engaged in similar industrial establishments, they may, after consultation with the concerned Trade Union, submit a joint draft of standing order under section 30 of the Code and the provisions of these rules shall apply:

Provided that the joint draft of standing orders, in cases of group of employers engaged in similar industrial establishments, shall be drafted and submitted to the Additional Chief Labour Commissioner (Central), who shall, in consultation with the concerned certifying officers, certify such joint draft standing orders, after recording reasons therefor:

Provided further that the certifying officer shall give notice to the concerned parties and provide reasonable opportunity of being heard before certifying the standing orders.

15. Disposal of appeal.— (1) An employer or Trade Union or the negotiating union or negotiating council, or where there is no negotiating union or negotiating council in an industrial establishment or undertaking, any union or such representative body of the workers of the industrial establishment or undertaking, may prefer an appeal against the order of the certifying officer made under sub-section (5) of section 30 of the Code within sixty days of the receipt of such order, and for that purpose draw up a memorandum of appeal in a tabular form stating therein the provisions of the standing orders which are required to be altered or modified or deleted or added along with the reasons therefor, and file it electronically or in person with the appellate authority.

(2) The appellate authority shall fix a date for the hearing of the appeal and direct notice thereof to be given, —

(a) where the appeal is filed by the employer, to Trade Union or the negotiating union or negotiating council, as the case may be, or where there is no negotiating union or negotiating council in an industrial establishment or undertaking, any union or such representative body of the workers of the industrial establishment or undertaking;

(b) where the appeal is filed by a Trade Union or the negotiating union or negotiating council, to the employer and the negotiating union or the negotiating council or all other Trade Unions of the workers of the industrial establishment, as the case may be, or where there is no negotiating union or negotiating council in an industrial establishment or undertaking, any union or such representative body of the workers of the industrial establishment or undertaking; and

(c) where the appeal is filed by a representative body of the workers, to the employer and other Trade Unions of the workers of the industrial establishment, or where there is no trade union of the workers in an industrial establishment or undertaking, any other worker who joins as a party to the appeal.

(3) The appellant shall furnish each of the respondents with a copy of the memorandum of appeal referred to in sub-rule (1).

(4) The appellate authority may, at any stage of the proceeding call for any evidence, if it considers necessary for the disposal of the appeal.

(5) On the date fixed under sub-rule (2) for the hearing of the appeal, the appellate authority shall take such evidence as it considers relevant, if produced, and after hearing the parties, dispose of the appeal.

16. Serving of order and text of standing orders. - (1) The order of the appellate authority shall be served electronically or otherwise within three days of the disposal of appeal to the employer or Trade Union or the negotiating

union or negotiating council or any union or representative body of the workers, as the case may be, by whom the appeal has been filed.

(2) The text of the standing orders as finally certified or deemed to have been certified or adopted model standing orders under this Chapter, shall be maintained by the employer in Hindi, English and local language.

(3) The certified standing orders shall be displayed in legible manner by the employer on the special board to be maintained for the purpose at the entrance or near the entrance of the industrial establishment through which majority of workers enter and may also be posted on the designated portal/website, if any, of such industrial establishment.

17. Register of standing orders.— (1) The certifying officer shall maintain electronically, a register in Form-III of all finally certified standing orders or deemed to have been certified or adopted Model Standing Orders, of all the concerned industrial establishments, which shall contain details of –

- (a) the unique number assigned to each standing order;
- (b) the name of industrial establishment;
- (c) the nature of industrial establishment;
- (d) the date of certification or deemed certification or date of adoption of Model Standing Orders by each establishment or undertaking;
- (e) the areas of operation of the industrial establishment; and
- (f) such other details as may be relevant and helpful in retrieving the standing orders and create a data base of such of all standing orders.

(2) The certifying officer shall furnish a copy of the certified standing orders or deemed certified standing orders referred to in sub-rule (1) to any person applying therefor, on payment of two rupees per page of the certified standing orders or deemed certified standing orders, as the case may be.

(3) The payment of fee for getting certified standing orders may also be made electronically.

18. Application for modification of standing orders.— (1) The application for modification of existing standing orders shall be submitted electronically or in person or by speed post.

(2) The application specified in sub-rule (1) shall contain the particulars of such standing orders which are proposed to be modified along with a tabular statement containing details of each of the relevant provisions of standing order in force and proposed modifications therein, reasons thereof and the details of registered Trade Unions operating therein.

(3) The statement mentioned in sub-rule (2) shall be signed by a person authorised by the industrial establishment or undertaking or workers or a Trade Union or other representative body of the workers, as the case may be, who has submitted such application for modification.

CHAPTER V

NOTICE OF CHANGE

19. Notice for change.— (1) Any employer intending to effect any change in the conditions of service applicable to any worker in respect of any matter specified in the Third Schedule to the Code, shall give notice in Form- IV electronically or by speed post or in person, to such workers likely to be affected by such change and shall also upload such notice on the designated portal, if any, of the industrial establishment.

(2) The notice mentioned in sub-rule (1) shall be displayed conspicuously by the employer on the notice board or on the electronic notice board at the main entrance of the industrial establishment:

Provided that when there is a registered Trade Union or registered Trade Unions or a negotiating union or negotiating council relating to the concerned industrial establishment, a copy of such notice shall also be served in the

manner specified in sub-rule (1) on the secretary of such Trade Union or each of the secretaries of such Trade Unions, or secretary of the negotiating union or constituent of negotiating council, as the case may be.

CHAPTER VI

VOLUNTARY REFERENCE OF DISPUTES TO ARBITRATION

20. Form of arbitration agreement and manner of signing by parties — (1) The employer and workers may agree to refer any industrial dispute to arbitration by entering into an arbitration agreement in Form- V.

(2) The arbitration agreement referred to in sub-rule (1) shall be signed by the parties to the said agreement and it shall be accompanied by the consent, either in writing or electronically, of arbitrator or arbitrators.

(3) The arbitration agreement referred to in sub-rule (1) shall be signed, -

- (i) in case of an employer, by the employer himself, or when the employer is an incorporated company or other body corporate, by the agent, manager or other officer of the company or corporation authorised for such purpose;
- (ii) in the case of workers, by the officer of the registered Trade Union authorised in this behalf or by five representatives of the workers duly authorised in this behalf at a meeting of the concerned workers held for such purpose; and
- (iii) in the case of an individual worker, by such worker himself or by an officer of the registered Trade Union, of which the worker is a member, or by another worker in the same establishment duly authorised by him in this behalf.

Explanation.— For the purposes of this rule, the term “officer”,—

- (a) in case of an association of the employers, means any officer of such association of the employers authorised for such purpose; and
- (b) in case of a registered Trade Union, means any of the following officers of such Trade Union authorised for such purpose, namely:—
 - (i) the President; or
 - (ii) the Vice-President; or
 - (iii) the Secretary (including the General Secretary); or
 - (iv) a Joint Secretary; or
 - (v) any other officer of such Trade Union authorised in this behalf by the President and Secretary of such Trade Union.

21. Issuing of notification.— Where an industrial dispute has been referred to arbitration and the Central Government is satisfied that the persons making the reference represent the majority of each party, it shall issue a notification in this behalf and upload it on the website of the Ministry of Labour and Employment for the information of the employers and workers who are not parties to the arbitration agreement but are concerned in the dispute so that they may present their case before the arbitrator or arbitrators appointed for such purpose.

22. Choosing of representatives of workers where there is no Trade Union.— Where there is no Trade Union to present the case before the arbitrator or arbitrators, the representative of workers shall be chosen by a resolution passed by the majority of concerned workers in Form- VI authorising to represent the case and the workers shall be bound by the acts of their representatives who have been so chosen to represent before the arbitrator or arbitrators, as the case may be.

CHAPTER VII

MECHANISM FOR RESOLUTION OF INDUSTRIAL DISPUTES

23. Conciliation proceedings— (1) Where the conciliation officer receives any—

- (a) notice of a strike or lockout given under rule 25 or rule 26; or
- (b) application in respect of an existing industrial dispute; or
- (c) information regarding apprehension of an industrial dispute,

such officer shall—

- (i) in case of clause (a), enter the details on the designated portal and hold conciliation proceedings and inform the concerned parties the date of sitting for such purpose;
- (ii) in case of clause (b), enter the details on the designated portal and examine the application and if such dispute pertains to the jurisdiction of State Government, transfer the application to the concerned authority or otherwise proceed with the application and hold the conciliation in respect thereof; and
- (iii) in case of clause (c), enter the details on the designated portal and issue fresh notice to the parties concerned declaring his intention to commence conciliation proceedings.

(2) The employer's representative and the worker's representative shall, on receipt of the notice referred to in sub-rule (1), submit their respective statements in respect of the said dispute in the first meeting of the conciliation proceedings.

(3) The conciliation officer shall, without delay, ascertain the facts and circumstances relating to the dispute and enquire into all matters affecting the merits and right settlement thereof and hold conciliation proceedings between the parties to the dispute and may do all such things as he thinks fit for the purpose of inducing the parties to come to a fair and amicable settlement of the dispute.

(4) If no settlement is arrived at in the conciliation proceedings referred to in sub-rule (3), the conciliation officer shall, within seven days from the date on which the conciliation proceedings are concluded, upload a report on designated portal of the Ministry of Labour and Employment and forward a copy thereof electronically or by speed post or in person to the parties to the dispute and to the Central Government.

(5) The report shall be made accessible to the parties concerned on the said designated portal by the Ministry of Labour and Employment.

(6) If settlement of the dispute or of any of the matters in dispute is arrived at in the course of the conciliation proceedings, the conciliation officer shall, apart from submitting a report to the Central Government or an officer duly authorised in this behalf by that Government along with a memorandum of the settlements signed by the parties to the dispute, also upload such report and memorandum of settlement on the designated portal of the Ministry of Labour and Employment.

(7) All evidences before the conciliation officer, except the documentary evidence, shall be filed in the form of an affidavit and the parties to the dispute shall also file the application or, as the case may be, file reply or rejoinder thereof in the form of an affidavit.

(8) The report referred to in sub-rule (4) shall, *inter alia*, contain the submissions of the employer, worker or Trade Union, as the case may be, involved in the dispute and it shall also contain the efforts made by the conciliation officer to bring the parties to an amicable settlement, reasons for refusal of the parties to resolve the dispute and the conclusion arrived at by the conciliation officer.

(9) Where any dispute is not settled during the conciliation proceeding, the concerned party may make an application in Form II before the Tribunal electronically or by speed post or by speed post with value added services-Registration or POD (Proof of Delivery), within ninety days from the date of the report under sub-rule (5).

24. Application for recovery of dues.— (1) Where any money is due from an employer to a worker or a group of workers under a settlement or an award or under the provisions of Chapter IX or Chapter X of the Code, the worker or the group of workers, as the case may be, may apply in Form -VII for the recovery of such money due:

Provided that in the case of a person authorised in writing by the worker, or in the case of the death of the worker, the assignee or heir of the deceased worker shall make the application in Form VIII.

(2) Where any worker or a group of workers is entitled to receive from the employer any money or any benefit which is capable of being computed in terms of money, the worker or the group of workers, as the case may be, may apply to the Tribunal having jurisdiction in Form IX for the determination of the amount due or, as the case may be, the amount at which such benefit should be computed and such Tribunal shall decide the application within a period not exceeding three months from the date on which the application is filed:

Provided that in the case of the death of a worker referred to in this sub-rule, the application shall be made in Form X by the assignee or heir of the deceased worker.

CHAPTER VIII

STRIKES AND LOCK-OUTS

25. Notice of strike, person or persons to whom notice be given and manner of giving such notice.— (1) The notice of strike referred to in sub-section (1) of section 62 of the Code shall be given in Form-XI, to the employer of an industrial establishment, which shall be duly signed by the Secretary of the concerned registered Trade Union or where there is no registered Trade Union, by five elected representatives of the workers giving the notice relating to the concerned industrial establishment, endorsing the copy thereof electronically or by speed post to the concerned conciliation officer, Chief Labour Commissioner (Central) and the Secretary, Ministry of Labour and Employment.

(2) The date of receipt of the notice referred to in sub-rule (1) shall be the date of receiving the notice for the purposes of clause (a) of sub-section (1) of section 62 of the Code.

(3) If the employer of an industrial establishment receives any notice of strike from any person employed, then the employer shall, within five days from the date of receiving of such notice, intimate the same electronically to the concerned conciliation officer and Chief Labour Commissioner (Central).

26. Notice of lock-out and authority.— (1) The notice of lock-out referred to in sub-section (2) of section 62 shall be given in Form-XII by the employer of an industrial establishment to the Secretary of every registered Trade Union relating to such industrial establishment by speed post or electronically, endorsing a copy thereof to the concerned conciliation officer, Chief Labour Commissioner (Central) and the Secretary, Ministry of Labour and Employment electronically.

(2) The notice referred to in sub-rule (1) shall be displayed conspicuously by the employer on the notice board or on electronic board at the main entrance to the industrial establishment and a copy of the said notice may also be posted on the designated portal, if any, of such industrial establishment and the date of receipt of such notice by the conciliation officer shall be the date of receiving the notice for the purposes of clause (a) of sub-rule (1) of rule 23.

(3) If the employer gives to any person employed by him a notice of lock-out, he shall, within five days from the date of such notice, inform electronically the same to the concerned conciliation officer and the Chief Labour Commissioner (Central).

CHAPTER IX

LAY-OFF, RETRENCHMENT AND CLOSURE

27. Service of notice before retrenchment.— If an employer desires to retrench any worker employed in his industrial establishment who has been in continuous service for not less than one year, such employer shall serve prior notice of retrenchment in Form-XIII to the Central Government and to the concerned Deputy Chief Labour Commissioner (Central) through e-mail or speed post, in the following manner, namely, —

- (a) where prior notice is given to a worker under clause (a) of section 70 of the Code, notice of such retrenchment shall be served within three days from the date on which such notice is served on the worker;
- (b) where no prior notice is given to the worker under clause (a) of section 70 of the Code, and he is paid one month's wages in lieu thereof, notice of such retrenchment shall be sent within three days from the date on which such wages are paid; and

- (c) where retrenchment is carried out under an agreement, which specifies a date for the termination of service, notice of such retrenchment shall be sent so as to reach the Central Government and a copy thereof to the Deputy Chief Labour Commissioner (Central), at least one month before such date:

Provided that if the date of termination of service agreed upon is within thirty days of the agreement, the notice of retrenchment shall be sent to Central Government along with a copy thereof to the Deputy Chief Labour Commissioner (Central) concerned within three days of the agreement.

28. Re-employment to retrenched workers.— (1) The employer shall prepare a list of all workers in the particular category from which retrenchment is contemplated, arranged according to the seniority of their service in that category and cause a copy thereof to be pasted on a notice board in a conspicuous place in the premises of the industrial establishment, at least seven days before the actual date of retrenchment.

(2) When any vacancy occurs in an industrial establishment and there are workers of such industrial establishment retrenched within one year prior to the proposal for filling such vacancies, the employer of such industrial establishment shall, if such workers are citizens of India and have given their willingness for employment, give them preference over other on the basis of their seniority.

(3) The employer shall arrange for the display on the notice board in a conspicuous place in the premises of the industrial establishment the details of vacancies, at least fifteen days before the date on which such vacancies are to be filled and shall also give information of those vacancies by speed post or through e-mail to all the retrenched workers eligible to be considered, on the latest address or e-mail given by each of them at the time of retrenchment or at any time thereafter:

Provided that when the number of such vacancies is less than the number of retrenched workers, it shall be sufficient, if the information is given by the employer individually to the senior most retrenched workers in the list referred to in sub-rule (1) and the number of such senior-most workers being double the number of such vacancies:

Provided further that where duration of the vacancy is of less than one month there shall be no obligation on the employer to inform of such vacancy:

Provided also, that if a retrenched worker without sufficient cause being shown in writing to the employer, does not offer himself for re-employment on the date or dates specified in the information sent to him under this sub-rule, the employer shall not inform such worker of the vacancies that may be filled on any subsequent occasion.

(4) As soon as the provisions of sub-rule (3) are complied, the employer shall also inform the negotiating union or the constituent of negotiating council or Trade Unions connected with the industrial establishment, of the number of vacancies to be filled and names of the retrenched workers to whom information has been sent under that sub-rule:

Provided that the provisions of this sub-rule shall not be complied with by the employer in any case where information is sent to every worker mentioned in the list prepared under sub-rule (1).

29. Service of notice for intended closure.— (1) If an employer intends to close down an industrial establishment, the employer shall give notice in Form-XIII at least sixty days before the date of intended closure to the Central Government and a copy thereof to the concerned Deputy Chief Labour Commissioner (Central) by e-mail or speed post.

(2) A copy of the notice referred to in sub-rule (1) shall also be sent to the registered Trade Unions or authorised representatives of workers, as the case may be, operating in the Industrial establishments.

CHAPTER X

SPECIAL PROVISIONS RELATING TO LAY-OFF, RETRENCHMENT AND CLOSURE IN CERTAIN ESTABLISHMENTS

30. Application for intended lay-off and manner of serving copy of such application to workers.— (1) An application shall be made by the employer in Form-XIV to the Central Government seeking permission for lay-off of a worker stating clearly therein the reasons for the intended lay-off and a copy of such application shall be served simultaneously to the worker concerned, electronically or in person or by speed post.

(2) The application referred to in sub-rule (1) shall also be displayed conspicuously by the employer on the notice board or on electronic board at the main entrance of the industrial establishment.

31. Application to continue lay-off.— The employer shall, in case of an industrial establishment being a mine, where the workers other than *badli* workers or casual workers have been laid-off for reasons of fire, flood or excess of inflammable gas or explosion, within a period of thirty days from the date of commencement of such lay-off, make an application in Form-XIV to the Central Government electronically and by speed post with a copy to the concerned Deputy Chief Labour Commissioner (Central) for permission to continue the lay-off—

- (a) specifying the number of days;
- (b) specifying the number of workers to be laid off;
- (c) the total number of workers employed in the industrial establishment;
- (d) the date of lay-off; and
- (e) the reasons for continuation of such lay-off.

32. Review of order.— (1) The Central Government may, either on its own motion or on an application made by the employer or any worker, review its order granting or refusing to grant permission for the lay-off.

(2) The employer or any worker concerned, along with the order referred to in sub-rule (1), may make an application within thirty days from the date on which the order is made to the Central Government for reviewing the order and that Government shall, within two months from the date on which the application is made, dispose of the same after providing the concerned parties, an opportunity of being heard.

(3) Where the Central Government decides to review the order referred to in sub-rule (1) on its own motion, it may take necessary steps within one month from the date on which the order is made and after providing the concerned parties an opportunity of being heard, dispose of such review within a period of two months from the date on which such decision is taken.

33. Application for intended retrenchment and manner of serving copy of such application to workers.— (1) An application shall be made in Form- XIV by the employer to the Central Government electronically, stating clearly the reasons for the intended retrenchment therein and a copy of such application shall be sent to the concerned workers electronically, or in person, or by speed post.

(2) The application referred to in sub-rule (1) shall also be displayed conspicuously by the employer on a notice board or on electronic board at the main entrance to the industrial establishment.

34. Review of order.— (1) The Central Government may, either on its own motion or on an application made by the employer or any worker, review its order granting or refusing to grant permission for the retrenchment.

(2) The employer or any worker concerned, along with the order referred to in sub-rule (1), may make an application within thirty days from the date on which such order is made, to the Central Government for reviewing that order and that Government shall within a period of two months from the date on which such application is made, dispose of the application after providing the concerned parties an opportunity of being heard.

(3) Where the Central Government decides to review the order referred to in sub-rule (1), on its own motion, it may take necessary steps within one month from the date on which such order is made and after providing the concerned parties an opportunity of being heard, dispose of such review within a period of two months from the date on which such decision is taken.

35. Application for intended closing of industrial establishment and manner of serving copy of application to representatives of workers.— An employer who intends to close down an industrial establishment, to which the provisions of Chapter X of the Code apply, shall apply in Form XIV to the Central Government electronically for prior permission, at least ninety days before the date on which the intended closure is to become effective, stating clearly therein the reasons for such intended closure of the industrial establishment and simultaneously a copy of such application shall also be sent to the representatives of the workers electronically and in person, or by speed post.

36. Review of order.— (1) The Central Government may, either on its own motion or on an application made by the employer or any worker, review its order granting or refusing to grant permission for the closing down of an industrial establishment.

(2) The employer or any worker concerned may make an application along with the order referred to in sub-rule (1), within thirty days from the date on which such order is made, to the Central Government for reviewing that order and that Government shall, within two months from the date on which such application is made, dispose of that application after providing the concerned parties an opportunity of being heard.

(3) Where the Central Government decides to review the order referred to in sub-rule (1) on its own motion, it may take necessary steps within one month from the date on which the order is made, and after providing the concerned parties an opportunity of being heard, dispose of such review within a period of two months from the date on which such decision is taken.

CHAPTER XI

WORKER RE-SKILLING FUND

37. Worker re-skilling fund.— (1) Every employer who has retrenched a worker in industrial establishment, shall, within ten days from the date of such retrenchment, electronically transfer an amount equivalent to fifteen days of last drawn wages of such retrenched worker or workers in the fund (name of the account) shall be displayed on the website of the Ministry of Labour and Employment and Chief Labour Commissioner (Central) to be maintained by the Chief Labour Commissioner (Central) or the office of the Deputy Chief Labour Commissioner (Central) or the office of the Regional Labour Commissioner (Central) or the office of the Assistant Labour Commissioner (Central), as the case may be.

(2) The fund so received under sub-rule (1) shall be transferred by the office of the Chief Labour Commissioner (Central) or the office of the Deputy Chief Labour Commissioner (Central) or the office of the Regional Labour Commissioner (Central) or the office of the Assistant Labour Commissioner (Central), electronically to each of the retrenched worker account within forty-five days of retrenchment to enable them to utilise that amount for his re-skilling.

(3) The employer shall also submit the list containing the name of the retrenched worker, the amount equivalent to fifteen days of wages last drawn by such retrenched worker along with his bank account details, to the office of the Chief Labour Commissioner (Central) or the office of the Deputy Chief Labour Commissioner (Central) or the office of the Regional Labour Commissioner (Central) or the office of the Assistant Labour Commissioner (Central), as the case may be.

CHAPTER XII

OFFENCES AND PENALTIES

38. Manner of composition of offence.— (1) The officer notified by the Central Government for the purposes of compounding of offences under sub-section (1) of section 89 (hereinafter referred to as the “compounding officer”) shall, send a notice to the accused in Form XV through the designated portal of the Ministry of Labour and Employment.

(2) The accused to whom the notice is served under sub-rule (1), may send the duly filled up application in Part III of Form XV to the compounding officer electronically and deposit the compounding amount electronically, within fifteen days of the receipt of the notice.

(3) Where the prosecution has already been instituted against the accused in the court of competent jurisdiction, the accused may make an application to such court to allow composition of the offence against him and that court may, after considering the application, allow composition of the offence by the compounding officer in accordance with the provisions of section 89 and procedure specified in this rule.

(4) In case the accused is willing to compound by submitting the application under sub-rule (2), the compounding officer shall compound the offence and—

- (a) in case the offence is compounded before the institution of prosecution, no complaint for prosecution shall be instituted against the accused;
- (b) in case the offence is compounded pending proceeding under section 85 of the Code, the compounding officer shall inform the composition to the officer referred to in that section, who shall, after such information, close the proceeding in respect of such offence against the accused; and
- (c) in case the offence is compounded after the institution of prosecution with the permission of the court, the compounding officer shall treat the case as closed and inform the compounding of the offence to the competent court by which such composition was allowed and after receiving such information, the court shall discharge the accused.

CHAPTER XIII

MISCELLANEOUS

39. Protected workers.- (1) Every registered Trade Union connected with an industrial establishment, to which the provisions of the Code apply, shall communicate to the employer before the 30th April of every year, the names and addresses of such of the officers of such Trade Union who are employed in that establishment and who, in the opinion of such Trade Union shall be recognised as protected workers.

(2) Any change in the incumbency of any officer of the Trade Union referred to in sub-rule (1), shall be communicated to the employer by such Trade Union within fifteen days of such change.

(3) The employer shall, within fifteen days of the receipt of the names and addresses from the Trade Union under sub-rule (1) and subject to the provisions of sub-section (3) and (4) of section 90 of the Code recognise such workers as protected workers for the purposes of the said section and communicate to such Trade Union in writing, the list of workers recognised as protected workers for a period of twelve months from the date of such communication.

(4) Where the total number of names received by the employer under sub-rule (1), exceeds the maximum number of protected workers admissible for the industrial establishment under sub-section (4) of section 90, the employer shall recognise such maximum number of workers as protected workers:

Provided that where there is more than one registered Trade Union in the industrial establishment, the maximum number shall be so distributed by the employer among the Trade Unions that the numbers of recognised protected workers in individual Trade Unions bear practicably the same proportion to one another as the membership figures of the Trade Unions; and the employer shall in that case inform in writing to the President or the Secretary of each of the concerned Trade Union, the number of protected workers allotted to it:

Provided further that where the number of protected workers allotted to such a Trade Union under this sub-rule falls short of the number of officers of such Trade Union seeking protection, then that Trade Union shall be entitled to select the officers to be recognised as protected workers and such selection shall be made by that Trade Union and communicated to the employer within five days of the receipt of written intimation of the employer in this regard.

(5) Where a dispute arises between an employer and any registered Trade Union in any matter connected with the recognition of protected workers under this rule, such dispute shall be referred to the Deputy Chief Labour Commissioner (Central) or Regional Labour Commissioner (Central) or Assistant Labour Commissioner (Central) concerned, whose decision thereon shall be final.

40. Complaint by aggrieved employee.— (1) Every complaint of an aggrieved employee under section 91 of the Code shall be made in Form-XVI electronically, or by speed post and shall be accompanied by as many copies thereof for each of the opposite parties mentioned in such complaint.

(2) Every complaint under sub-rule (1) shall be verified by the aggrieved employee making the complaint or by the authorised representative of such employee to the satisfaction of the conciliation officer, arbitrator, Tribunal or the National Industrial Tribunal, as the case may be, acquainted with the facts of the case.

41. Authorisation of worker for representing in proceeding.— Where the worker is not a member of any Trade Union, any member of the executive or other office-bearer of any Trade Union connected with or by any other worker employed in the industry in which the worker is employed, may be authorised in Form-VI by such worker to represent him in any proceeding relating to a dispute in which that worker is a party.

42. Authorisation of employer for representing in proceeding.— Where an employer is not a member of any association of employers, an officer of any association of employers connected with, or by any other employer engaged in, the industry in which the employer is engaged, may be authorised in Form-VI to represent him in any proceeding relating to a dispute in which that employer is a party.

43. Parties bound by acts of representative.— A party appearing through a representative shall be bound by the acts of that representative.

44. Enquiry.— (1) On receipt of a complaint of an offence committed under sub-sections (3), (5), (7), (8), (9), (10), (11) and (20) of section 86 and sub-section (7) of section 89, the complaint shall be enquired into by an officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India, appointed by the Central Government for such purpose under sub-section (1) of section 85 (hereinafter referred to as the “enquiry officer”).

(2) On receipt of the complaint, the enquiry officer shall call upon the person or persons through notice to be sent electronically, or by speed post and upload a copy of the same on the designated portal of the Ministry of Labour and Employment, to appear before him on a specified date together with all relevant documents and witnesses, if any, and shall inform the complainant of the date so specified.

(3) Where a party so desires, he may request in writing to the enquiry officer to issue notice in the enquiry only by post and also in cases where the enquiry officer feels that no electronic means of communication are available to the parties concerned, he may send such notice by speed post.

(4) In case the person to whom notice has been issued under sub-rule (2), the person or his representative fails to appear on the specified date, the enquiry officer may proceed to hear and determine the complaint *ex-parte*.

(5) In case the complainant fails to appear on the specified date without any information to the enquiry officer on two consecutive dates, the enquiry officer may dismiss the complaint:

Provided that not more than three adjournments may be given on the joint application by the complainant and the opposite party:

Provided further that the enquiry officer shall at his discretion permit hearing the parties or any of the party, as the case may be, through video conferencing.

(6) The authorisation to appear on behalf of any person under sub-section (2) of section 85 of the Code shall be given by a certificate or electronic certificate, as the case may be, which shall be presented to the enquiry officer during the hearing of the complaint and shall form part of the record.

(7) Any person who intends to appear in the proceeding on behalf of the complainant shall present before the enquiry officer and submit a brief statement in writing explaining the reason for his appearance.

(8) The enquiry officer shall record an order on the statement referred to in sub-rule (7) permitting the person referred to in that sub-rule to appear in the proceeding on behalf of the complainant, and in the case of refusing such permission, the enquiry officer shall include reasons for the same and incorporate it in the record.

(9) The complaint or other documents relevant to the complaint may be presented in person to the enquiry officer at any time during hours fixed by the enquiry officer or may be sent to him electronically or by speed post and the opposite party shall have the right to reply to the complaint and such other documents.

(10) The enquiry officer shall endorse or cause to be endorsed on each document, the date of its presentation or receipt, as the case may be, and if the documents are submitted electronically, no such endorsement shall be necessary.

(11) The enquiry officer may refuse to entertain a complaint, if considers that the complaint is incomplete and may request the complainant to rectify the defects within the time specified for such purpose:

Provided that if the enquiry officer observes that it is not possible to rectify the defects in the complaint, he may at once return such complaint indicating the defects.

(12) Where the complaint is presented after rectification of the defects, the date of such re-presentation shall be deemed to be the date of presentation for the purpose of sub-section (1) of section 85 of the code.

(13) The enquiry officer may, after giving the complainant an opportunity of being heard, refuse to entertain a complaint, if satisfied for reasons to be recorded in writing, that—

- (a) the complainant is not entitled to present the complaint; or
- (b) the complainant has filed the complaint beyond six months from the date on which the offence complained is committed;
- (c) the complainant fails to comply with the directions given by the enquiry officer under sub-section (2) of section 85 of the Code.

(14) The enquiry officer shall, in all cases mention the particulars at the time of passing of order containing the details, such as, the date of complaint, name and address of the complainant, name and address of the opposite party or opposite parties, section-wise details of the offence committed, plea of the opposite party, findings and brief statement of the evidence taken including cross examination, reasons and penalty imposed with his signature, date and place.

(15) The enquiry officer shall, in respect of the procedure be guided by the provisions of the Code of Civil Procedure, 1908 (5 of 1908), with such alterations as the enquiry officer may deem fit, not affecting their substance, for adapting them to the matter before him except where they are in conflict with the express provisions of the Code or these rules.

(16) The enquiry officer shall, after the case has been heard, pass an order or give directions on the same day or on a future date to be fixed for this purpose.

(17) Any person, who is either a complainant or an opposite party or any person permitted under sub-rule (8) shall be entitled to inspect any complaint or any other document filed with the enquiry officer.

45. Expenses of witness.— Every person who attends or otherwise appears on receipt of a summon as a witness before any proceeding, shall be entitled to an allowance for the expenses on the same rates as applicable to witnesses in a civil court in the State where such enquiry, adjudication or arbitration, as the case may be, is being conducted.

46. Publication for communication.— For the purposes of communication to effect service of messages and documents under these rules, the Central Government, the National Industrial Tribunal, the Industrial Tribunal, every employer for which the Central Government is the appropriate Government, every Trade Union, negotiating union or the constituents of negotiating council and every authority referred to in these rules, shall specify their e-mail id or website or portal or any or all of them, as the case may be, in their respective letter-heads.

47. Maintenance of records, registers, forms, notice and display board.— (1) All records, registers, forms, notices, display boards and other documents which are required to be maintained under these rules shall be maintained in electronic manner in the required format or containing the information as is required.

(2) The records and other documents referred to in sub-rule (1) shall comply with the requirement of retention of records and shall be produced or shown as and when required by the concerned authority specified in this behalf under the Code.

48. Appointment of Commissioner.— For the purposes of computing the money value of a benefit referred to in sub-section (2) of section 59 of the Code, the Tribunal may appoint —

- (a) person with experience in the particular industry, trade, business or field encompassing the question referred to in sub-section (2) of the said section; or
- (b) person who had been a judge of a civil court; or
- (c) stipendiary magistrate; or

(d) Registrar or Secretary of a Tribunal constituted under any Central Act or a Tribunal or a National Industrial Tribunal constituted under the Code.

49. Fee for Commissioner, etc.- (1) The Tribunal shall, after consultation with the parties, estimate the probable duration of enquiry by the Commissioner referred to in rule 48 and fix the fee and other incidental expenses incurred.

(2) The Tribunal shall direct the payment of fee and other incidental expenses to the Commissioner, within specified time, by such party or parties and in such proportion, as it may deem fit.

(3) The Commissioner shall not submit his report until the receipt of deposit of fee referred to in sub-rule (2) is filed before the Tribunal:

Provided that the Tribunal may, for reasons to be recorded in writing, direct that any further sum or sums be deposited within such time or extend the time for depositing and by such parties as it may deem fit.

(4) The Tribunal may, at any time, for reasons to be recorded in writing, vary the amount of the fee.

(5) The Tribunal may direct that the fee shall be disbursed to the Commissioner in such instalments and on such date as it may deem fit.

(6) The undisbursed balance, if any, of the sum deposited under this rule shall be refunded to the respective party or parties who deposited the sum in the same proportion as that in which it was deposited.

50. Time for submission of report.- (1) Every order for the appointment of Commissioner shall indicate a date, allowing sufficient time for the Commissioner to submit the report.

(2) If, for any reason the Commissioner anticipates that the date fixed for the submission of his report is likely to be exceeded, the commissioner shall apply, before the expiry of the said date, for extension of time setting forth grounds thereof and the Tribunal shall, after consideration, pass suitable orders on such application:

Provided that the Tribunal may, if it deems fit for sufficient cause, grant extension of time where no application for such extension has been received from the Commissioner.

SCHEDULE

FORM-I

[See rule 4]

(MEMORANDUM OF SETTLEMENT ARRIVED AT IN THE COURSE OF CONCILIATION PROCEEDINGS OR OTHERWISE)

Names of parties:

..... Representing employer(s);

..... Representing worker(s);

Short recital of the case

.....

Terms of settlement

.....

Signature of the parties

Witnesses:

(1)

(2)

*Signature of conciliation officer

In case the settlement is arrived at between the employer and his workers otherwise than in the course of conciliation proceeding the copy of the memorandum shall be marked to the concerned Deputy Chief Labour Commissioner (Central).

FORM - II
[See sub-rule (8) of rule 9/ sub-rule (9) of rule 23]

(APPLICATION TO TRIBUNAL)

Before the Central Government Industrial Tribunal -----(place of the Industrial Tribunal having jurisdiction where dispute arises)

(A) Name and address of applicant(s)

Versus

(B) Name and address of opposite party(ies)

Brief facts of the dispute (statement regarding specific issues of dispute may be mentioned) which are connected with and relevant to the dispute under sub-section (1) of section 22/sub-section (6) of section 53* of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020).

Prayer:

The applicant(s) pray(s) that instant application may be admitted for adjudication and request(s) to pass appropriate award in the matter.

Name and signature of the worker(s) or
Officer of Trade union raising the dispute/Party in dispute*

(* strike off which is not applicable)

FORM III
(See rule 17)

(REGISTER FOR CERTIFIED STANDING ORDERS)

PART-I

Industrial Establishment

Unique and continuous number	Name of the industrial establishment	Nature of the industrial establishment	The areas of operation of the industrial establishment	Whether standing order is (a) model standing order, or (b) deemed standing order or (c) certified standing order	Date of adoption or date of deemed authentication or date of certification / authentication of standing order
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

Date of filing appeal	Date and nature of decision	Amendment made on appeal, if any	Date of the dispatch of the copy of standing orders as settled on appeal	Any other relevant detail
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

PART-II

Enclose the certified copy of the standing orders electronically.

FORM- IV
(See rule 19)

(NOTICE OF CHANGE OF SERVICE CONDITIONS)

Name of employer.....
Address.....
Dated the day of 20.....

In accordance with sub-section (1) of section 40 of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020), I/We hereby give notice to all concerned that it is my/our intention to effect the change/changes specified in the annexure, with effect from in the conditions of service applicable to workers in respect of the matters specified in the Third Schedule to the said Code.

Signature.....
Designation

ANNEXURE

(Specify the change/changes intended to be effected)

Copy forwarded to:

1. The Secretary of registered Trade Union, if any/Secretary, negotiating union/constituent of negotiating council.
2. Concerned Deputy Chief Labour commissioner(Central).

FORM-V
(See rule 20)
(AGREEMENT FOR VOLUNTARY ARBITRATION)

Between

.....Name of the parties representing employer (s)

And

..... Name of the parties representing worker

It is hereby agreed between the parties to refer the following dispute to the arbitration of [here specify the name(s) and address(es) of the arbitrator (s).

- (i) Specific matters in dispute.
- (ii) Details of the parties to the dispute including the name and address of the establishment or undertaking involved.
- (iii) Name of the worker in case he himself is involved in the dispute or the name of the Union, if any, representing the worker or workers in question.
- (iv) Total number of workers employed in the undertaking affected.
- (v) Estimated number of workers affected or likely to be affected by the dispute.

*We further agree that the majority decision of the arbitrators shall be binding on us in case the arbitrator(s) are equally divided in their opinion they shall appoint another person as umpire whose award shall be binding on us.

The arbitrator (s) shall make his (their) award within a period of (specify the period agreed upon by the parties) from the date of publication of this agreement in the Official Gazette by the Central Government or within such further time as is extended by mutual agreement between us in writing. In case, the award is not made within the period afore mentioned, the reference to the arbitration shall stand automatically cancelled and shall be free to negotiate for fresh arbitrator.

Signature of the parties representing employer/ any officer of the Trade Union / Representing worker / workers.

Witnesses:

1.

2.

Copy to: (i) The conciliation officer [Enter office address of the conciliation officer for the area concerned].

(ii) The Secretary to the Government of India, Ministry of Labour and Employment.

FORM- VI

(See rules 22, 41 and 42)

(AUTHORISATION BY WORKER, GROUP OF WORKERS, EMPLOYER OR GROUP OF EMPLOYERS TO BE REPRESENTED IN PROCEEDING BEFORE THE AUTHORITY)

Before the authority
(Mention the authority concerned)

In the matter of: (mention the name of the proceeding)

.....workers

Versusemployer

I/we hereby authorise Shri / Shrimati/Kumarito represent me/us in the above matter.

Dated this.....day of.....20.....

Signature of person(s) nominating the representative(s)

Address

Accepted.

Signature of representative(s)

Address

FORM- VII
(See rule 24)

(APPLICATION UNDER SECTION 59(1) OF THE INDUSTRIAL RELATIONS CODE, 2020) FOR RECOVERY OF MONEY

To,

- (1) The Secretary to the Government of India, Ministry of Labour and Employment, New Delhi.
- (2) The Deputy Chief Labour Commissioner (Central)..... (here insert the name of the region).

Sir,

I/We have to state that I am/we are entitled to receive from M/s a sum of Rs.(in words) on account of under the provisions of Chapter IX and X of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020) /in terms of the award dated the..... given by..... /in terms of the settlement dated the arrived at between the said M/s and their worker through..... the duly elected representatives.

I/We further state that I/we served the management with a demand notice by speed post on for the said amount which the management has neither paid nor offered to pay to me/us even though a fortnight has since elapsed. The details of the amount have been mentioned in the statement hereto annexed.

I/We request that the said sum may kindly be recovered from the management under sub-section (1) of section 59 of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020) and paid to me/us as early as possible.

Signature of the applicant(s)

Address(es)

Station:

Date:.

ANNEXURE

(Specify the details of the amount(s) claimed.)

FORM- VIII*(See rule 24)*

[APPLICATION BY A PERSON AUTHORISED BY A WORKER OR BY THE ASSIGNEE OR HEIR OF A DECEASED WORKER UNDER SECTION 59(1) OF THE INDUSTRIAL RELATIONS CODE, 2020]

To

- (1) The Secretary to the Government of India, Ministry of Labour and Employment, New Delhi.
 (2) The Deputy Chief Labour Commissioner (Central).....(here insert the name of the region).

Sir,

I Shri/Shrimati/Kumari..... state that Shri/Shrimati/ Kumari..... is/was entitled to receive from M/s..... a sum of Rs.(in words) on account of..... under the provisions of Chapter IX and X of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020) /in terms of the award dated the..... given by/in terms of the settlement, dated the.....arrived at between the said M/s..... and their worker through..... the duly elected representatives.

I further state that I served the management with a demand notice by speed post on.....for the said amount which the management has neither paid nor offered to pay to me even though a fortnight has since elapsed. The details of the amount have been mentioned in the statement hereto annexed.

I request that the said sum may kindly be recovered from the management under sub-section (1) of section 59 of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020), and paid to me as early as possible.

I have been duly authorised in writing by.....(here insert the name of the worker) to make this application and to receive the payment of the aforesaid amount due to him.

I am the assignee/heir of the deceased worker and entitled to receive the payment of the aforesaid amount due to him.

Station.....

Signature of the authorised person/assignee/heirs

Date.....

Address.....

ANNEXURE

(Specify the details of the amount claimed.)

FORM - IX
(See rule 24)

[(APPLICATION TO TRIBUNAL UNDER SECTION 59(2) OF THE INDUSTRIAL RELATIONS CODE, 2020
BY WORKER)]

Before the Central Government Industrial Tribunal at

..... between..... and.

(1) Name of the applicant(s)

(2) Name of the employer

The petitioner(s) a worker ofM/s.of
.....The petitioner(s) undersigned, worker/workers of is/are entitled to receive
from the said M/s. the money /benefits mentioned in the statement hereto annexed.

It is prayed that the Tribunal may be pleased to determine the amount /amounts due to the petitioner (s).

Signature or thumb impression (s) of the applicant(s)

Address (es)

Place.....

Date.....

ANNEXURE

(Specify the details of the money due or the benefits accrued together with the case for their admissibility.)

FORM- X
[See rule 24]

(APPLICATION UNDER SECTION 59(2) OF THE INDUSTRIAL RELATIONS CODE, 2020 BY ASSIGNEE/
HEIR OF DECEASED WORKER)

Before the Central Government Industrial Tribunal at Between

(i) Name of the applicant/applicants

(ii) Name of the employer

I am/We are the assignee(s) of the deceased worker and am/are entitled to make an application on his behalf.

Shri/Smt..... former worker of M/s of.....is entitled to receive from the said M/s..... the money/benefits mentioned in the statement hereto annexed;

It is prayed that the Tribunal be pleased to determine the amount/amounts due to the deceased worker.

Name and Address of worker.....

Signature of the assignee/heirs

Address (es)

Place.....

Date.....

ANNEXURE

(Specify the details of the money due or the benefits accrued together with the case for their admissibility).

FORM-XI
(See rule 25)

[NOTICE OF STRIKE BY UNION (NAME OF UNION)/ GROUP OF WORKERS]

Name of Union

Name of five elected representatives of workers.....

Dated the.....day of.....20.....

To

(The name of the employer).

Dear Sir/Sirs,

In accordance with the provisions contained in sub-section (1) of section 62 of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020) I/We hereby give you notice that I propose to call a strike / we propose to go on strike on20....., for the reasons explained in the Annexure.

Yours faithfully,

(Secretary of the Union)

Five representatives of the workers duly elected at a meeting held on (date), vide resolution attached.]

ANNEXURE

Statement of the Case.

Copy to:

- (1) Conciliation officer [Enter the office address of the Assistant Labour Commissioner (Central) / Regional Labour Commissioner (Central)/ Deputy Chief Labour Commissioner (Central) of the concerned area.]
- (2) Chief Labour Commissioner (Central) New Delhi
- (3) Secretary, Ministry of Labour and Employment, New Delhi

FORM -XII

(See rule 26)

(NOTICE OF LOCK-OUT GIVEN BY EMPLOYER OF INDUSTRIAL ESTABLISHMENT)

Name of employer

Address.....

Dated the.....day of.....20.....

In accordance with the provisions of sub-section (2) of section 62 of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020) , I/we hereby give notice to all concerned that it is my/our intention to effect lock out in.....department(s), section(s) of my/our establishment with effect from.....for the reasons explained in the Annexure.

Signature.....

Designation.....

ANNEXURE

1.	Statement of reasons
-----------	-----------------------------

Copy forwarded to:

- (1) The Secretary of the Registered Union, if any
- (2) Conciliation officer [Enter the office address of the Assistant Labour Commissioner (Central) / Regional Labour Commissioner (Central)/ Deputy Chief Labour Commissioner (Central) of the concerned area.]
- (3) Chief Labour Commissioner (Central) New Delhi
- (4) Secretary, Ministry of Labour and Employment, New Delhi

FORM -XIII
(See rules 27 and 29)

(NOTICE OF RETRENCHMENT/CLOSURE TO CENTRAL GOVERNMENT UNDER CHAPTER IX OF THE INDUSTRIAL RELATIONS CODE, 2020)

(To be submitted online. In case of exigencies to be submitted on paper in the prescribed format)

Name of industrial establishment /undertaking/ employer.....
Labour Identification Number

Dated.....

(Note: The intimation for closure/retrenchment to the appropriate government shall be served sixty days and thirty days before commencement of closure/retrenchment respectively)

To,

The Secretary to the Government of India,
Ministry of Labour and Employment
New Delhi

1. *(Retrenchment) (a) Under section 70(C) of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020), I/ we* hereby intimate you that I*/we* have decided to retrench..... workers** out of a total of Workers** with effect from..... (DD/MM/YYYY)

or

(Closure) (b) Under section 74(1) of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020), I / we hereby intimate you that I*/we* have decided to close down.....(name of the industrial establishment or undertaking) with effect from..... (DD/MM/YYYY). The number of workers whose services would be terminated on account of the closure of the undertaking is..... (number of workers)

2. The reason for retrenchment / closure is

3. * The worker(s)* concerned were given on the..... (DD/MM/YYYY) one month's notice in writing as required under section 70(a)*/ section 75(1)* of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020).

or

* The worker(s) concerned have been given on the..... (DD/MM/YYYY) one month's pay in lieu of the notice as required under section 70(a)*/ section 75(1)* of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020) .

4. * I*/We* hereby declare that the worker(s) concerned have been*/will be* paid all their dues along with the compensation due to them under section 70* / section 75* of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020) before or on the expiry of the notice period.

or

I/We hereby state that currently Insolvency proceedings are on in respect of the said Industrial Establishment/Undertaking/Employer, and that I*/we* will pay all the dues along with the compensation due to them under concerned laws.

5. (Retrenchment) I/we* hereby declare that the worker(s) concerned have been* / will be* retrenched in compliance to the section 71 and section 72 of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020).

6. I*/ we* hereby declare that no court case is pending before any Court in the matter, and if yes, the details thereof have been Annexed.
7. I*/ we* hereby declare that the above information given by me*/us* in this notice and the Annexures enclosed herewith true, I*/ we* am*/ are* solely responsible for its accuracy and no facts/ materials has been suppressed in the matter.

Yours faithfully,

(Name of employer/ ***authorised representative
with seal)

(* Strike off which is not applicable.)

** Indicate number in figures and words both)

***Copy of authorisation letter issued by the employer shall be enclosed)

Copy to :

(1)Deputy Chief Labour Commissioner (Central) of the concerned area.

(2) To the Registered Unions/ Authorised Representatives of Workers operating in the establishments or undertakings.

FORM- XIV

(See rules 30, 31, 33 and 35)

(APPLICATION FOR PERMISSION TO LAY-OFF/CONTINUATION OF LAY-OFF/ RETRENCHMENT/ CLOSURE TO THE CENTRAL GOVERNMENT UNDER CHAPTER X OF THE INDUSTRIAL RELATIONS CODE, 2020)

(To be submitted online. In case of exigencies on paper in the specified format below)

Name of industrial establishment or undertaking or employer.....

Labour Identification Number.....

Dated.....

(Note: The application to the Central Government shall be served as indicated below:

Lay-off : at least 15 days before the intended Lay-off

Continuation of Lay-off – at least 15 days before the expiry of earlier lay-off

Retrenchment – at least 60 days before the intended date of retrenchment

Closure – at least 90 days before the intended date of closure)

To,

The Secretary to the Government of India,
Ministry of Labour and Employment
New Delhi

1. *(Lay-off) (a). Under section 78(2) of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020), I*/we* hereby apply for “permission to lay-offworkers** out of total of workers** employed in my*/our* establishment (details to be given in Annexure-I) with effect from (DD/MM/YYYY) for the reasons explained in Annexure-I..

or

(Continuation of lay-off) (b) Under section 78(3) of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020), I/we* hereby apply for permission to continue the Lay-offworkers** out of total of laid off workers** in my*/our* establishment (details to be given in Annexure-I) with effect from (DD/MM/YYYY) for the reasons explained in Annexure-I.

or

(Retrenchment) (c) Under section 79(2) of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020), I/we* hereby apply for permission for intended retrenchment of..... workers out of total of workers** employed in my*/our* establishment (details to be given in Annexure-I) with effect from (DD/MM/YYYY) for the reasons explained in Annexure-I.

or

(Closure) (d) Under section 80(1) of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020), I / we hereby inform you that I*/we* intended to close down the undertaking..... (name of the industrial establishment or undertaking or employer) (details to be given in Annexure-I) with effect from..... (DD/MM/YYYY) for the reasons explained in Annexure-I.. The number of workers whose services would be terminated on account of the closure of the undertaking is..... (number of workers).

* (Lay-off/Continuation of Lay-off) The worker(s) concerned were given on (DD/MM/YYYY) notice in writing as required under section 78(2)*/ section 78(3)* of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020).

or

(Retrenchment/ Closure) The worker(s) concerned were given on..... (DD/MM/YYYY) three month's notice in writing as required under section 79/ section 80* of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020).

or

(Retrenchment/ Closure) The worker(s) have been given on..... (DD/MM/YYYY) three month's pay in lieu of notice as required under section 79/ section 80* of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020).

2. The details of affected worker(s) is at Annexure II.
3. (Retrenchment) I*/we* hereby declare that the workers concerned will be retrenched in compliance to the section 71 and section 72 of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020).
4. *I/We* hereby declare that the worker(s) concerned have been*/will be* paid all the dues and compensation due to them under section 67, read with section 78(10)*/ section 79* / section 80* of the Industrial Relations Code, 2020 (35 of 2020) before or on the expiry of the notice period.

or

I/We hereby state that currently Insolvency proceedings are on in respect of the said Industrial Establishment/Undertaking/Employer, and that I/we* will pay all the dues along with the compensation due to them under concerned laws.

5. I/ we* hereby declare that no court case is pending before any Court in the matter, and if yes, the details thereof have been annexed herewith.
6. I/ we hereby declare that the above information given by me/ us* in this notice and enclosures is/ are* true, I/ we am/ are solely responsible for its accuracy and no facts/ materials has been suppressed in the matter.

The permission sought for may please be granted.

Yours faithfully,

(Name of employer/ ***authorised representative
with seal)

(* Strike off which is not applicable.)

** Indicate number in figures and word both)

***Copy of authorisation letter issued by the employer shall be enclosed)

ANNEXURE I

(Please give replies against each item)

1.	Name of the undertaking with complete postal address, email, mobile and land line.	
2.	Status of undertaking— (i) Whether Central public sector/State public sector/ like other, (ii) Whether a private limited company/ partnership firm/ partnership firm (ii) Whether the undertaking is licensed/registered and if so, name of licensing/ registration authority and licence/registration certificate numbers.	
3.	(a) Corporate Identification Number	
	(b) Goods and Service Tax Identification Number (GSTIN)	

4.	(i) Annual production, item wise for preceding three years- (ii) Production figures, month-wise, for the preceding twelve months,	
5.	Audit report of the legal entity that own the establishment/ undertaking including Balance sheets, profit and loss accounts for the last three years.	To be annexed
6.	Names of the inter-connected companies or companies under the same management.	
7.	Reasons for the intended lay-off/continuation of lay-off/ retrenchment/closure	
8.	Details of lay-off/ retrenchment resorted to in the last three years including the periods of such lay-offs/ retrenchment the number of workers involved in each such lay-off/ Retrenchment / continuation of lay off	
9.	Any other relevant details which have bearing on lay-off/ continuation of lay off/ retrenchment/ closure.	

ANNEXURE II
(Details of affected workers)

Sl. No	UAN/ CMPFO	Name of worker	Category (highly skilled / skilled/ semi-skilled / unskilled)	Date from which in service in/with the said establishment /undertaking/ employer	Wage as on date of application	Remark
1						
2						
3						

FORM-XV
[See rule 38]

(NOTICE TO THE EMPLOYER/PERSON WHO COMMITTED AN OFFENCE FOR THE FIRST TIME)

The Compounding Officer, hereby informs you that the allegation has been made against you for violation of various provisions of this Code as per the details given below:—

PART - I

1. Name and address of the offender employer/person-
2. Address of the establishment
4. Particulars of the offence
5. Section of the Code under which the offence is committed
.....
6. Compounding amount to be paid towards composition of the
offence.....

PART – II

You are advised to deposit the above mentioned amount within fifteen days from the date of receipt of this notice for compounding of the offence read with rule 38, along with an application duly filled in Part – III of this notice.

In case you fail to deposit the said amount within the time so specified, no further opportunity shall be given to you and necessary steps shall be taken for filing of prosecution under section 87 of the Code.

(Signature of the compounding officer)

Date:

Place:

PART – III

1. Name of applicant (name of the employer/person who committed the offence under the Industrial Relations Code 2020 (35 of 2020) to be mentioned.....
2. Address of the applicant
3. Particulars of the offence
.....
.....
4. Section of the Code under which the offence has been committed
.....
5. Details of the compounding amount deposited (electronically generated receipt to be attached).....

6. Details of the prosecution, if filed for the violation of above mentioned offences may be given

.....

7. Whether the offence is first offence or the applicant had committed any other offence prior to this offence, if committed, then, full details of the offence

.....

.....

8. Any other information which the applicant desires to provide

.....

.....

.....

Applicant
(Name and signature)

Dated:

Place:

Form- XVI
(See rule 40)

(COMPLAINT UNDER SECTION 91 OF THE INDUSTRIAL RELATIONS CODE, 2020)

Before the Conciliation officer/ Arbitrator/ Tribunal or, National Industrial Tribunal ----,

In the matter of:.....Reference No.....

A..... Complainant(s);
Versus

B..... Opposite Party(ies).

Address:

The petitioner(s) begs/beg to complain that the Opposite Party(ies) has/have been guilty of a contravention of the provisions of section 90 of the Industrial Relations Code, 2020 as shown below:

(Here set out briefly the particulars showing the manner in which the alleged contravention has taken place and the grounds on which the order or act of the management is challenged.)

The complainant(s) accordingly prays/pray that the Conciliation officer/ Arbitrator/ Industrial Tribunal or National Industrial Tribunal may be pleased to decide the complaint set out above and pass such order or orders thereon as it may deem fit and proper.

The number of copies of the complaint and its annexure required under rule 40 are submitted herewith.

Dated this.....day of.....20..... Signature of the complainant(s)

Verification

I do solemnly declare that what is stated in paragraph..... above is true to my knowledge and that what is stated in paragraphs..... above is stated upon information received and believed by me to be true. This verification is signed by me at..... onday of.....20.....

Signature
or thumb impression of the person verifying_____.

[F. No. S-11025/01/2026-IR(PL)]

DEEPIKA KACHHAL, Jt. Secy.